सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिये

संख्या-1

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

विषय-सूची

	सन्दर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		(iii)
विहंगावलोकन		(v)
अध्याय-I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		
प्रस्तावना	1.1	5
सरकारी कम्पनियाँ	1.2	5
सांविधिक निगम	1.3	22
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	1.4	27
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	1.5	31
राजस्थान वित्त निगम	1.6	34
राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	1.7	39
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएं	2	43
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) - रीको द्वारा सहायता प्राप्त इकाईयों में धारित इक्विटी शेयर्स का विनिवेश	2अ	45
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2ब	89
अध्याय-III		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षा राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	3	127
अध्याय- IV		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अन्य रुचिकर प्रकरण	4	155
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	159
सांविधिक निगम	4ब	174

अनुबन्ध

विषय सूची		पृष्ठ
I.	ऐसी कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थीं।	187
II.	31 मार्च 1996 को अद्यतन पूंजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋणों के विवरणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।	188
III	सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम वर्ष के लिये लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था ।	190
IV.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, प्राप्त गारण्टी, वर्ष के दौरान परित्याग की गई देयताओं तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	194
V.	वर्ष 1995-96 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोजित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	195
VI.	सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।	196
VII.	रा.प.वि.नि. के राजस्व खर्च एवं आय के वास्तविक एवं बजट के आंकड़ों में विचरणों के विस्तार को दर्शानेवाला विवरण-पत्र।	198

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.) सहित सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के परिणामों का उल्लेख किया जाता है और यह प्रतिवेदन मार्च 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है । विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में दिये जाते हैं ।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन की जाती है । कुछ ऐसी कम्पनियां भी है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं है क्योंकि उनमें सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियन्त्रण वाली कम्पनियां/निगमों द्वारा 51 प्रतिशत से कम अंशों को धारित किये हैं । ऐसे उपक्रमों की सूची, जहां कि सरकार का विनियोजन 31 मार्च 1996 को 10 लाख रूपये से ज्यादा है अनुबन्ध-I में दी गई है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जो सांविधिक निगम है, के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है । राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सनदी लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित लेखों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राजस्थान सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों के सामान्य पहलुओं से संबन्धित है ।

अध्याय- II में दो समीक्षायें (i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश एवं (ii) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (रा.प.वि.नि.) अन्तर्विष्ट हैं। रीको द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों के विनिवेश से संबन्धित समीक्षा यह विशिष्टकृत करती है कि एक अंश धारण की औसत अवधि में मात्र 6 प्रतिशत न्यून वार्षिक प्रत्याय अंशदानित किया । रा.प.वि.नि. पर समीक्षा यह विशिष्टिकृत करती है कि एक अनार्थिक स्थल अवस्थिति से इसके बहुत से होटलों/मोटलों द्वारा निरन्तर हानियां उठाना अंशदानित है ।

अध्याय- III में राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के कार्यचालन पर समीक्षा अन्तर्विष्ट है । यह समीक्षा विशिष्टिकृत करती है कि कुछ भण्डार गृहों की अवस्थिति एवं क्षमता निर्धारण के पूर्व व्यवसाय सम्भाव्यता का यथेष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया जिसका परिणाम कम क्षमता उपयोजन एवं अनुवर्ती हानियां हुई ।

अध्याय- IV में हानि, मितव्ययता या कुशलता की कमी इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अंतर्विष्ट हैं। इस खण्ड में ऐसे मामले प्रतिवेदित है जो वर्ष 1995-96 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, और वे भी है जो पहले ध्यान में तो आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं है । वर्ष 1995-96 के बाद की अवधि के मामले भी जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, सम्मिलित किये गये है ।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. 31 मार्च 1996 को 19 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे ।

(अनुच्छेद 1.2.1 तथा 1.3.1)

19 सरकारी कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 284.03 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 276.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा, 5.44 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा तथा 2.16 करोड़ रुपये अन्य द्वारा निवेशित थे । वर्ष 1994-95 के दौरान 'शून्य' लाभांश के विरूद्ध वर्ष 1995-96 के दौरान 5.03 करोड़ रुपये का लाभांश पांच कम्पनियों से प्राप्त किया जो कि अंश पूंजी पर 1.82 प्रतिशत प्रत्याय निरूपित है।

मार्च 1996 के अंत में 15 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) के विरूद्ध बकाया ऋणों की राशि 612.29 करोड़ रुपये थी । सात कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों का पुनर्भुगतान एवं छः कम्पनियों के प्रकरण में ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था । 31 मार्च 1996 को ऐसी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि 410.27 करोड़ रुपये थी ।

(अनुच्छेद 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,1.2.5.2 तथा अनुबन्ध II व IV)

19 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) में से 13 ने वर्ष 1995-96 के अपने लेखों को अंतिम रूप (अक्टूबर 1996) दिया था । इनमें से सात ने कुल 52.11 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था जबकि छः अन्य की कुल हानियाँ 1.93 करोड़ रुपये थी । शेष छः कम्पनियों के लेखे एक से पांच वर्षो की अवधि के लिए बकाया थे । नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, पांच सरकारी कम्पनियों की संचित हानियाँ (21.64 करोड़ रुपये) उनकी प्रदत्त पूंजी (8.39 करोड़ रुपये) से अधिक हो चुकी थी ।

(अनुच्छेद 1.2.4 तथा 1.2.5.3)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार, जनता, तथा वित्तीय संस्थाओं से अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋणों से की जाती है। मार्च 1995 के अन्त में कुल 3595.26 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण बकाया थे जो कि मार्च 1994 के अंत की बकाया से 26.53 प्रतिशत अधिक का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से 1448.22 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था। मण्डल के वर्ष 1994-95 के लेखे 77.07 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य प्रदर्शित करते थे जिससे 1994-95 के अंत की संचित हानि घटकर 382.30 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1995-96 के लेखे प्रतीक्षित (अक्टूबर 1996) थे।

(अनुच्छेद 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.1 तथा 1.4.2)

31 मार्च 1995 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी 107.95 करोड़ रुपये में 81.12 करोड़ रुपये राज्य सरकार तथा 26.83 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के द्वारा अंशदानित थे। वर्ष 1994-95 के निगम के लेखे 24.16 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य दर्शाते थे जिससे 1993-94 के अन्त तक की संचित हानि 6.52 करोड़ रुपये स्पष्टतया समाप्त हो गई थी। वर्ष 1995-96 के लेखे अभी लेखापरीक्षा के लिये प्राप्त होने (अक्टूबर 1996) थे।

(अनुच्छेद 1.5.1 तथा 1.5.2)

31 मार्च 1996 को 67.53 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अंशदानित थे, पर राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान समायोजनों/नियोजनों के पश्चात् 7.08 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जिससे संचित हानियाँ 35.85 करोड़ रुपये तक घट गई।

(अनुच्छेद 1.6.1 तथा 1.6.2)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम ने 1994-95 में अर्जित 1.46 करोड़ रुपये के लाभ के विरूद्ध 1995-96 में 3.16 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

(अनुच्छेद 1.7.2)

2. दो सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के क्रिया-कलापों की समीक्षा से निम्नांकित प्रकट हुआ :

2अ. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)

सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयर का विनिवेश

औद्योगिक उपक्रमों के विकास एवं वित्त के लिये 1979 में स्थापित 'रीको' अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों के शेयरों में निवेश करता रहा है । 17 वर्षों से समता निवेश के बाद भी ऐसे प्रकरणों, जिनमें सहायता प्राप्त इकाई के इक्विटी को खरीदना चाहिये तथा विनिवेश के संचालन हेतु 'रीको' ने एक समेकित नीति एवं मार्ग-निर्देशक तैयार नहीं किये ।

(अनुच्छेद 2अ.1 तथा 2अ.4)

'रीको' ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के विनिवेश को विवेक पूर्ण ढंग से संचालित नहीं किया है जैसा कि निम्न से स्पष्ट होता है:

(अ) विनिवेश/अपलेखन तक शेयर धारण की औसत अवधि 16 वर्ष थी, जो कि कोषों के त्वरित परिचक्रण हेतु अधिक लम्बी थी ।

(अनुच्छेद 2अ.7.2.2)

(ब) इक्विटी का धीमा विनिवेश तथा ऊंचे भावों के समय उन्हें बेचने के अवसरों की हानि ने न्यून वार्षिक परिलाभ मात्र छः प्रतिशत अंशदानित किया। चूंकि लाभांशों से औसत वार्षिक परिलाभ मात्र एक प्रतिशत थे अतः शेयरों के विनियोजन से कुल औसत परिलाभ 7 प्रतिशत रहे । इसके अवधि ऋणों से तुलना करने पर मुनाफा 16.44 प्रतिशत औसत परिलाभ था ।

(अनुच्छेद 2अ.7.2.3 तथा 2अ.7.2.6)

(स) 'रीको' ने केवल ऐसे शेयरों का ही विनिवेश किया जो कि क्रय-मूल्य के बराबर अथवा अधिक थे तथा कमजोर निष्पादन वाली कम्पनियों के शेयरों को अपने पास ही पड़े रखा । इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप :

(i) वर्ष 1995-96 को समाप्त हुए 6 वर्षों के दौरान 0.82 करोड़ रुपये लागत के शेयरों को अपलिखित कर दिया गया,

(अनुच्छेद 2अ.8)

(ii) इसके पास 45 कम्पनियों (पोर्टफोलियो की कुल 95 कम्पनियों के समक्ष), जो पुनर्वास/परिसमापन में चल रही थी, के 9.91 करोड़ रुपये लागत के शेयर थे, तथा

(अनुच्छेद 2अ.10(य))

(iii) 31 मार्च 1996 को इसके पास 31.84 करोड़ रुपये लागत के ऐसी 73 कम्पनियों में शेयर थे जिनकी तरलता कम थी ।

(अनुच्छेद 2अ.10(अ))

(द) विनिवेश के लिये शेयर मूल्यों की निगरानी के अभाव में रीको उपलब्ध सम्भावित लाभ का मात्र 13.85 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका । नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि जनवरी 1994 में अपने वित्त समूह के परामर्श के पश्चात् भी 'रीको' ने बाजार में तेजी की धारणा के दौरान 6 कम्पनियों के अंशधारण को विनिवेशित नहीं किया । रूढ़िवादी आधार से भी मार्च 1995 तक विनिवेश अवसरों की हानि के फलस्वरूप 'रीको' 12.00 करोड़ रुपये का सम्भावित लाभ प्राप्त नहीं कर सका जो मार्च 1996 तक तो पूर्णतः समाप्त हो गया ।

(अनुच्छेद 2अ.11.1.5 तथा 2अ.14)

नमूना जांच किये गये दो मामलों में, समझौता अवधि बीत जाने व उन शेयरों से सम्बन्धित बाजार मूल्य के उल्लेखनीय रूप से ऊंचे होने के बावजूद 'रीको' ने शेयरों का विनिवेश पुनर्खरीद व्यवस्था के अनुसार किया । इसके परिणामस्वरूप 'रीको' का 2.40 करोड़ रुपये का लाभ प्रवर्तकों के हिस्से में आया।

(अनुच्छेद 2अ.13.1 तथा 2अ.13.2)

राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड के प्रवर्तकों के अनुरोध पर 'रीको' ने इसके दो लाख शेयर, 126 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने का एक प्राइवेट निवेश कम्पनी का प्रस्ताव (फरवरी 1994) छोड़ देने का निर्णय लिया और उनके बेचान को 3 वर्षो तक स्थिर कर दिया। 'रीको' ने 2.32 करोड़ रुपये के लाभ अर्जन के इस प्रस्ताव को खोते समय प्रवर्तकों से ऐसा कोई आश्वासन तक नहीं लिया कि बाद में वे इससे ऊंचे भावों पर शेयरों को खरीद लेंगे। 31 मार्च 1996 तक इस का भाव 31 रुपये प्रति शेयर तक गिर गया।

(अनुच्छेद 2.अ.14.1)

2 ब. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

राज्य में पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (रा.प.वि.नि.) का गठन नवम्बर 1978 में किया गया । घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को आवास उपलब्ध करवाने में रा.प.वि.नि. की हिस्सेदारी तथापि घटोत्तरी की प्रवृत्ति दर्शाती रही है ।

(परिच्छेद 2ब.1, 2ब.2 तथा 2ब.9)

रा.प.वि.नि. का शुद्ध लाभ 1992-93 के 2.07 करोड रुपये से तीव्र रूप से घटकर 1993-94 में 1.24 करोड़ रुपये और पुनः 1994-95 में घटकर 0.29 करोड़ रुपये रह गया । मोटे तौर पर यह कार्मिक व्यय तथा मुख्यालय के प्रशासनिक व्यय में अधिक वृद्धि के कारण से था ।

(अनुच्छेद 2ब.7.1)

रा.प.वि.नि. द्वारा अर्जित लाभ मुख्यतया बीयर व्यापार से था जो रा.प.वि.नि. का मुख्य कार्य कलाप नहीं था । अपने होटलों/मोटलों आदि को चलाने में रा.प.वि.नि. ने लगातार हानियां उठाई जो 1992-93 की 0.20 करोड़ रुपये से अत्यधिक बढ़कर 1994-95 में 2.33 करोड़ रुपये हो गयी ।

(अनुच्छेद 2ब.7.2)

हानि में चलने वाले होटलों, मिडवे तथा केफेटेरिया की संख्या 1990-91 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 में 70 प्रतिशत हो गयी। इन इकाइयों की कुल हानि भी 1990-91 के 0.17 करोड़ रुपये से बढकर 1994-95 में 0.75 करोड़ रुपये हो गयी। 9 होटलों और मोटलों ने 1990-91 से 1994-95 तक के प्रत्येक पांच वर्षो में लगातार हानि उठाई जो कुल मिलाकर 0.83 करोड़ रुपये थी।

(अनुच्छेद 2ब.10)

1990-91 से 1994-95 के दौरान खान-पान व्यवस्था हेतु कच्चे माल पर कुल व्यय एवं ईंधन पर व्यय मानक लागत से क्रमशः 0.12 करोड़ रुपये एवं 0.44 करोड़ रुपये अधिक हुआ ।

(अनुच्छेद 2ब.13.1.1 तथा 2ब.13.1.2)

खानपान कच्ची सामग्री क्रय हेतु निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा व्यंजन सूची दरें संशोधित करने में परिणामी विलम्ब से रा.प.वि.नि. को 0.24 करोड़ रुपये की सतत राजस्व हानि उठानी पड़ी ।

(अनुच्छेद 2ब.14)

भारत सरकार के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं करने के कारण रा.प.वि.नि. द्वारा वर्ष 1985-86 से 1993-94 के दौरान किये गये 0.65 करोड़ रुपये व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता अभी भी प्राप्त करनी थी (मई 1996) । इसके कारण अवरुद्ध निधियों पर 31 मार्च 1996 तक 0.40 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई ।

(अनुच्छेद 2ब.19)

3. राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (रा.रा.भ.नि.)की कृषि जिन्सों हेतु वैज्ञानिक भण्डारण सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से दिसम्बर 1957 में स्थापना की गई । रा.रा.भ.नि. 1995-96 तक भी 1989-90 में उपलब्ध भण्डारण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ ।

(अनुच्छेद 3.1, 3.2 तथा 3.8.1(**ii**))

रा.रा.भ.नि. द्वारा 1990-91 से 1993-94 तक अर्जित लाभ 1989-90 के दौरान अर्जित लाभ से भी कम था । यह (अ) 29 से 36 भण्डार व्यवस्था केन्द्रों (77 से 78 केन्द्रों में से) में कम उपयोजन, जिसके कारण इन भण्डार गृहों से 0.38 करोड़ रुपये से 0.63 करोड़ रुपये के मध्य कुल वार्षिक हानि का योगदान हुआ तथा (ब) 1989-90 में स्थापना लागत 43 प्रतिशत के समक्ष 1993-94 में 57 प्रतिशत की असमानुपात वृद्धि के कारण था।

(अनुच्छेद 3.7.1)

रबी 1993-94 के दौरान खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य नहीं करने से रा.रा.भ.नि. ने 0.41 करोड़ रुपये लाभ अर्जित करने का अवसर खो दिया ।

(अनुच्छेद 3.10)

रा.रा.भ.नि. जयपुर में भण्डार गृहों का निर्माण करने में असफल रहा तथा जयपुर के दुर्गापुरा एवं झोटवाड़ा में लगातार किराये के भण्डार-गृह रखता रहा। 1989-96 के दौरान दुर्गापुरा में 88 प्रतिशत तथा 1989-93 के दौरान झोटवाड़ा में

97 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोजन के बावजूद भी इन गोदामों में कुल हानि क्रमशः 0.14 करोड़ रुपये तथा 0.02 करोड़ रुपये हुई। यह इस बात द्योतक है कि गोदामों के किराये तथा रा.रा.भ.नि. द्वारा वसूले गये भण्डारण प्रभारों के मध्य लाभ अपर्याप्त था।

(अनुच्छेद 3.12)

4. विविध रूचिकर प्रकरण

'रीको' अपने स्थायी आदेशों पर संज्ञान लेने में असफल रहा एवं संशोधित दर 250 रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर पूर्व संशोधित दर 125 रुपये प्रति वर्गमीटर पर, एक निरस्त किये हुये भूखण्ड का पुनःस्थापन हो जाने दिया । इसके परिणामस्वरूप 0.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो गयी ।

(अनुच्छेद 4अ.2.4)

ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि की वास्तविक आवश्यकता का गलत निर्धारण करने से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 0.61 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान पर मार्च 1996 तक 0.22 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी ।

(अनुच्छेद 4ब.1.1)

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की चारणवाला शाखा के अभिकल्पित जल-प्रवाह के सन्दर्भ में चारणवाला पर लघु जल विद्युत-गृह का निर्माण, बिना यह जांच किये कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में प्रत्याशित अभिकल्पित प्रवाह स्तर कब प्राप्त होगा, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने आवश्यकता के लगभग तीन वर्ष पूर्व व्यर्थ में ही परियोजना लगा दी । इसके परिणामस्वरूप 2½ साल के लिये (जून 1996 तक) 4.96 करोड़ रुपये का निष्क्रिय व्यय हुआ जिससे 2.23 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4ब.1.3)

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने राज्य सरकार के वर्ष 1992-93 के लिये पूंजी अंशदान पर ब्याज एवं लाभांश दोनों का भुगतान किया जिसके परिणामतः 3.82 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ तथा इसके अतिरिक्त 3.82 लाख रुपये प्रतिमाह (अगस्त 1996 तक 30.56 लाख रुपये) के ब्याज का निरन्तर नुकसान हुआ।

(अनुच्छेद 4ब.2.2)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.2 सरकारी कम्पनियाँ

1.3 सांविधिक निगम

- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
- राजस्थान वित्त निगम
- राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

अनुच्छेद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सरकारी एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	
1.1	प्रस्तावना	5
1.2	सरकारी कम्पनियाँ	5
1.2.1	सामान्य अवलोकन	5
1.2.2	सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	6
1.2.3	प्रत्याभूति, बजट से जावक एवं बकाया का अधित्याग	9
1.2.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	11
1.2.5	कार्यचालन परिणाम	12
1.2.6	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद	18
1.2.7	सांविधिक लेखापरीक्षकों के ध्यान में आये महत्त्वपूर्ण बिन्दु	21
1.2.8	क्षमता उपयोजन	21
1.2.9	619 बी कम्पनियां	22
1.2.10	अन्य निवेश	22
1.3	सांविधिक निगम	22
1.3.1	सामान्य पहलू	22
1.3.2	निवेश	23
1.3.3	निगमों का लाभ/हानि	23
1.3.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	24
1.3.5	ऋणों पर प्रत्याभूति	24
1.3.6	अर्थ-साहाय्य	26
1.3.7	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम	26
1.4	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	27
1.5	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	31
1.6	राजस्थान वित्त निगम	34
1.7	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	39

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 परिचय

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे उनसे संबंधित अधिनियमों के अनुसार अकेले सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के लेखों की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है । सी.ए.जी. अलग से भी इनकी लेखापरीक्षा करता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियां

1.2.1 सामान्य अवलोकन

31 मार्च 1995 को कुल निवेश 801.27 करोड़ रुपये (अंश पूंजी : 262.88 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण : 538.39 करोड़ रुपये) के साथ 17 कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) के समक्ष 31 मार्च 1996 को कुल निवेश 896.32 करोड़ रुपये (अंश पूंजी : 284.03 करोड़ रुपये ; दीर्घावधि ऋण : 612.29 करोड़ रुपये) के साथ 19 सरकारी कम्पनियां (तीन सहायक कम्पनियों सहित) थी। केवल एक मानी गई सरकारी कम्पनी राजस्थान राज्य सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड 30 मार्च 1996 से सरकारी कम्पनी बन गई एवं एक नई सरकारी कम्पनी राजस्थान राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का 6 अप्रैल 1995 को निगमन हुआ।

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (रुपये करोड़ों में)
(अ) कार्यरत कम्पनियां	13	279.06
(ब) अकार्यरत कम्पनियां		
(i) अप्रचलित कम्पनियां	6	4.97
(ii) परिसमापन कम्पनियां	शून्य	शून्य

अप्रचलित छः कम्पनियों में से किसी को भी बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द नहीं किया गया।

1.2.2 समस्त सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमशः अनुबन्ध-II एवं III में दिये गये है।

इन कम्पनियों में नीचे यथा विस्तृत क्षेत्रवार निवेश था:

अंश पूंजी एवं ऋण

विभाग/सार्वजनिक उपक्रम का प्रकार	यथा वर्ष के अन्त में						1995-96 में ऋण-अंश पूंजी अनुपात	टिप्पणी
	1995-96			1994-95				
	संख्या	अंश (रुपये करोड़ों में)	ऋण	संख्या	अंश (रुपये करोड़ों में)	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि								
अ. सरकारी कम्पनियां	3	15.22	10.33	2	8.88	0.33	0.68:1	
ब. मानी गई सरकारी कम्पनियां	-	-	-	1	2.33	शून्य	-	
वन एवं पर्यावरण	1	0.19	शून्य	1	0.19	शून्य	-	
भू जल	1	1.27	शून्य	1	1.27	शून्य	-	
उद्योग								
अ. सरकारी कम्पनियां	3	158.53	477.39	3	149.01	423.06	3.01:1	
ब. सहायक कम्पनियां	1	0.30	1.88	1	0.30	1.95	6.27:1	
खान								
अ. सरकारी कम्पनियां	2	78.06	83.76	2	78.06	83.55	1.07:1	
ब. सहायक कम्पनियां	2	1.53	0.42	2	1.53	0.42	0.27:1	
सार्वजनिक निर्माण	1	10.00	17.68	1	5.00	6.60	1.77:1	
राजकीय उपक्रम	2	3.72	6.01	2	3.73	8.13	1.62:1	
पर्यटन	2	14.91	14.82	2	14.91	14.35	0.99:1	
ऊर्जा	1	0.30	शून्य	-	-	-	-	
कुल योग	19	284.03	612.29	18	265.21	538.39	2.16:1	

चार्ट - I

31 मार्च 1996 को सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

(रूपये करोड़ों में)

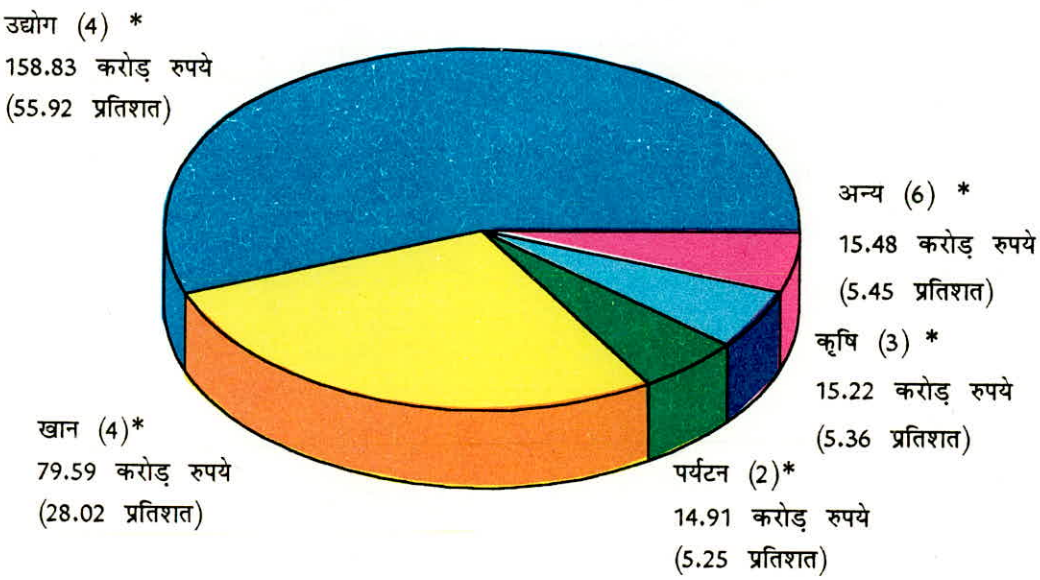

* यह क्षेत्र में कम्पनियों की संख्या दर्शाता है।

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2.2)

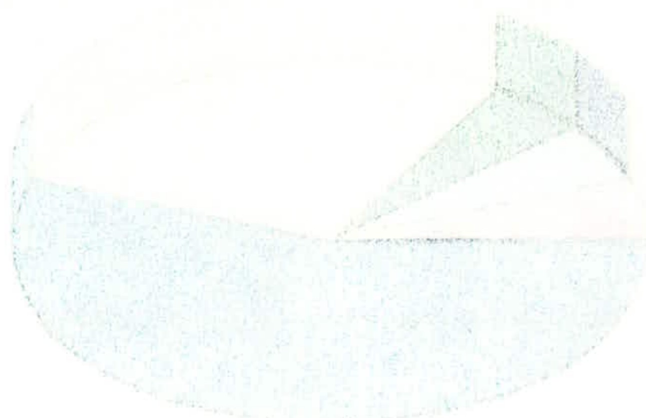

निवेशों का विश्लेषण

(अ) निवेशों में 1995-96 में बढ़ोतरी में निम्न सम्मिलित हैं:

क्रम संख्या	निवेश में बढोतरी/घटोतरी के कारण	कम्पनियों की संख्या	रुपये करोड़ों में
1.	विद्यमान कम्पनियों की अंश पूंजी में वृद्धि	3	(+)14.51
2.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में वृद्धि	6	(+)66.46
3.	विद्यमान कम्पनियों की अंश पूंजी में घटोतरी	-	-
4.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में घटोतरी	4	(-)02.56
5.	पूर्व में मानी गई सरकारी कम्पनी की अंश पूंजी	1	(+)06.34
6.	पूर्व में मानी गई सरकारी कम्पनी के ऋण	1	(+)10.00
7.	नई निगमित सरकारी कम्पनी की अंश पूंजी	1	(+)00.30
	योग	-	(+)95.05

(ब) राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान किसी भी सरकारी कम्पनी में अपने अंशों का विनिवेश नहीं किया।

1.2.3 प्रत्याभूतियां, बजट से जावक तथा बकाया का अधित्याग

वर्ष 1995-96 के अंत में प्रत्याभूतियों तथा बजट से जावक की स्थिति अनुबन्ध- II तथा IV में दी गई है।

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1995-96 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण एवं साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

तथा 31 मार्च 1996 को बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका मे बताई गई है:

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियां	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि			31 मार्च 1996 को बकाया प्रत्याभूत राशि
		1993-94	1994-95	1995-96	
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	-	-	1.80	1.80
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	3.25	261.15	33.75	408.47
3.	आयात के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक आदि द्वारा खोले गए साख पत्र	-	-	-	-
4.	संविदाओं के विदेशी परामर्शकों के साथ अनुबंध के अन्तर्गत भुगतान दायित्व	-	-	-	-

प्रत्याभूति, ऋण एवं ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिये थी। केवल एक सरकारी कम्पनी (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड) को छोड़कर जहां प्रत्याभूति केवल ऋण के लिए थी ब्याज के लिए नहीं। पुनर्भुगतान में चूक का ऐसा कोई मामला नहीं था। सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को चुकाया गया/चुकाने योग्य प्रत्याभूति कमीशन वर्ष 1995-96 के लिये 1.08 करोड़ रुपये था।

(ब) बजट से जावक तथा बकाया का अधित्याग

(i) राज्य सरकार से 1993-94 से 1995-96 के दौरान 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंश पूंजी, ऋण तथा अर्थ-साहाय्य के रूप में दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
		(रूपये करोड़ों में)		
1.	बजट से दी गई अंश पूंजी	27.32	24.92	18.82
2.	बजट से दिये गये ऋण	0.12	7.59	39.21
3.	अर्थ-सहाय्य	7.72	6.15	25.82
	कुल जावक	35.16	38.66	83.85

(ii) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को देय कोई राशि, अपलिखित ऋण अथवा ब्याज अधित्याग अथवा ऋण पुनर्भुगतान स्थगन स्वीकृति के रूप में पुर्वानुमित नहीं हुई।

1.2.4 लेखों को अंतिम रूप देना

विधायिका के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जवाबदेही निर्धारित समय सारणी में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को विधायिका को प्रस्तुत करके प्राप्त की जाती है। 19 सरकारी कम्पनियों में से 6 कम्पनियों के 11 लेखे 1 से 5 वर्षों (31 अक्टूबर 1996) के मध्य की अवधि से बकाया थे जैसा कि अनुबन्ध-III में दर्शाया गया है।

इन कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार 9 कम्पनियों को 3.30 करोड़ रुपये की हानियां हुई तथा शेष 9 कम्पनियों ने 52.42 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है:-

क्र. सं.	कम्पनियों की संख्या*	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभ		हानि	
			कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि
				(रुपये करोड़ों में)		
1.	13	1995-96	7	52.11	6	1.93
2.	3	1994-95	2	0.31	1	0.82
3.	1	1993-94	-	-	1	0.54
4.	1	1990-91	-	-	1	0.01
योग	18		9	52.42	9	3.30

प्रशासनिक विभागों को यह देखकर आश्वस्त होना होता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित समय सीमा में कम्पनियों द्वारा उनके लेखों को अंतिम रूप देकर वार्षिक आम सभा में अंगीकृत कर लिये गये हों। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा सरकारी अधिकारियों को लेखापरीक्षा द्वारा त्रैमासिक रूप से बकाया की स्थिति से अवगत कराया जाता है, सरकार द्वारा 5 कम्पनियों के लेखों को समय पर अंतिम रूप दिये जाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये। लेखों को

* 1995-96 में निगमित नई कम्पनी ने अपने इस वर्ष के लेखे प्रस्तुत नहीं किये ।

अंतिम रूप देने में बकाया की स्थिति को मुख्य सचिव के ध्यान में आखिरी बार नवम्बर 1996 में लाया गया था। इन कम्पनियों द्वारा समय सारणी का पालन नहीं किये जाने से इन कम्पनियों में किये गये निवेश की पर्याप्त रूप से जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

1.2.5 कार्यचालन परिणाम

1.2.5.1 लाभ अर्जित कर रही कम्पनियां

वर्ष के दौरान 9 कम्पनियों ने, जिन्होंने 1995-96 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों में लेखों को अंतिम रूप दिया, 52.42 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इनमें से 6 कम्पनियों ने दो या अधिक वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया। 6 कम्पनियों में मुक्त संचय तथा अतिरेक 19.28 करोड़ रुपये से बढ़ गया।

1.2.5.2 लाभ एवं लाभांश

वर्ष 1995-96 के लेखों को अक्टूबर 1996 तक अंतिम रूप देने वाली 13 कम्पनियों में से 7 कम्पनियों ने 237.15 करोड़ रुपये की कुल पूंजी पर 52.11 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। जिन कम्पनियों ने 1995-96 में लाभांश घोषित किया उनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अर्जित लाभ	घोषित लाभांश	
			प्रतिशत	राशि
			(राशि: रुपये लाखों में)	
1.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	1726.22	1	140.40
2.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1986.23	5	308.63
3.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	810.67	8	40.55
4.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	16.64	5.85* 11**	7.59
5.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	42.78	5	5.34
	योग	4582.54		502.51

* संचयी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर

** शोधनीय पूर्वाधिकार अंशो पर

1.2.5.3 हानि उठा रही कम्पनियां

नवीनतम उपलब्ध लेखों (अक्टूबर 1996) के अनुसार 5 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त-पूंजी क्षय कर दी थी क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानियां इनकी प्रदत्त-पूंजी से अधिक हो गई थी जैसा कि निम्न तालिका में बताया गया है। हानि उठा रही 9 कम्पनियों में से 8 कम्पनियों ने क्रमागत दो अथवा अधिक वर्षो से हानि उठाई।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	अभ्युक्तियां
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड	0.08	0.17	विनिर्माण सुविधाएं पट्टे पर दी गई; पट्टे की आय, स्थापना व्यय से भी कम है।
2.	राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	6.01	16.17	अल्प पण्यावर्त तथा अधिक उपरिव्यय के कारण हानियां हुई। कम्पनी समापन की प्रक्रिया में है।
3.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल्स लिमिटेड	0.19	0.51	आयातित मशीनरी स्थानीय ग्रेनाइट के लिये उपयुक्त नहीं है। कम्पनी समापन में है।
4.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	0.30	2.10	कम्पनी समापन में है।
5.	राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2.38	2.69	अल्प पण्यावर्त तथा अधिक उपरिव्यय
	योग	8.96	21.64	

1.2.5.4 लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने अथवा इसे अनुपूरक करने का अधिकार है। तद्नुसार, सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की चयनित आधार पर समीक्षा की जाती है। अक्टूबर

1995 से अक्टूबर 1996 की अवधि के दौरान प्राप्त 17 कम्पनियों के 20 लेखों में से 13 कम्पनियों के 16 लेखे समीक्षा हेतु चयनित किये गये। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप निम्न महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इन कम्पनियों में से एक, यथा-राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, के लेखों (1995-96) पर की गई :

(i) केवल लघु अवधि की जमाओं पर बैंकों से ब्याज के अशुद्ध लेखन के कारण 31.95 लाख रुपये से ब्याज कम करके बताया गया, तथा

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में दी गई दरों को अंगीकृत करने के बजाय आयकर नियम, 1962 के अनुसार ह्रास निर्धारण के परिणामस्वरूप 2. 61 लाख रूपये के ह्रास का कम प्रावधान हुआ।

नवीनतम उपलब्ध लेखों पर आधारित सभी 19 कम्पनियों के वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-III में दिये गये हैं।

(अ) निवेशित पूंजी पर प्रतिफल

पूंजी ढांचा कम्पनी से कम्पनी में अलग होता है तथा कम्पनियों को दिये गये दीर्घावधि ऋण पर ब्याज की दरें एक समान नहीं होने के कारण इन कम्पनियों के लाभों की तुलना पूर्ण रूप से इन लेखों में प्रदर्शित लाभ अथवा हानि से करना अवास्तविक होगा। इसलिये एक समान आधार पर परिणामों का अध्ययन करने के लिये निवेशित पूंजी में कुल प्रदत्त-पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित हानि को कम करके मुक्त संचय को लिया गया। इसी प्रकार प्रतिफल में केवल लेखों में बताये गये लाभ अथवा हानि (कर एवं पूर्व अवधि समायोजन से पूर्व) को ही नहीं अपितु दीर्घावधि ऋण पर प्रदत्त ब्याज को भी लिया गया है। इस आधार पर 18 कम्पनियों* में कुल निवेश 986.07 करोड़ रुपये पर प्रतिफल 120.37 करोड़ रुपये (अक्टूबर 1996 तक अंतिम रूप दिये गये नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार) प्राप्त हुआ, जो पूर्व वर्ष में 17 कम्पनियों के लिये 6.46 प्रतिशत की तुलना में 12.21

---

* राजस्थान राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़ कर जिस का निगमन अप्रेल 1995 में हुआ।

चार्ट - II

सरकारी कम्पनियों में निवेशित पूंजी पर प्रतिफल

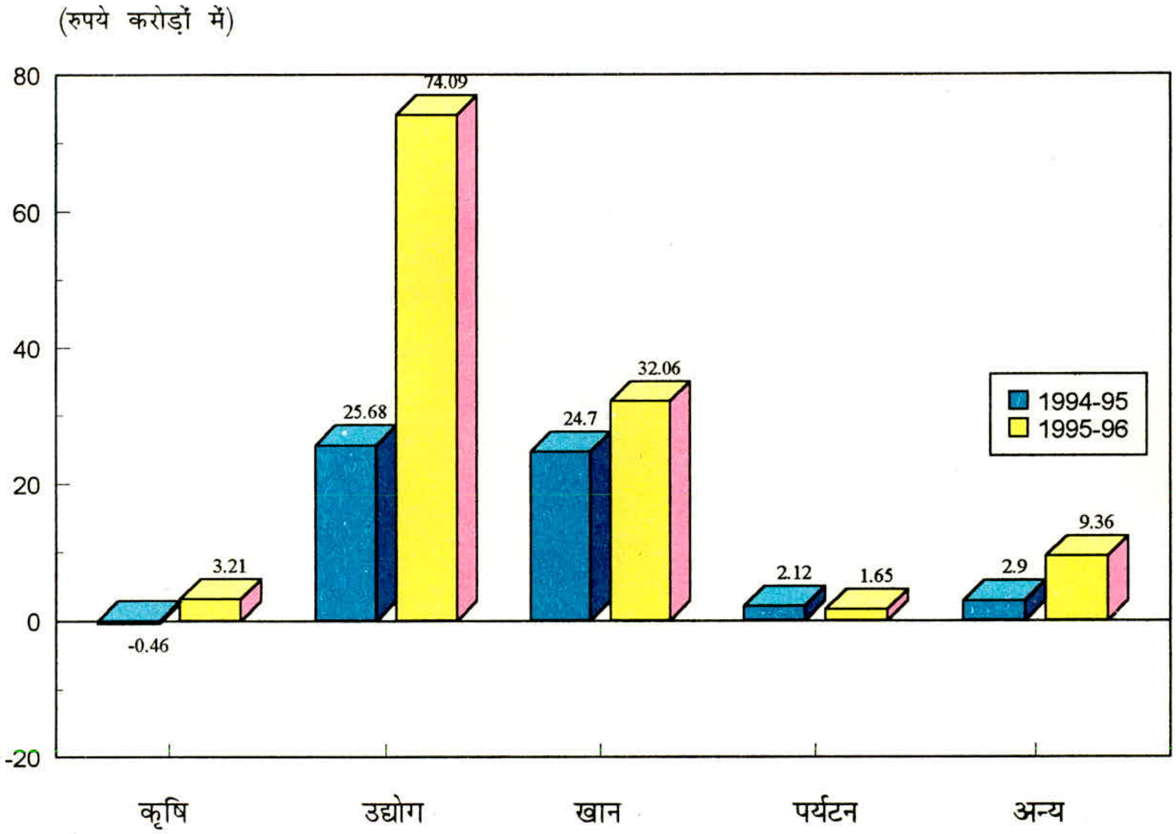

{सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2.5.4 (अ)}

प्रतिशत होता है। विभिन्न क्षेत्रों की कम्पनियों में निवेशित पूंजी पर प्रतिफल निम्न प्रकार था:

क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिफल	निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
		(रुपये करोड़ों में)		
कृषि	3 (2)	25.57 (9.22)	3.21 {(-)0.46}	12.55 (शून्य)
वन एवं पर्यावरण	1	0.19 (0.19)	(-) 0.01 {(-)0.01}	(शून्य) (शून्य)
भू-जल	1	1.27 (1.27)	0.02 {(-)0.09}	1.82 (शून्य)
उद्योग	4	673.31 (597.69)	74.09 (25.68)	11.00 (4.30)
खान	4	208.90 (199.77)	32.06 (24.70)	15.35 (12.37)
सार्वजनिक निर्माण	1	35.88 (6.16)	8.18 (1.85)	22.80 (30.03)
राजकीय उपक्रम	2	10.48 (10.66)	1.17 (1.15)	11.16 (10.79)
पर्यटन	2	30.47 (24.84)	1.65 (2.12)	5.42 (8.53)
योग	18 (17)	986.07 (849.80)	120.37 (54.94)	12.21 (6.46)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के है।

(ब) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी में निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो को छोड़कर) तथा कार्यशील पूंजी के योग को लिया गया है। उधार ली गई निधियों पर ब्याज लाभ-हानि खातों में दर्शित लाभ/ हानि में जोड़ा/घटाया जाता है। नवीनतम उपलब्ध लेखों (अक्टूबर 1996) के अनुसार 18 कम्पनियों में कुल नियोजित पूंजी 983.80 करोड़ रुपये थी तथा इन पर प्रतिफल 128.38 करोड़ रुपये(13.05 प्रतिशत) था जो पूर्ववर्ती वर्ष में 17 कम्पनियों के प्रतिफल 61.14 करोड़ रुपये (7.62 प्रतिशत) था ।

नियोजित पूंजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल का विवरण निम्न प्रकार था:

क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
		(रुपये करोड़ों में)		
कृषि	3 (2)	20.88 (6.23)	5.66 (0.65)	27.11 (10.43)
वन एवं पर्यावरण	1	0.06 (0.07)	(-)0.01 {(-) 0.01}	शून्य (शून्य)
भू-जल	1	1.19 (1.18)	0.02 {(-)0.09)}	1.68 (शून्य)
उद्योग	4	671.07 (553.97)	74.35 (25.87)	11.08 (4.67)
खान	4	212.33 (198.14)	35.93 (28.18)	16.92 (14.22)
सार्वजनिक निर्माण	1	35.87 (6.12)	8.82 (3.05)	24.59 (49.84)
राजकीय उपक्रम	2	19.01 (11.87)	1.96 (1.37)	10.31 (11.54)
पर्यटन	2	23.39 (25.27)	1.65 (2.12)	7.05 (8.38)
योग	18 (17)	983.80 (802.85)	128.38 (61.14)	13.05 (7.62)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के है।

1.2.6 सरकार द्वारा प्रवर्तित सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ऋण उपलब्ध करवाकर अथवा अंश पूंजी में निवेश करके राज्य के उद्योगों का विकास/संवर्धन करने में लगी हुई है। वर्ष 1995-96 के दौरान इस सरकारी कम्पनी द्वारा 9 इकाइयों के 3,91,500 अंशों का विनिवेश 85.23 लाख रुपये में किया जिनका अंकित मूल्य 39.15 लाख रुपये था।

चार्ट - III

सरकारी कम्पनियों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

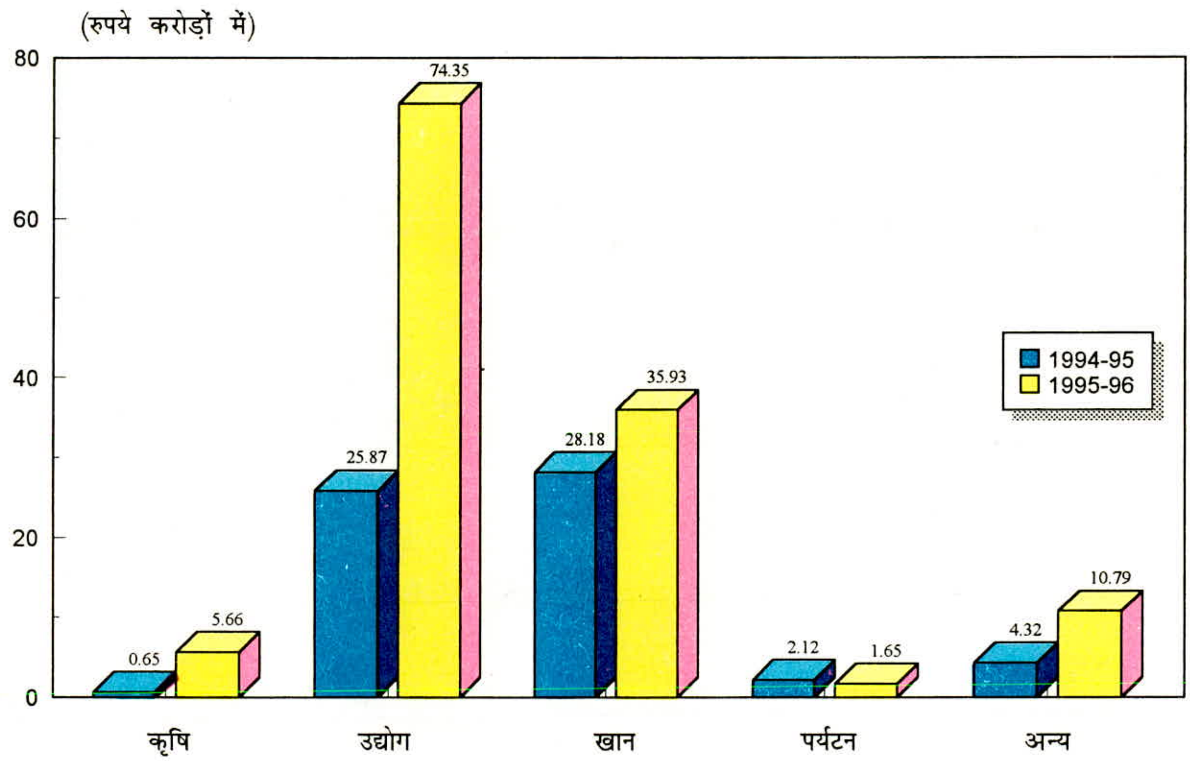

{सन्दर्भ: अनुच्छेद 1.2.5.4 (ब)}

इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2 अ पर एक समीक्षा 'प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश' 'रीको' द्वारा इससे सहायता में 'रीको' के विनिवेश पर विवेचनात्मक विश्लेषण है।

1.2.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके कार्यो एवं निष्पादन के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रकार के जारी निर्देशों की अनुपालना में वर्ष के दौरान 13 कम्पनियों के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए । सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान जिन कम्पनियों के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण किया गया उन कम्पनियों से सम्बन्धित बताये गये महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र. सं.	कमी का प्रकार	कम्पनियों की संख्या जिनमें कमी ध्यान में आई	अनुबन्ध-III के अनुसार कम्पनी की क्रम संख्या का सन्दर्भ
1.	लेखा पुस्तकों का सही रूप से संधारण नहीं करना	8	1,6,7,8,14,16,17,18
2.	लेनदारों/देनदारों तथा अन्य देयताओं का पुनर्मिलान नहीं करना	10	1,4,6,7,10,12,13, 16,17,18
3.	देयताओं का प्रावधान नहीं करना जिसमें लाभ का आधिक्य अथवा हानि में कमी दर्शित हुई	12	1,4,5,6,7,9,10,11, 12,13,16,17
4.	बैंक तथा व्यक्तिगत जमा खातों का मिलान नहीं करना	3	1,17,16
5.	उचित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना व्यय करना	1	6
6.	कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन	5	2,5,13,16,18
7.	भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप कमी/आधिक्य का प्रभाव नहीं देना	2	13,17
8.	अंतिम मालसूची/सम्पत्तियों का नहीं मिलना	3	10,13,18

1.2.8 क्षमता उपयोजन

सभी चार विनिर्माण कम्पनियों की स्थापित क्षमता के उपयोजन की प्रतिशतता अनुबन्ध-V में दी गई है। कम्पनियों द्वारा आंकलित आंकड़े क्षमता अथवा उत्पादन, संभाव्यता, लक्ष्यित तथा प्राप्त मानक मानव घण्टे की इकाई के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये गये। इन इकाइयों के अनुसार अनुश्रवण वांछित है।

1.2.9 619 बी कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत 31 मार्च 1996 को कोई कम्पनी नहीं थी ।

1.2.10 अन्य निवेश

यद्यपि राज्य सरकार ने छः कम्पनियों में 10 लाख रुपये और अधिक का निवेश किया है, सरकार अथवा सरकार की/सरकारी नियन्त्रण की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा 51 प्रतिशत अंशों से कम धारित करने से यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं है। इन कम्पनियों की सूची अनुच्छेद-I में दी हुई है।

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1996 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे। इन निगमों की लेखा परीक्षण व्यवस्था नीचे दर्शाई गई है:

क्र. सं.	निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन किया गया	गठन की दिनांक	लेखापरीक्षा व्यवस्था	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत किया गया	सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948	1 जुलाई 1957	सी.ए.जी एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1994-95	1994-95	अधिनियम की धारा 69(2)
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950	1 अक्टूबर 1964	सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1994-95	1993-94	अधिनियम की धारा 33(2)
3.	राजस्थान वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951	17 जनवरी 1955	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1995-96	1994-95	अधिनियम की धारा 37(6)
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित)	30 दिसम्बर 1957	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1995-96	1994-95	1962 के अधिनियम की धारा 31(8)

1.3.2 निवेश

इन निगमों में 31 मार्च 1995 को कुल निवेश 4984.09 करोड़ रुपये (इक्विटी 804.25 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 4179.84 करोड़ रुपये) के समक्ष 31 मार्च 1996 को कुल निवेश 5435.09 करोड़ रुपये (इक्विटी 1094.97 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 4340.12 करोड़ रुपये) था:

विभाग (निगम का नाम)	वर्ष के अंत में				1995-96 में डेब्ट इक्विटी अनुपात	अभ्युक्तियां
	1995-96		1994-95			
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण		
			(रुपये करोड़ों में)			
ऊर्जा (राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल)	913.09*	3731.53*	623.09	3595.26	4.09:1*	
यातायात (राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम)	107.95*	37.89*	107.95	55.91	0.35:1*	
उद्योग (राजस्थान वित्त निगम)	67.53	568.90	67.53	526.97	8.42:1	
कृषि (राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम)	6.40	1.80	5.68	1.70	0.3:1	
योग	1094.97	4340.12	804.25	4179.84		

1.3.3 निगमों का लाभ/हानि

इन चार निगमों द्वारा उनके नवीनतम लेखों पर आधारित अर्जित लाभ/उठाई गई हानि की स्थिति अनुबन्ध-VI में दर्शायी गयी है।

* अनन्तिम

1.3.4 लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

चार निगमों के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार चारों निगमों ने 115.59 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभ/अधिशेष	हानि/कमी
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.)	1994-95	77.07	-
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (रा.रा.स.प.नि.)	1994-95	24.16	-
3.	राजस्थान वित्त निगम (रा.वि.नि.)	1995-96	11.20*	-
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (रा.रा.भ.नि.)	1995-96	3.16	-
	योग		115.59	-

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने उनके 1995-96 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 1996)।

1.3.5 ऋणों पर प्रत्याभूति

1995-96 तक के तीन वर्षो में इन निगमों को बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण तथा साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा 31 मार्च 1996

* वर्ष का लाभ कर प्रावधान (4.12 करोड़ रुपये) को शुद्ध लाभ में जोड़ने के पश्चात्।

को इनके सामने बकाया नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

क्र. सं.	प्रत्याभूतियां	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि 1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)	31 मार्च 1995 को बकाया प्रत्याभूत राशि (अनन्तिम)
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	234.77	370.10**	459.01	1757.36
3.	आयात के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये साख पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों के साख अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बजट से जावक इक्विटी तथा ऋण

1995-96 के दौरान चार निगमों को इक्विटी पूंजी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार से जावक की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	बजट से इक्विटी पूंजी जावक	19.33	4.75	290.25
2.	बजट से दिया गया ऋण	388.56	285.61	385.65

1995-96 के दौरान चार निगमों द्वारा भुगतान किये गये/किये जाने वाले

** राज्य सरकार से 19.00 करोड़ रुपये की प्रत्याभूतियां प्रतीक्षित है।

प्रत्याभूति कमीशन तथा 31 मार्च 1996 को बकाया की स्थिति नीचे दी गई है:

निगम का नाम	1995-96 के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याभूति कमीशन	31 मार्च 1996 को बकाया प्रत्याभूति कमीशन
	(रुपये करोड़ों में)	
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	9.71*	1.92*
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	0.04*	शून्य
राजस्थान वित्त निगम	2.34	शून्य
राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	0.01	शून्य
योग	12.10	1.92

1.3.6 अर्थ साहाय्य

1995-96 में समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान दो निगमों द्वारा प्राप्त अर्थ साहाय्य निम्न प्रकार था:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य		
		1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	424.94	487.19	226.25
2.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	शून्य	0.31	0.57
	योग	424.94	487.50	226.82

1.3.7 सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम

निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, कार्यचालन परिणाम अनुबन्ध-VI में संक्षेपित किये गये हैं। इन निगमों के लेखों तथा भौतिक निष्पादन के बारे में मुख्य बिन्दु नीचे अनुच्छेद 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

---

* अनन्तिम

1.4 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

1.4.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की वर्ष 1994-95 के प्रत्येक तीन वर्षों में वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित की गई है:-

	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	- अंश पूंजी	623.09	623.09	623.09
	- राज्य सरकार के ऋण	1178.62	1536.27	1770.08
	- अन्य दीर्घकालीन ऋण (बॉण्ड्स सहित)	1057.04	1305.15	1825.18
	- जनता से निक्षेप	90.01	112.46	139.12
	- आरक्षित	303.09	349.90	421.90
	- चालू देयताएं एवं प्रावधान	955.44	947.62	1184.92
	योग-अ	4207.29	4874.49	5964.29
ब.	सम्पत्तियां			
	- स्थायी सम्पत्तियां	3252.87	3705.57	4103.33
	- घटायें-मूल्य ह्रास	700.73	853.88	1058.46
	- निवल स्थायी सम्पत्तियां	2552.14	2851.69	3044.87
	- निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	538.42	785.38	789.81
	- आस्थगित लागत	3.14	3.19	3.85
	- चालू परिसम्पत्तियां	584.10	774.86	1743.46
	- संचित हानि	529.49	459.37	382.30
	योग-ब	4207.29	4874.49	5964.29
स.	नियोजित पूंजी*	2180.06	2678.07	3602.55
द.	निवेशित पूंजी**	3251.85	3926.87	4779.37

* नियोजित पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को छोड़कर) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

** निवेशित पूंजी दीर्घकालीन ऋण, पूंजी तथा मुक्त आरक्षितों के योग की द्योतक है।

1.4.2 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 1994-95 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित है:

क्र.सं.	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	(अ) राजस्व प्राप्तियां	1250.01	1436.98	1797.82
	(ब) राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य	286.47	424.94	489.82
	योग	1536.48	1861.92	2287.64
2.	राजस्व व्यय*	1167.03	1430.19	1674.60
3.	सकल अधिशेष (1-2)	369.45	431.73	613.04
4.	उपयोजन			
	(अ) मूल्य ह्रास	132.25	151.02	255.30
	(ब) ब्याज			
	- राज्य सरकार के ऋण पर	101.42	144.81	183.94
	- केन्द्रीय सरकार के ऋण पर	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य ऋण एवं बॉण्ड्स पर	120.31	142.15	203.52
	योग (ब)	221.73	286.46	387.46
	(स) घटायें- पूंजीगत किया गया ब्याज	42.58	59.70	77.79
	(द) निवल ब्याज	179.15	227.26	309.67
	(य) अमूर्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन	शून्य	शून्य	शून्य
	योग {4(अ)+4(द)}	311.40	378.28	564.97
5.	पूर्व अवधि समायोजन	(+) 6.99	(+) 16.67	(+) 29.00
6.	निवल आधिक्य (+)/कमी(-) (3-4+5)	(+)65.04	(+)70.12	(+)77.07
7.	नियोजित एवं निवेशित पूंजी पर कुल परिलाभ (निवल आधिक्य एवं निवल ब्याज का योग)	244.19	297.38	386.74
8.	परिलाभ की प्रतिशतता			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	11.20	11.10	10.73
	(ब) निवेशित पूंजी पर	7.51	7.57	8.09

* राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास तथा ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

1.4.3 निम्नलिखित तालिका राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 1994-95 तक के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान परिचालन निष्पादन दर्शाती है:

क्र.सं.	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95*
1.	स्थापित क्षमता		(मेगावाट में)	
	(अ) थर्मल	765.00	975.00	975.00
	(ब) हाइडल	967.57	968.77	971.07
	(स) डीजल+माइक्रो हाइडल	-	-	3.00
	योग	1732.57	1943.77	1949.07
2.	उत्पादित ऊर्जा		(एम.के.डब्ल्यू.एच. में)	
	(अ) थर्मल	4933.15	5146.52	4837.35
	(ब) हाइडल	3658.78	3382.01	3936.49
	(स) डीजल+माइक्रो हाइडल	-	-	-
	योग	8591.93	8528.53	8773.84
3.	घटाएं-गौण खपत	630.28	640.19	623.20
3अ.	मानक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	निवल उत्पादित ऊर्जा	7961.65	7888.34	8150.64
5.	खरीदी गई ऊर्जा	6704.85	7511.62	8272.86
6.	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा (4+5)	14666.50	15399.96	16423.50
7.	बेची गई ऊर्जा	11077.99	11521.52	12323.13
8.	संचरण एवं वितरण हानि	3588.51	3878.44	4100.37
9.	प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता पर उत्पादित इकाइयां	4959.07	(संख्या में) 4387.62	4501.55

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

क्र.सं.	विवरण	1992-93		1993-94		1994-95*	
				(प्रतिशत)			
10.	संयंत्र भार घटक	69.92		69.65		70.19	
	(अ) हाइडल (ब) थर्मल (स) डीजल+माइक्रो हाइडल	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
11.	स्थापित क्षमता से उत्पादन की प्रतिशतता	80.96		71.91		73.21	
12.	उत्पादन से संचरण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता (8÷6)	24.47		25.18		24.97	
				(संख्या में)			
13.	वर्ष के अंत में विद्युतिकृत गांवों/ कस्बों की संख्या	29,449		30,205		30,959	
14.	वर्ष के अंत में ऊर्जाकृत पम्प सेटों/कुओं की संख्या	4,29,171		4,52,044		4,76,948	
	(अ) निजी ट्यूबवैलो	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
	(ब) राजकीय ट्यूबवैलो	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
15.	योजित भार (मेगावाट)	6574.08		7189.20		7839.89	
16.	उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	36.70		40.24		41.95	
17.	कर्मचारियों की संख्या	59,008		57,450		56,846	
18.	प्रति मिलियन किलोवाट पर कर्मचारियों की लागत (रुपये लाखों में)	1.59		1.72		1.81	
19.	उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार ऊर्जा विक्रय का वितरण	उप भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत	उप भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत	उप भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत
	(अ) कृषि	29.26	9.04	30.57	8.46	31.54	6.98
	(ब) औद्योगिक	39.22	61.75	38.08	60.96	40.73	62.67
	(स) वाणिज्यिक	4.36	6.79	4.68	7.16	5.05	7.64
	(द) घरेलू	12.15	9.46	13.53	9.98	13.99	10.11
	(य) अन्य	15.01	12.96	13.14	13.44	8.69	12.60
				(पैसों में)			
20.	(अ) प्रति किलोवाट राजस्व (अर्थ साहाय्य को छोड़कर)	112.84		124.72		145.89	
	(ब) प्रति किलोवाट व्यय	133.56		156.96		181.74	
	(स) लाभ (+)/हानि(-)	(-)20.72		(-)32.24		(-)35.85	

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

1.5 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की वर्ष 1994-95 तक के तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के अन्त में वित्तीय स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
		(रुपये करोड़ों में)	
अ. देयताएं			
पूंजी	87.90	107.95	107.95
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	4.66	4.99	22.80
उधारियां	78.66	72.46	55.91
व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं	35.17	42.31	47.68
योग-अ	206.39	227.71	234.34
ब. परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	183.63	228.83	259.82
घटाएं: मूल्य ह्रास आरक्षित	68.69	80.01	88.80
निवल स्थाई सम्पत्तियां	114.94	148.82	171.02
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.84	1.15	1.61
निवेश	2.05	8.30	5.00
चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	35.30	40.84	43.84
अमूर्त परिसम्पत्तियां (आस्थगित राजस्व व्यय)	23.81	22.08	12.87
संचित हानि	29.45	6.52	-
योग-ब	206.39	227.71	234.34
स. नियोजित पूंजी*	117.11	155.13	171.73
द. निवेशित पूंजी**	139.44	176.22	183.80

* नियोजित पूंजी, निवल स्थाई सम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

** निवेशित पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा अर्थ सहायता एवं अनुदानों सहित मुक्त आरक्षितों के योग की द्योतक है।

1.5.2 रा.रा.स.प.नि. के 1994-95 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:

क्र.सं	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	कुल राजस्व (परिचालन एवं गैर परिचालन)	270.08	336.18	386.97
2.	कुल व्यय (परिचालन एवं गैर परिचालन*)	232.34	276.12	324.77
3.	वर्ष का लाभ, मूल्य ह्रास ब्याज एवं लाभांश के पूर्व घटाएं	(+)37.74	(+)60.06	(+)62.20
	(अ) मूल्य ह्रास	16.61	20.90	25.86
	(ब) ब्याज	13.32	15.36	10.56
	(स) प्रभार के रूप में लाभांश	-	-	2.39
4.	पूर्व अवधि समायोजन	(-)1.89	(-)0.84	(+)0.77
5.	निवल लाभ	(+) 5.92	(+) 22.96	(+)24.16
6.	कुल परिलाभ			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	19.24	38.32	34.72
	(ब) निवेशित पूंजी पर	13.82	31.97	31.98
7.	परिलाभ की प्रतिशतता			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	16.43	24.70	20.22
	(ब) निवेशित पूंजी पर	9.91	18.14	17.40
8.	निवल मूल्य**	60.78	103.76	127.89

* कुल व्यय में मूल्य ह्रास एवं ऋण पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

** निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा अमूर्त सम्पत्तियों को घटाकर मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

1.5.3 निम्नलिखित तालिका रा.रा.स.प.नि. के 1995-96 तक के तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष की भौतिक कार्यदक्षता दर्शाती है:-

क्र.सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96* (अनन्तिम)
1.	उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	3857	4164	4484
2.	चालू वाहनों की औसत संख्या	3443	3738	4049
3.	बेड़ा उपयोजन (प्रतिशतता)	89	90	90
4.	वर्ष के अन्त में तय किये गये मार्ग किलोमीटर	393572	450237	461822
5.	परिचालन आगारों की संख्या	42	43	44
6.	तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
	(अ) सकल किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	3871.59	4238.68	4579.79
	- भाड़े की बसें	418.45	502.82	559.50
	(ब) प्रभावी किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	3746.34	4094.86	4393.80
	- भाड़े की बसें	418.45	502.82	559.50
	(स) स्वयं की बसों के निष्फल किलोमीटर	125.25	143.82	185.99
	(द) स्वयं की बसों के सफल किलोमीटरों से निष्फल किलोमीटरों की प्रतिशतता	3.24	3.39	4.06
	(य) मानक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	तय किये गये औसत किलोमीटर (बस/दिवस)			
	- स्वयं की बसें	298	300	296
	- भाड़े की बसें	473	478	479
8.	औसत राजस्व (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	789	826	850
	- भाड़े की बसें	728	736	उपलब्ध नहीं

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

क्र.सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96* (अनन्तिम)
9.	औसत व्यय (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	767	811	833
	- भाड़े की बसें	364	395	उपलब्ध नहीं
10.	प्रति किलोमीटर लाभ (पैसों में)			
	- स्वयं की बसें	22	15	17
11.	प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की संख्या	0.27	0.26	0.24
12.	प्रति लाख कि.मी. पर ब्रेक डाउन की संख्या	3	3	3
13.	निर्धारित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	2165.69	2390.79	2575.72
14.	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	1589.61	1757.23	1851.94
15.	अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	73.4	73.5	71.9
16.	सम-विच्छेद (ब्रेक इवन) अधिभोग (प्रतिशत)	70.4	69.7	उपलब्ध नहीं
17.	ईंधन खपत कि.मी. प्रतिलीटर	4.75	4.75	4.80
	मानक	4.78	4.78	4.78
18.	मरम्मत एवं संधारण/कि.मी (रुपये में)	0.60	0.57	उपलब्ध नहीं
19.	टायर लागत प्रति कि.मी. (रुपये में)			
	(अ) नये	0.45	0.47	उपलब्ध नहीं
	(ब) रिट्रेडेड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1.6 राजस्थान वित्त निगम

1.6.1 राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों के अन्त में प्रत्येक

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	प्रदत्त-पूंजी	63.03	67.53	67.53
	आरक्षित एवं अधिशेष	25.41	27.26	34.26
	उधारियां	483.02@	526.97@	568.90@
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान	68.18	90.67	123.13
	योग	639.64	712.43	793.82
ब.	परिसम्पत्तियां			
	निवल स्थाई सम्पत्तियां	1.75	2.49	3.52
	निवेश (लागत पर)	0.14	0.12	0.06
	ऋण एवं अग्रिम	533.79	574.61	628.19
	अन्य चालू सम्पत्तियां	77.15	99.28	126.20
	लाभ व हानि खाता	26.81	35.93	35.85
	योग-ब	639.64	712.43	793.82
	नियोजित पूंजी*	548.82	570.89	616.08
	निवल मूल्य**	61.63	58.86	65.94
	निवेशित पूंजी***	571.46	595.11	637.04

@ इसमें 23.55 करोड़ रुपये इक्विटी ऋण के सम्मिलित हैं।

* नियोजित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग का मध्यमान, बॉण्ड्स, आरक्षितें एवं अधिशेष, उधारियां तथा जमा की द्योतक है।

** निवल मूल्य, प्रदत्त-पूंजी तथा अमूर्त सम्पत्तियों को कम करके आरक्षितें एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

*** निवेशित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण एवं मुक्त आरक्षितों के योग की द्योतक है।

1.6.2 निम्नलिखित तालिका में राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों का विवरण दिया गया है:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	(अ) ब्याज एवं लाभांश	74.30	88.23	102.26
	(ब) अन्य आय	2.86	3.23	3.34
	योग (1)	77.16	91.46	105.60
2.	व्यय			
	(अ) ब्याज	50.10	57.38	60.56
	(ब) वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय सहित अन्य वित्तीय व्यय	17.67	22.94	26.43
	(स) मूल्य ह्रास	0.15	0.17	0.23
	(द) संदिग्ध एवं डूबत ऋण	8.43	9.07	2.68
	योग (2)	76.35	89.56	89.90
3.	कर एवं प्रावधान से पूर्व लाभ	0.81	1.90	15.70
4.	(अ) कर प्रावधान	-	-	4.12
	(ब) डूबत एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	9.00	9.17	4.50
5.	निवल लाभ (+)/हानि(-)	(-) 8.19	(-) 7.27	(+)7.08
6.	विशेष आरक्षित	0.80	1.85	7.00
7.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	शून्य	शून्य	शून्य
8.	लाभांश (प्रत्याभूत) भुगतान	3.64	3.75	4.02
9.	कुल परिलाभ			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	50.91	50.10	71.76
	(ब) निवेशित पूंजी पर	50.91	50.10	71.76
10.	परिलाभ की प्रतिशतता			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	9.28	8.78	11.65
	(ब) निवेशित पूंजी पर	8.91	8.42	11.26

1.6.3 निम्न तालिका में वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षो के दौरान राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उन के निपटारे की स्थिति दर्शायी है:

क्र.सं	आवेदन पत्रों का विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		संचयी	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					(राशि: रुपये करोड़ों में)				
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित	412	46.95	177	32.19	42	11.59	–	–
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	2867	224.14	2441	249.40	2297	255.93	83643	2844.14
3.	योग (1+2)	3279	271.09	2618	281.59	2339	267.52	83643	2844.14
4.	स्वीकृत किये	2168	165.77	1794	177.55	1770	163.44	63617	1751.60
5.	अस्वीकृत/वापस लिए गये/ बन्द किये गये	934	60.16	782	88.99	495	64.69	19952	901.23
6.	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित	177	32.19	42	11.59	74	23.75	74	23.75
7.	ऋण संवितरण	1804	106.32*	1534	120.72*	1411	131.66*	48471	1144.18*
8.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि (नगद आधार पर)	–	533.79	–	574.61	–	628.19	–	–
9.	वसूली हेतु अतिदेय राशि:								
	(अ) मूल	–	86.69	–	92.50	–	95.31	–	–
	(ब) ब्याज	–	71.44	–	76.95	–	83.09	–	–
	(स) योग	–	158.13	–	169.45	–	178.40	–	–
10.	कुल बाकी ऋणों से बकाया की प्रतिशतता	–	29.33	–	29.49	–	28.40	–	–

टिप्पणी: मद संख्या 3 के समक्ष दर्शायी गई राशि तथा मद संख्या 4,5 एवं 6 के समक्ष दर्शायी गई राशियों के योग का अन्तर प्राथित ऋण एवं स्वीकृत ऋण के बीच के अन्तर का द्योतक है।

---

* इनमें नई तथा पुरानी इकाइयों को संवितरित ऋण सम्मिलित है।

31 मार्च 1996 को ऋणियों से ऋण की बकाया राशि (ब्याज सहित) 628.19 करोड़ रुपये में से 178.40 करोड़ रुपये की राशि वसूली के लिये अतिदेय थी।

अतिदेय वसूलियों के बारे में कुछ अन्य बिन्दु नीचे दिये गये हैः

(i) 31 मार्च 1996 को अतिदेय ऋणों का विश्लेषण निम्न प्रकार थाः

विवरण	मूलधन	ब्याज	योग
		(रुपये करोड़ों में)	
एक वर्ष तक	16.12	11.18	27.30
एक वर्ष से अधिक	79.19	71.91	151.10
योग	95.31	83.09	178.40

(ii) निम्नलिखित तालिका वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के अन्त में दायर किये गये वादों तथा अन्य मामलों में अतिदेय राशि का विवरण दर्शाती हैः

वर्ष	अतिदेय राशि			कुल अतिदेय राशि से वाद दायर मामलों की अतिदेय राशि की प्रतिशतता
	वाद दायर किये गये मामलों में	अन्य मामलों में	योग	
	(रुपये करोड़ों में)			
1993-94	9.70	148.43	158.13	6.1
1994-95	7.95	161.50	169.45	4.7
1995-96	7.41	170.99	178.40	4.2

31 मार्च 1996 को 443 वाद के मामले लम्बित थे जिनमें 7.41 करोड़ रुपये की राशि समाहित थी।

1.7 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

1.7.1 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम की 1995-96 तक के तीन वर्षो के अन्त में वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	प्रदत्त-पूंजी	5.18	5.68	6.40
	आरक्षितें तथा अधिशेष	8.22	9.85	13.19
	उधारियां	1.47	1.70	1.80
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं	1.52	1.47	1.73
	योग-अ	16.39	18.70	23.12
ब.	परिसम्पत्तियां			
	सकल ब्लॉक	19.49	20.94	22.42
	घटाएं: मूल्य ह्रास	6.43	7.11	7.85
	निवल स्थाई सम्पत्तियां	13.06	13.83	14.57
	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.43	0.48	0.67
	चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	2.90	4.39	7.88
	योग-ब	16.39	18.70	23.12
स.	नियोजित पूंजी*	14.44	16.75	20.72
द.	निवेशित पूंजी**	14.52	16.53	20.07

* नियोजित पूंजी, निवल स्थाई सम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

** निवेशित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी तथा दीर्घावधि ऋणों तथा मुक्त आरक्षितें एवं अधिशेष के योग की द्योतक है।

1.7.2 निम्न तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के वर्ष 1995-96 तक के वर्षों के कार्यचालन परिणाम दर्शाती है:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	भण्डारण प्रभार	5.06	6.08	7.77
	अन्य आय	0.48	0.60	1.23
	योग- (1)	5.54	6.68	9.00
2.	व्यय			
	स्थापना प्रभार	3.18	3.53	3.89
	ब्याज	0.26	0.22	0.21
	गोदाम किराया	0.19	0.16	0.27
	अन्य व्यय	1.34	1.31	1.47
	योग- (2)	4.97	5.22	5.84
3.	लाभ	0.57	1.46	3.16
4.	अन्य विनियोजन, आरक्षितें आदि	0.48	1.30	2.80
5.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.09	0.16	0.36
6.	दिया गया/प्रावधित लाभांश	0.09	0.16	0.36
7.	कुल परिलाभ			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	0.83	1.68	3.37
	(ब) निवेशित पूंजी पर	0.83	1.68	3.37
8.	परिलाभ की प्रतिशतता			
	(अ) नियोजित पूंजी पर	5.75	10.03	16.26
	(ब) निवेशित पूंजी पर	5.72	10.16	16.79

7.3 निम्नलिखित तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों में बनाई गई भण्डारण क्षमता, उपयोग में ली गई क्षमता तथा कार्यदक्षता के बारे में अन्य सूचनाएं दर्शाती है:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96*
1.	आवृत स्टेशनों की संख्या	77	78	78
			(लाख टनों में)	
2.	वर्ष के अन्त तक बनाई गई औसत भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	4.22	4.32	4.54
	(ब) किराये की	0.52	0.39	0.60
	योग (2)	4.74	4.71	5.14
3.	वर्ष के दौरान उपयोग में ली गई औसत भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	2.78	2.86	3.67
	(ब) किराये की	0.48	0.35	0.54
	योग (3)	3.26	3.21	4.21
4.	उपलब्ध क्षमता का उपयोजन (प्रतिशत)	69	68	84
			(रुपयों में)	
5.	प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत राजस्व	170	208	213
6.	प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत व्यय	153	163	139
7.	प्रतिवर्ष प्रतिटन लाभ	17	45	74

* आंकड़े रा.रा.भ.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये।

अध्याय–II

सरकारी कम्पनियों की समीक्षाएँ

2अ. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)

– 'रीको' द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश

2ब. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

अध्याय-IIअ

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)

('रीको' द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश)

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियां	47
2अ.1	परिचय	50
2अ.2	संगठनात्मक-ढाँचा	50
2अ.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	51
2अ.4	इक्विटी निवेशों के लिए नीति/मार्ग-निर्देशों का अभाव	51
2अ.5	इक्विटी निवेश की श्रेणियां	51
2अ.6	इक्विटी और अवधि ऋणों पर परिलाभ की प्रत्याशा	52
2अ.7	अवधि ऋणों एवं इक्विटी के परिलाभों की तुलना	53
	- अवधि ऋणों के परिलाभ	
	- इक्विटी के परिलाभ	
2अ.8	विनिवेश नहीं करने के कारण छीजत	59
2अ.9	विनिवेशित इक्विटी पर परिलाभ की आन्तरिक दर	60
2अ.10	पोर्टफोलियो में बिक्री के अयोग्य शेयरों का भारी जमाव	62
2अ.11	शेयरों का परिचक्रण	67
	- शेयर जिनके भाव बोले जाते थे	
	- शेयर जिनके भाव नहीं बोले जाते थे	
2अ.12	विनिवेश पर दी गई रियायतें	75
2अ.13	बाजार-मूल्य से कम पर इक्विटी का विनिवेश	79
2अ.14	उपयुक्त अवसर पर बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों का निस्तारण नहीं करना	81
2अ.15	प्रणाली की कमियां	87
2अ.16	निष्कर्ष	87

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)

'रीको' द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित इक्विटी शेयरों का विनिवेश

झलकियां

- औद्योगिक उपक्रमों के विकास एवं वित्त के लिए 1979 में स्थापित राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इससे सहायता प्राप्त इकाइयों के शेयरों में निवेश करता रहा है। सत्रह वर्षो से समता निवेश के बाद भी ऐसे प्रकरणों जिनमें सहायता प्राप्त इकाई के शेयरों को खरीदना चाहिये तथा विनिवेश संचालन हेतु 'रीको' कोई ऐसी समेकित नीति एवं मार्ग-निर्देशों का निर्माण नहीं कर पाया।

(अनुच्छेद 2अ.1 तथा 2अ.4)

- इक्विटी में निवेश करना अवधि ऋणों के निवेश से कहीं अधिक जोखिमपूर्ण होने से इस पर परिलाभ की प्रत्याशा भी ऊंची होनी चाहिए। 'रीको' की इक्विटी तथा अवधि ऋणों से परिलाभों की प्रत्याशा इसके द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद (प्रवर्तकों द्वारा) तथा अवधि ऋणों से सम्बन्धित समझौतों में डाली गई ब्याज दरों सम्बन्धी शर्तो से ज्ञात होती है। इन दरों की तुलना से इंगित होता है कि रीको की अपने शेयरों के पुनर्खरीद में विनियोजन से परिलाभों की प्रत्याशा लगभग वैसी ही थी जैसी कि अवधि ऋंणों से परिलाभों से थी। परिलाभ की यह नीची प्रत्याशा शेयरों के क्रय में निहित जोखिम के अनुरूप नहीं थी।

(अनुच्छेद 2अ.6)

- 'रीको' द्वारा अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के विनिवेश को विवेकपूर्ण संचालित नहीं किया गया जैसा कि निम्नांकित से स्पष्ट होता है:

(अ) विनिवेश/अपलेखन तक शेयर धारण की औसत अवधि 16 वर्ष थी, जो कि कोषों के त्वरित परिचक्रण की दृष्टि से अत्यधिक थी।

(अनुच्छेद 2अ.7.2.2)

(ब) इक्विटी का धीमा विनिवेश तथा ऊंचे भावों के समय उन्हें बेचने के अवसरों की हानि ने न्यून वार्षिक परिलाभ मात्र 6 प्रतिशत अंशदानित किया। चूंकि लाभांशों से औसत वार्षिक परिलाभ मात्र 1 प्रतिशत था इसलिये इक्विटी विनियोजनों से कुल औसत वार्षिक परिलाभ 7 प्रतिशत रहे। इसकी अवधि ऋणों से तुलना करें तो औसत परिलाभ 16.44 प्रतिशत थे ।

(अनुच्छेद 2अ.7.2.3 तथा 2अ.7.2.6)

(स) एक इकाई के शेयरों के क्रय तथा उससे लाभांश प्राप्ति के प्रवाह के मध्य औसतन नौ वर्षो का समय-विलम्ब था।

(अनुच्छेद 2अ.9.3)

(द) 'रीको' ने केवल ऐसी इक्विटी का ही विनिवेश किया गया जो कि क्रय-मूल्य के बराबर अथवा अधिक थे तथा कमजोर निष्पादन वाली कम्पनियों के शेयरों को अपने पास ही पड़े रखा। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप:

(i) वर्ष 1995-96 को समाप्त हुए छः वर्षों के दौरान 82.19 लाख रुपये लागत के शेयर अपलिखित कर दिये गए।

(अनुच्छेद 2अ.8)

(ii) इसके पास 45 कम्पनियों (पोर्टफोलियो की कुल 95 कम्पनियों के समक्ष) जो पुनर्वासन/परिसमापन के अन्तर्गत चल रही थीं, में 9.91 करोड़ रुपये लागत के शेयर (31 मार्च 1996 को) थे।

{(अनुच्छेद 2अ.10(य)}

(iii) 31 मार्च 1996 को इसके पास 73 कम्पनियों के 31.84 करोड़ रुपये की लागत के ऐसे शेयर थे जिनकी तरलता कम थीं।

{(अनुच्छेद 2अ.10(अ)}

(य) पुनर्खरीद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी संतोषजनक निष्पादन वाली चार कम्पनियों के प्रबन्धन को अपने शेयर सूचीबद्ध करवाने अथवा 22.15 लाख रुपये लागत के शेयरों की पुनर्खरीद करने के लिए 'रीको' बाध्य नहीं कर सका था।

{(अनुच्छेद 2अ.10(द)}

(र) हालांकि पुनर्खरीद नहीं किये जाने वाले शेयरों को बाजार में बेचा जा सकता था लेकिन 'रीको' ने इनका निस्तारण प्रवर्तकों के माध्यम से करने को प्राथमिकता दी। चूंकि प्रवर्तक ऐसे शेयर खरीदने को बाध्य नहीं थे अतः

उनके विनिवेश में 29 वर्षों की परिचक्रीय अवधि लगी; जबकि पुनर्खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत धारित अंशों के मामलों में यह अवधि 11 वर्षों की थी।

(अनुच्छेद 2अ.12.4.2)

(ल) विनिवेश के लिये शेयर मूल्यों की निगरानी के अभाव में 'रीको' उपलब्ध सम्भावित लाभों का औसतन 13.85 प्रतिशत मात्र ही प्राप्त कर सका था। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि जनवरी 1994 में अपने वित्त समूह के परामर्श के बावजूद 'रीको' ने छः कम्पनियों में धारित अपने शेयरों को तेजी के समय में विनिवेशित नहीं किया। यदि रूढ़िवादी दृष्टि से भी देखें तो मार्च 1995 तक खोये विनिवेश के अवसरों के फलस्वरूप रीको 12.00 करोड़ रुपये का सम्भावित लाभ प्राप्त नहीं कर सका था, वह भी मार्च 1996 तक पूर्णतः अलभ्य हो गया।

(अनुच्छेद 2अ.11.1.5 तथा 2अ.14)

(व) ऐसे शेयरों, जिनके भाव नहीं बोले जाते थे, में 'रीको' का औसत निवेश 26.60 प्रतिशत था। पन्द्रह कम्पनियों, जिनमें 275 लाख रुपये निवेशित थे, के शेयरों के 31 मार्च 1996 से पूर्व के दस वर्षों की अवधि के दौरान भाव तक नहीं बोले गये थे।

(अनुच्छेद 2अ.11.2.1.1 तथा 2अ.11.2.1.2)

नमूना जांच किये गए दो मामलों में, समझौता अवधि के बीत जाने व उन शेयरों से सम्बन्धित बाजार-मूल्य उल्लेखनीय रूप से ऊंचे होने के बावजूद, 'रीको' ने अंशों का विनिवेश पुनर्खरीद व्यवस्था के अनुसार ही किया। इसके परिणामस्वरूप 'रीको' का 2.40 करोड़ रुपये का लाभ प्रवर्तकों के हिस्से में चला गया।

(अनुच्छेद 2अ.13.1 तथा 2अ.13.2)

राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड के प्रवर्तकों के अनुरोध पर 'रीको' ने इसके दो लाख शेयर 126 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने का एक प्राइवेट निवेश कम्पनी का प्रस्ताव (फरवरी 1994 में) छोड़ देने का निर्णय ले लिया व उनके विक्रय को तीन वर्षों के लिए स्थिर कर दिया। 'रीको' ने 2.32 करोड़ रुपये के लाभ अर्जन के इस अवसर को खोते समय प्रवर्तकों से ऐसा कोई आश्वासन तक नहीं लिया कि बाद में वे इससे ऊंचे भावों पर शेयरों को खरीद लेंगे। 31 मार्च 1996 तक इस शेयर का भाव 31 रुपये प्रति शेयर तक गिर गया था।

(अनुच्छेद 2अ.14.1)

2अ.1 परिचय

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) का समामेलन 1 नवम्बर 1979 को राज्य में उद्यमिता का विकास करने; औद्योगिक उपक्रमों, परियोजनाओं तथा उद्यमों को अनुदान, सहायता व वित्त उपलब्ध करवाने के प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 'रीको' उद्यमियों को, अन्य के अलावा, उनकी कम्पनियों के शेयरों में निवेश के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने में संलग्न था। 'रीको' का इक्विटी धारण का निहित उद्देश्य दीर्घावधि विनियोजन नहीं बल्कि उनका त्वरित परिचक्रण था ताकि उपलब्ध दुर्लभ कोषों से अधिकाधिक परियोजनाओं का प्रवर्तन किया जा सके।

इक्विटी सहभागिता की योजना निम्नांकित उद्देश्यों के लिए प्रारम्भ की गई थी:

(i) ऐसे उद्यमियों की सहायता करना जो प्रारम्भिक स्तर पर वांछित इक्विटी पूंजी इकट्‌ठी करने में सक्षम नहीं हों;

(ii) देश के सफल तथा प्रतिष्ठित समूहों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करना;

(iii) पूंजी बाजार को उद्दीपित करना; तथा

(iv) उन क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का विकास करना जो या तो निजी क्षेत्र के लिए प्रतिबन्धित हों या फिर जिनको सामान्यतया उद्यमीगण आकर्षक नहीं मानते हों।

2अ.2 संगठनात्मक संरचना

'रीको' का प्रबन्धन सात से अधिक व चौदह से अनधिक निदेशकों का एक बोर्ड करता है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के प्रधान कार्यकारी है। निवेश/विनिवेश के निर्णय प्रबन्ध निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित सात निदेशकों की एक औद्योगिक समिति लेती थी। अप्रैल 1991 में, प्रबन्ध निदेशक, अधिशाषी निदेशक, वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (प्रशासन एवं मानव शक्ति) तथा महाप्रबन्धक की एक आन्तरिक समिति 'रीको' द्वारा केवल मात्र धारित शेयरों के विनिवेश से संबंधित मामलों पर ही विचार करने के लिए बनायी गई थी। इन समितियों द्वारा लिये गए निर्णयों को निदेशकों के बोर्ड के समक्ष रखा जाता था। मार्च 1996 में 'रीको' ने एस.सी.आई.सी.आई. सिक्यूरिटीज लिमिटेड, बम्बई के साथ 'रीको' के इक्विटी पोर्टफोलियो के उपयुक्ततम प्रबन्धन हेतु उनकी विशेषज्ञताऐं प्राप्त करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। इस व्यवस्था से पूर्व 'रीको' के पास अपने इक्विटी विनिवेश के प्रबन्ध की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी।

2अ.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

'रीको' की इसके द्वारा वित्त-पोषित कम्पनियों में किये गए अपने पिछले छः वर्षों (1990-91 से 1995-96) के इक्विटी हितों के विनिवेश सम्बन्धी क्रिया-कलापों की समीक्षा जनवरी से अक्टूबर 1996 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई थी। इस समीक्षा में केवल उन कम्पनियों की नमूना-जांच दी गई है जिनके शेयरों का समीक्षाधीन अवधि में विनिवेश किया गया था।

2अ.4 इक्विटी निवेशों के लिए नीति/मार्ग-निर्देशों का अभाव

इक्विटी के माध्यम से दी गई सहायता में अवधि ऋणों से अधिक जोखिम रहती है क्योंकि अवधि ऋणों के विपरीत इक्विटी निवेशों में कोई निश्चित प्रतिफल नहीं होता। परिसमापन की स्थिति में भी इक्विटी निवेश कम्पनी की शुद्ध सम्पत्तियों पर अन्तिम प्रभार ही होता है तथापि कम्पनी का अच्छा निष्पादन हो तथा अच्छा लाभ अर्जन हो तब ही एक कम्पनी में इक्विटी निवेश पर भरपूर परिलाभ पा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, 'रीको' के पास मार्ग-निर्देश होने चाहिए ताकि इक्विटी निवेश के जोखिम कम किये जा सकें व कम तरल इक्विटी में कोष अवरुद्ध न हों।

अपनी स्थापना के सत्रह वर्षों के पश्चात् भी 'रीको' के पास ऐसे मामलों का निर्धारण करने का कोई समेकित नीति निर्धारण-तन्त्र नहीं था, ना ही इसकी अपनी कोई विनिवेश नीति थी। इस प्रकार के निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग किये गये । 'रीको' की औद्योगिक समिति ने अपनी 26 दिसम्बर 1995 को हुई मीटिंग में चाहा था कि इक्विटी की स्वीकृति हेतु व्यापक पात्रता निर्धारणार्थ एक नीति-पत्र बनाया जाये। ऐसा पत्र नहीं बनाया गया (अक्टूबर 1996)।

2अ.5 इक्विटी निवेश की श्रेणियां

2अ.5.1 कम्पनी के प्रकार के आधार पर श्रेणीकरण

'रीको' दो तरह की कम्पनियों की शेयर पूंजी में भाग लेता है: (i) संयुक्त उपक्रम, जिनमें रीको का इक्विटी निवेश 26 प्रतिशत से कम नहीं था व जिनमें चेयरमेन व अधिकांश निदेशकों की बोर्ड में नियुक्ति करके प्रबन्धन में भागीदारी प्राप्त थी, तथा (ii) सहायता प्राप्त इकाई, जिनमें इक्विटी 10 प्रतिशत के करीब थी व इकाई के बोर्ड में भी 'रीको' का प्रबन्धन में भाग एक अथवा दो निदेशकों तक सीमित था। इस समीक्षा के अन्तर्गत आने वाली अवधि में कोई संयुक्त क्षेत्रीय इकाई का प्रवर्तन नहीं हुआ था। तथापि, 31 मार्च 1996 को सात संयुक्त-क्षेत्र की इकाइयों में 'रीको' के 405.46 लाख रुपये निवेशित थे। इन सात इकाइयों में से 1990-91 से 1995-96 के दौरान एक इकाई (निवेश: 42.28 लाख रुपये) परिसमापन की प्रक्रियाधीन थी, चार इकाइयां (निवेश: 310.47 लाख रुपये) हानियां उठा रही थी तथा केवल दो इकाइयाँ (निवेश: 52.71लाख रुपये) लाभ अर्जित कर रहीं थी।

2अ.5.2 पुनर्बिक्री व्यवस्था के आधार पर श्रेणीकरण

'रीको' द्वारा खरीदी गई इक्विटियों को पुनर्खरीद सहित शेयरों तथा पुनर्खरीद रहित शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। पुनर्खरीद सहित शेयर 'रीको' द्वारा खरीदे गये वे शेयर थे जिनको एक निर्धारित अवधि (सामान्यतया 3 से 7 वर्ष) में ऐसे मूल्य पर वापस खरीदने हेतु प्रवर्तक वचनबद्ध थे जो कि शेयर के लागत मूल्य तथा एक निर्धारित दर के ब्याज को मिश्रित कर लाभांश (यदि कोई हो) को घटाने के बाद आता हो। पुनर्खरीद रहित शेयरों के मामले में 'रीको' लॉक-इन अवधि बीत जाने के बाद इन्हें बाजार में विनिवेशित करने को स्वतन्त्र था। 'रीको' की पुनर्खरीद सहित (बी.बी) तथा पुनर्खरीद-रहित (एन.बी.बी) शेयरों में अपने निवेश के बहाव हेतु कोई मार्गदर्शक नीति नहीं थी।

2अ.6 इक्विटी और अवधि ऋणों पर परिलाभ की प्रत्याशा

वित्तीय निवेश का एक आधारभूत सिद्धान्त है कि जितनी अधिक जोखिम हो, उतनी ही अधिक परिलाभ की प्रत्याशित दर होनी चाहिये। 'रीको' नई इकाइयों/विद्यमान इकाइयों के विस्तार में अवधि ऋण देकर तथा कभी-कभी उनकी इक्विटी में निवेश करके भी सहायता प्रदान करता है। चूंकि इक्विटी से वित्त प्रदान करना अवधि ऋणों की तुलना में अधिक जोखिम भरा है इसलिए इक्विटी पर प्रत्याशित परिलाभ की दर सामान्यत: 'रीको' द्वारा अपने अवधि-ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर से कहीं अधिक होनी चाहिए। मिश्रित ब्याज की पुनर्खरीद समझौते में दी गई दर, 'रीको' की इक्विटी पर प्रत्याशित परिलाभ की दर थी, यह समय-समय पर विचरित होती रही है व इसका (समय पर) भारित औसत 1990-96 के दौरान 17.24 प्रतिशत रहा है जबकि अवधि ऋणों के मामले में ऐसा औसत 17.70 प्रतिशत रहा है।

परिलाभ की प्रत्याशा को शेयरों के क्रय में निहित जोखिम के अनुरूप नहीं रखा गया था।

यह उल्लेखनीय है कि इक्विटी पर परिलाभ की प्रत्याशा सामान्यतया वास्तविक परिलाभों से एकदम भिन्न थी। तथापि, निवेश के समय पर निवेशक की केवल परिलाभ की प्रत्याशा ही मार्गदर्शक होती है। निवेश में इक्विटी को अवधि ऋणों पर प्राथमिकता तभी दी जानी चाहिये जबकि इससे प्रत्याशित परिलाभ की सम्भावना अधिक हो।

सफल निष्पादन वाली कम्पनी के शेयर के पुस्तक मूल्य में वृद्धि-ढांचा इस प्रकार है कि प्रारम्भ में इसका पुस्तक-मूल्य धीमी दर से बढ़ता है लेकिन वृद्धि की यह दर समय के साथ-साथ बढ़ती चली जाती है। इसलिए इक्विटी पर परिलाभ की एक निर्धारित दर की ऐसी प्रत्याशा पुस्तक मूल्य की सामान्य वृद्धि से भिन्न थी। जैसा कि समीक्षा में आगे (अनुच्छेद 12) बताया गया है, 'रीको' को उद्यमियों को अपने पुनर्खरीद संविदों को पूर्ण करने के लिए अनेक रियायतें देनी पड़ी। समय के साथ-साथ बढ़ती हुई ब्याज-दर का एक श्रेणीकृत पैमाना (जिसमें पुनर्खरीद की अवधि

में प्रभावी औसत, अवधि ऋणों पर ब्याज की दर से ऊंचा हो) केवल अधिक नैसर्गिक ही नहीं होता बल्कि यह प्रवर्तकों को 'रीको' द्वारा धारित शेयर शीघ्रातिशीघ्र खरीद लेने के लिए एक प्रेरक का भी कार्य करता।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि इनका इक्विटी में निवेश प्रत्याशित परिलाभ की दरों पर आधारित नहीं थे बल्कि प्रवर्तकों के अंशदान के अन्तर को कम करने में सहायता के लिये थे । यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 'रीको' द्वारा इक्विटी में निवेश इतना कम (केवल 10 प्रतिशत) था, कि इससे यह विश्वास नहीं होता था कि प्रवर्तक अंशदान के अन्तर को पूरा कर पायेगा । एक विवेकपूर्ण वाणिज्यिक संगठन के नाते 'रीको' इक्विटी में निवेश करते समय प्रत्याशित परिलाभ दरों की अनदेखी वहन नहीं कर सकता था ।

2अ.7 अवधि ऋणों तथा इक्विटी से परिलाभों की तुलना

2अ.7.1 अवधि ऋणों से परिलाभ

निम्नांकित तालिका में 1991-92 से 1995-96 के दौरान के परिलाभ दिये गए हैं:

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	ऋणों पर अपलेखित डूबत	अवधि ऋणों की शुद्ध आय (3)-(4)	ऋणों पर परिलाभ दर प्रतिशतता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
			(रुपये लाखों में)		
1991-92	9143.23	1686.48	119.81	1566.67	17.13
1992-93	10838.39	2074.06	207.21	1866.85	17.22
1993-94	13006.22	2481.51	137.15	2344.36	18.02
1994-95	16674.44	2619.93	79.08	2540.85	15.24
1995-96	17230.93	2885.18	206.18	2679.00	15.55
योग	**66893.21**	**11747.16**	**749.43**	**10997.73**	**16.44**

इस प्रकार, 1995-96 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान परिलाभ की औसत दर 16.44 प्रतिशत थी।

2अ.7.2 इक्विटी से परिलाभ

इक्विटी से परिलाभों में लाभांश तथा विनिवेश से आय को समाविष्ट किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि इक्विटी के बाजार मूल्य में हुई बढ़ोतरी का अर्थ लाभ होना नहीं होता क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा उतार-चढ़ाव तो नियमित रूप से होता रहता है। शेयर विनिवेश से परिलाभों का परिकलन उनके धारण की अवधि के सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए। 'रीको' ने ऐसे सुव्यवस्थित

समंक/विश्लेषण संधारित **नहीं किये** (लेखापरीक्षा द्वारा अनुच्छेद 2अ.9 में विनिवेशों का एक नमूना-विश्लेषण किया **गया है**)। इसके अभाव में इक्विटी परिलाभों पर आधारित वार्षिक परिलाभों के साथ-साथ वर्ष के प्रारम्भ में इक्विटी पोर्टफोलियों की लागत का एक व्यापक दृष्टिकोण लिया जा सकता है। ऐसे दृष्टिकोण से, तथापि, परिलाभों की एक अतिरंजित तस्वीर ही उभरती **है क्योंकि** इसके अन्तर्गत इक्विटी निवेश के समय-तत्व तथा लाभांशों व विनिवेशों से प्रवाहित परिलाभों **को** भुला दिया जाता है। तो भी, ऐसे समकों से, जैसा कि निम्नांकित तालिका **दर्शाती है, एक** अन्तर्दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है:

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के आरम्भ में इक्विटियों का लागत मूल्य	विनिवेशित इक्विटियों का लागत मूल्य	विनिवेश से लाभ	अतिरिक्त निवेशों की लागत	अपलेखित इक्विटी की लागत	वर्ष के अन्त में इक्विटयों का लागत मूल्य	प्राप्त लाभांश	इक्विटी से कुल आय*	विनिवेशित इक्विटी की प्रतिशतता*	इक्विटी पोर्टफोलियो पर परिलाभ की प्रतिशतता*
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)	(र)	(ल)	(व)	(ह)	(च)	(छ)	(ज)
					(रुपये लाखों में)						
1.	1990-91	2191.86 (102)	62.78 (7)	60.25 (7)	142.12 (11)	**2.59 (1)**	2268.61 (107)	45.57 (13)	103.23	2.86	4.71
2.	**1991-92**	**2268.61 (107)**	223.41 (12)	501.89 (12)	215.48 (11)	39.79 (6)	2220.89 (99)	61.24 (16)	523.34	9.85	23.07
3.	1992-93	2220.89 (99)	72.77 (9)	112.20 (9)	336.45 (7)	-	2484.57 (98)	60.36 (17)	172.56	3.28	7.77
4.	1993-94	2484.57 (98)	73.20 (8)	129.58 (8)	1161.46 (13)	5.35 (2)	3567.48 (98)	78.74 (17)	202.97	2.95	8.17
5.	1994-95	3567.48 (98)	248.92 (14)	362.30 (14)	492.20 (9)	3.33 (4)	3807.43 (92)	94.26 (16)	453.23	6.98	12.70
6.	1995-96	3807.43 (92)	40.90 (9)	44.33 (9)	763.24 (19)	31.13 (7)	4498.64 (96)	99.63 (15)	112.83	1.07	2.96
	योग	**16540.84**	**721.98**	**1210.55**	**3110.95**	**82.19**	**18847.62**	**439.80**	**1568.16**	**4.36**	**9.48**

टिप्पणी: 1. (स)खाने में ऐसे शेयर भी सम्मिलित है जिनका भाव नहीं बोला गया व जो अंशतः प्रदत्त शेयर थे तथा (र) खाने में उन ऋण-पत्रों की लागत सम्मिलित है जिन्हें इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था।

2. कोष्ठकों में दिये गए समंक कम्पनियों की संख्या प्रदर्शित करते है।

*इन खानों में दी गई इक्विटियां वर्ष के प्रारम्भ की इक्विटियां थी ।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते है जिन्हें आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

2अ.7.2.1 पोर्टफोलियो में इक्विटियों की आयु को भुला दें तो भी उनसे उत्पन्न औसत परिलाभ केवल 9.48 प्रतिशत थे जिनके विरुद्ध अवधि ऋणों से तुलनात्मक परिलाभ 16.44 प्रतिशत था। इस प्रकार 'रीको' के इक्विटी से परिलाभ इसके अवधि ऋणों की तुलना में बहुत कम थे।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि वित्तीयन के भिन्न तरीकों के परिलाभों की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि अवधि ऋणों से परिलाभों की दर भारत के औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) आदि की पुनर्वित दरों के सन्दर्भ में निर्धारित होती है जबकि इक्विटी से परिलाभ पुनर्खरीद समझौते की ब्याज दर से सम्बन्धित है।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि वित्तीयन के दोनों तरीकों से परिलाभ की वास्तविक प्राप्त दरों में व्यापक अन्तर रहा था चाहे प्रत्येक की प्रत्याशित परिलाभ की दर प्रायः एक जैसी ही रही हो।

शेयरों के विनिवेश/अपलेखन तक उनके धारण की 16 वर्षों की अवधि कोषों के परिचक्रण की दृष्टि से अत्यधिक लम्बी थी।

2अ.7.2.2 1995-96 को समाप्त हुए छः वर्षो के दौरान विनिवेशित अथवा अपलेखित इक्विटियों की लागत 804.71 लाख रुपये 1990-91 के प्रारम्भ में धारित 2191.86 लाख रुपये की इक्विटी का 36.69 प्रतिशत थी। यह इंगित करता है कि विनिवेश/अपलेखन की वर्तमान दर से इक्विटी धारण की औसत अवधि 16 वर्ष 4 माह* के लगभग रहेगी। चूंकि 'रीको' के पुनर्खरीद समझौतों में 3 से 7 वर्षो की शर्त डाली जाती है इसलिए वास्तविक निष्पादन विनिवेश की बहुत ही धीमी दर का द्योतक है।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि इक्विटी का विनिवेश 1995-96 के दौरान पूंजी बाजार में मन्दी से ग्रसित रहा व जैसे ही बाजार की धारणा सुधरेगी, विनिवेश बढ़ेगा।

उत्तर युक्तियुक्त नही है क्योंकि 'रीको' के एस.सी.आई.सी.आई. सिक्युरिटीज लिमिटेड के साथ मार्च 1996 में समझौता होने तक, इसके पास विनिवेश की कोई पर्याप्त व्यवस्थात्मक पहुँच नहीं थी।

इक्विटियों के विनिवेश से केवल छः प्रतिशत का वार्षिक परिलाभ प्राप्त हुआ।

2अ.7.2.3 721.98 लाख रुपये लागत की इक्विटी के विनिवेश से 1128.36 लाख रुपये (82.19 लाख रुपये की अपलेखित इक्विटी के पश्चात) का लाभ अर्जित किया गया। इस प्रकार औसतन 16 वर्ष 4 माह तक रखने तक

---

* 2191.86 /804.17 x 6 वर्ष

विनिवेशित इक्विटी की कुल औसत वार्षिक मिश्रित विकास दर करीब 6 प्रतिशत** रही।

2अ.7.2.4 एक वर्ष में प्राप्त औसत लाभांश (439.80 लाख रुपये ÷ 6 = 73.30 लाख रुपये) वर्ष के प्रारम्भ में धारित इक्विटी की लागत (16540.84 लाख रुपये÷6=2756.81 लाख रुपये) का मात्र 2.65 प्रतिशत था। दस कम्पनियों के एक नमूना विश्लेषण (अनुच्छेद 2अ.9 देखें) से इंगित होता है कि 'रीको' द्वारा इक्विटी निवेशित कम्पनी से लाभांश का प्रवाह लगभग नौ वर्षो के बाद शुरू हुआ था। 1995-96 के दौरान प्राप्त 99.63 लाख रुपये के लाभांश को 1986-87 के प्रारम्भ के पोर्टफोलियो (1652.85 लाख रुपये) से सहसम्बन्धित करने पर प्रकट होता है कि जिस पोर्टफोलियो से लाभांश अर्जित है उसके सन्दर्भ में औसत लाभांश करीब 6.03 प्रतिशत है, लेकिन यह नौ वर्षो के पश्चात् प्रवाहित होना शुरू होता है।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि उनका प्रमुख इक्विटी निवेश पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा स्थापित मध्यम श्रेणी के उद्योगों में है, तथा निवेश के समय प्रारम्भिक वर्षो में लाभांश की घोषणा प्रत्याशित नहीं थी।

2अ.7.2.5 उपर्युक्त तालिका के कॉलम (ह) तथा (स) से इंगित होता है कि 1995-96 को समाप्त पांच वर्षो में अर्जित लाभांश 2.186 के गुणक (99.63 लाख रुपये ÷ 45.57 लाख रुपये) से बढ़ा जबकि इक्विटी पोर्टफोलियो 1.737 के गुणक (3807.43 लाख रुपये÷2191.86 लाख रुपये) से बढ़ा । इस प्रकार, पांच वर्षो में लाभांश की वृद्धि इक्विटी के एक स्थिर स्तर के सन्दर्भ में 1.258 गुणा (2.186÷1.737) थी। इसके अनुसार इक्विटी पोर्टफोलियो के एक स्थिर स्तर पर लाभांश से आय में 4.7 प्रतिशत* की वार्षिक मिश्रित विकास दर से वृद्धि हुई थी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि लाभांश नौ वर्षो के पश्चात् प्रवाहित होना शुरू होता है, 10वें वर्ष से 16वें वर्ष (जिसके पश्चात् औसतन इक्विटी का विनिवेश हो जाता है) तक लाभांश का प्रवाह पहले वर्ष से 16वें वर्ष तक प्रवाहित लाभांश की एक मान्य स्थिर धारा जैसा होना चाहिए। इस प्रकार की समानता पाने के लिये करीब 20 प्रतिशत का एक कटौती-गुणक होना आवश्यक है क्योंकि यही व्यापकरूप में अवधि ऋणों पर ब्याज की 'रीको' की दर है। इस आधार पर, 10वें से 16वें वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश निवेशित इक्विटी के केवल एक प्रतिशत के बराबर बैठता है।

लाभांश की आय से प्राप्त वार्षिक परिलाभ प्रथम वर्ष से आगे केवल 1 प्रतिशत बढ़ा।

** $721.98 \times (1.06)^{16} = 1834.08 \cong 721.98 + 1128.36$

* $(1+4.7/100)^5 = 1.258$

चार्ट - IV

विनिवेश नहीं होने के कारण छीजत

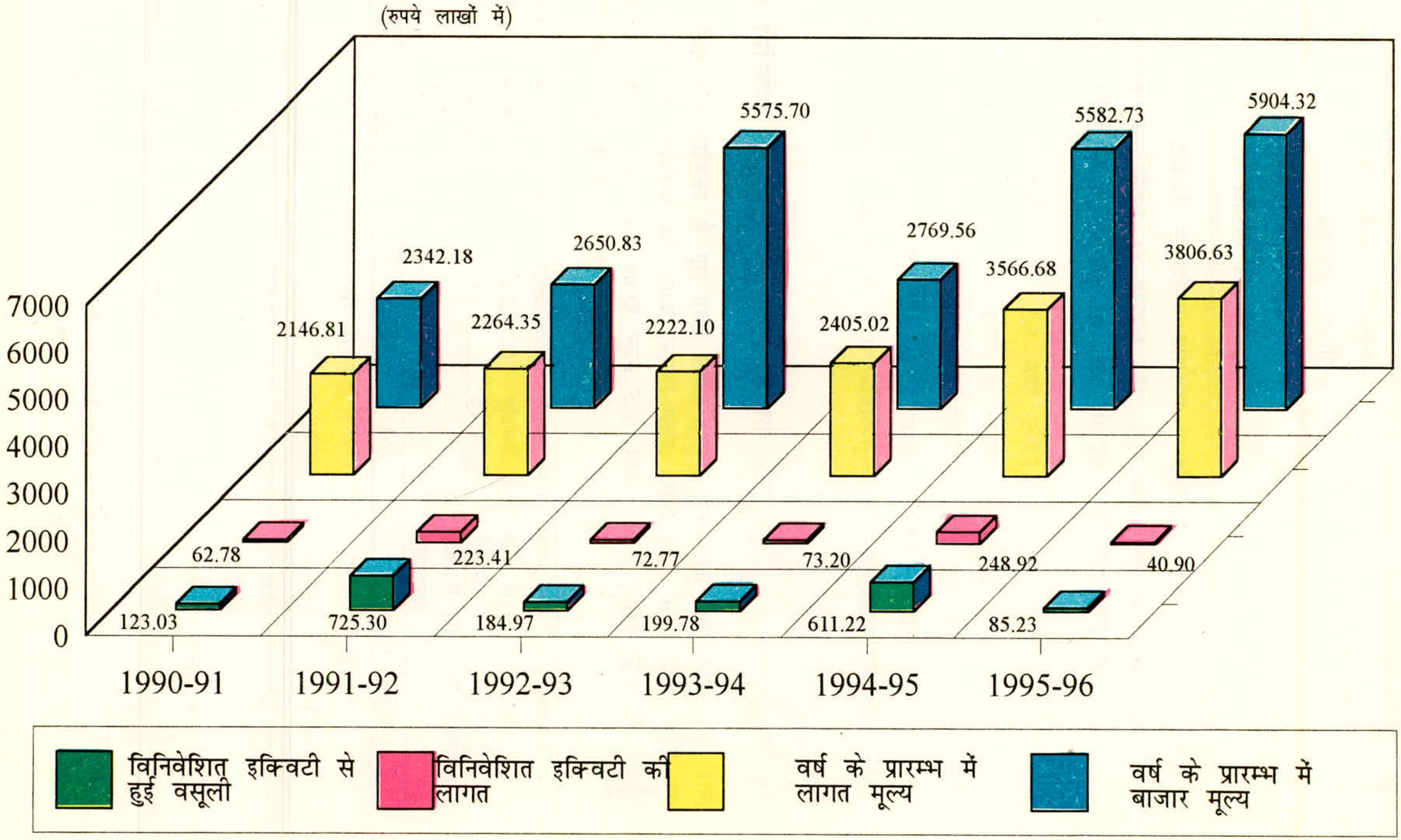

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2अ.8)

2अ.7.2.6 चूंकि इक्विटी से कुल परिलाभ में विनिवेश से परिलाभ (उपर्युक्त उप-अनुच्छेद 7.2.3 में इंगित 6 प्रतिशत) तथा प्राप्त लाभांश (1 प्रतिशत) समाविष्ट है अत: 'रीको' इक्विटी पोर्टफोलियो से व्यापकरूप में केवल 7 प्रतिशत ही अर्जित कर रहा था।

इक्विटी से वार्षिक परिलाभ अवधि ऋणों के 16.44 प्रतिशत के विरुद्ध 7 प्रतिशत थे।

इस प्रकार, इक्विटी से औसत परिलाभ (7 प्रतिशत) अवधि ऋणों से परिलाभ (16.44 प्रतिशत) का केवल 43 प्रतिशत रहा। उत्तर में 'रीको' ने अनुच्छेद 2अ.7.2.1 में उल्लिखित अपने जवाब को दोहराया जिसे युक्तियुक्त नहीं पाया गया था।

उपर्युक्त उप-अनुच्छेद 2अ.7.2.5 तथा 2अ.7.2.6 इंगित करते है कि केवल लाभांश-अर्जन के आधार पर एक शेयर का धारण उचित नहीं होता। इसलिए यदि किसी कम्पनी का निष्पादन (जैसा कि इसके लेखों से स्पष्ट हो) संतोषजनक रहा हो तो इसके अंशों का विनिवेश कर देना चाहिए बशर्ते कि यह विश्वास करने के अच्छे कारण न हों कि निकट भविष्य में उनके बाजार-मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है।

2अ.8 विनिवेश नहीं होने के कारण छीजत

निम्नांकित तालिका में पूर्ण-प्रदत्त शेयरों (भाव आने वाले तथा भाव नहीं आने वाले, दोनों) के विनिवेश की उसके बाजार-मूल्य (भाव नहीं आने वाले अंशों का मूल्यांकन 1994-95 तक उनके लागत मूल्य तथा 1995-96 में पुस्तक-मूल्य के आधार पर) के सन्दर्भ में प्रतिशतता दर्शाती है:

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में इक्विटी की लागत	वर्ष के आरम्भ में इक्विटी का बाजार मूल्य	विनिवेशित इक्विटी की लागत	विनिवेशित इक्विटी से हुई वसूली	लागत की दृष्टि से विनिवेशित इक्विटी की प्रतिशतता	विनिवेशित इक्विटी के बाजार मूल्य की प्रतिशतता
(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
			(रुपये लाखों में)			
1990-91	2146.81	2342.18	62.78	123.03	2.92	5.25
1991-92	2264.35	2650.83	223.41	725.30	9.87	27.36
1992-93	2220.10	5575.70	72.77	184.97	3.28	3.32
1993-94	2405.02	2769.56	73.20	199.78	3.04	7.21
1994-95	3566.68	5582.73	248.92	611.22	6.98	10.95
1995-96	3806.63	5904.32	40.90	85.23	1.07	1.44
	16409.59	**24825.32**	**721.98**	**1929.53**	**4.4**	**7.77**

इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष में, बाजार मूल्य की दृष्टि से, विनिवेशित इक्विटी की प्रतिशतता क्रय-मूल्य की दृष्टि से इसकी प्रतिशतता से अधिक थी। इसका तात्पर्य है कि 'रीको' ने अपने पोर्टफोलियो की ऐसी इक्विटियों को विनिवेश हेतु चुना जिनका बाजार-मूल्य क्रय-मूल्य से अधिक था तथा खराब निष्पादन कर रही कम्पनियों के घटिया शेयरों को धारण करना जारी रखा। ऐसी नीति अदूरदर्शी प्रकट होती है क्योंकि कई बार किसी कम्पनी के शेयरों को हानि उठाकर भी विनिवेश करना विवेकपूर्ण रहता है यदि इस शेयर के मूल्यों में निकट भविष्य में कोई वृद्धि होना दृष्टिगोचर नहीं हों। लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच से ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला जिसमें किसी कम्पनी के अंश उनकी अधिग्रहण की लागत से कम मूल्य पर बेचे गए हों। अंकित मूल्य से कहीं कम कीमत वाले शेयरों को धारित रखने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अन्ततः 1990-96 के दौरान 82.19 लाख रुपये लागत के शेयरों को अपलेखित करना पड़ा।

खराब निष्पादन कर रही कम्पनियों के अंशों को धारित रखने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप 82.19 लाख रुपये मूल्य की इक्विटी को अपलेखित करना पड़ा।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि चूंकि इन शेयरों से सम्बन्धित कम्पनियों का शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो चुका था अतः इनका विनिवेश सम्भव नहीं था।

2अ.9 विनिवेशित इक्विटियों की आन्तरिक परिलाभ दर

आन्तरिक परिलाभ दर (आई.आर.आर.) वह दर है जिसे यदि मिश्रित तरीके से इक्विटी में निवेशित राशि पर लागू कर दिया जाये तो ठीक वही निधियों की राशि वापस प्राप्त हो सके जो कि वास्तव में लाभांश तथा विनिवेश से प्राप्त हो। 'रीको' के पास इसके द्वारा विनिवेशित इक्विटी पर आई.आर.आर. ज्ञात करने की कोई प्रणाली नहीं थी। 'रीको' द्वारा अर्जित आई.आर.आर. को व्यापक दृष्टि से देखने के लिए लेखापरीक्षा ने उन कुल 46 कम्पनियों में से, जिनके शेयरों का 1989-90 से 1995-96 के दौरान विनिवेश किया गया था, 10 कम्पनियों के शेयरों को नमूने के

तौर पर चुना। उनके निवेश, प्राप्त लाभांश, तथा विनिवेश से हुए लाभ का ब्यौरा निम्नांकित है:

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	इक्विटी में निवेश का वर्ष	कुल इक्विटी निवेश	विनिवेश का वर्ष	विनिवेश से प्राप्त राशि	वर्षो की संख्या जिनके बाद प्रथम लाभांश प्राप्त हुआ	कुल प्राप्त लाभांश	धारिता की अवधि (वर्ष)	आई. आर. आर.	वर्ष जिससे भाव आने लगे	भाव आने तथा विनिवेश करने के बीच का समय (वर्ष)
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)	(र)	(ल)	(व)	(ह)	(च)	(छ)	(ज)
						(रुपये लाखों में)					
1.	तिरूपति फाईवर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि.	1981-82 से 1984-85	79.00	1989-90 से 1994-95	151.24	ला/न**	शून्य	13	5.97	1991-92	-
2.	मॉडर्न थ्रेड (प्रा.) लि.	1980-81 से 1981-82	35.00	1994-95	162.01	11	24.50	14	13.60	1983-84 से पूर्व	11
3.	जयपुर सिंटेक्स लि.	1978-79 से 1981-82	31.80	1994-95	69.21	7	13.36	16	7.04	1981-82 से पूर्व	13
4.	जयपुर पोलिस्पिन लि.	1981-82	27.95	1993-94 से 1994-95	65.15	5	10.45	13	8.67	1983-84 से पूर्व	10
5.	बांसवाडा सिन्टेक्स लि.	1977-78	21.35	1992-93 से 1994-95	89.31	5	8.22	17	9.71	1981-82 से पूर्व	11
6.	विकास हाईब्रिड एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लि.	1987-88	14.50	1991-92	25.38	ला/न**	शून्य	4	14.00	1988-89	3
7.	रंजन पॉलिस्टिर्स लि.	1991-92	13.20	1994-95	19.00	3	1.58	3	14.00	भाव नहीं आये	उपलब्ध नही
8.	केम केप्स लि.	1987-88	13.00	1992-93	24.29	ला/न**	शून्य	5	11.00	-वही-	उपलब्ध नहीं
9.	रिलायन्स केमोटेक्स लि.	1978-79 से 1979-80	12.50	1992-93	50.00	11	4.25	14	11.42	1981-82 से पूर्व	11
10.	भीलवाडा प्रोसेसर्श लि.	1977-78	5.00	1993-94	45.00	5	11.10	16	18.22*	भाव नही आये	उपलब्ध नहीं
	योग		**253.30**		**700.59**		**73.46**				

उपर्युक्त तालिका से अनेक महत्वपूर्ण बातें इंगित हुई है जिनका वर्णन अगले अनुच्छेदों में किया गया है।

* बोनस शेयर प्राप्त होने के कारण आई.आर.आर की दर अधिक है।

** लागू नहीं होता क्योंकि लाभांश घोषित नहीं किया गया।

2अ.9.1 विनिवेश से पूर्व अंशों के धारण की भारित औसत अवधि 12½ वर्षो की थी जिसके समक्ष सभी कम्पनियों का ऐसा औसत 16 वर्ष 4 माह का था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि पुनर्खरीद वाले (बी.बी.) शेयरों के विनिवेश में विलम्ब से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि विनिवेश का मूल्य ब्याज की सहमत दर से बढ़ता रहा था।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि विलम्ब में 'रीको' द्वारा आगे निवेश हेतु कोषों की प्राप्ति का अभाव अन्तर्निहित था। दूसरे, 'रीको' को साधारणतया ब्याज की सहमत दरों पर रियायतें देनी पडी थी तथा विनिवेश में जितनी अधिक देरी की गई, उतनी ही अधिक राशि की रियायतें स्वीकार करनी पडी (देखें अनुच्छेद 12)।

2अ.9.2 विनिवेश की गई इन दस कम्पनियों की इक्विटी की आई.आर.आर. का भारित औसत कुल विनिवेशित शेयरों के अनुमानित औसत 7 प्रतिशत के समक्ष 9.42 प्रतिशत था।

'रीको' ने 9.42 प्रतिशत की आई.आर.आर. को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 1996) कि इसमें भविष्य में सुधार होगा क्योंकि मई 1992 से पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत ब्याज दर बढ़कर 19 प्रतिशत हो गई थी।

2अ.9.3 वह भारित औसत अवधि जिसके बाद लाभांश प्राप्त हुआ था, 9 वर्ष 1 माह थी (उन तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने विनिवेश तक कोई लाभांश नहीं दिया था, यह मान लिया गया है कि आगामी वर्ष से लाभांश मिलना प्रारम्भ हो जाता) अथवा, 9 वर्ष कहें।

2अ.10 पोर्टफोलियो में 'बिक्री-अयोग्य' शेयरों का भारी जमाव

31 मार्च 1996 को 'रीको' द्वारा धारित पूर्ण-प्रदत्त शेयरों का लागत मूल्य

चार्ट - V

31 मार्च 1996 को 'रीको' के पोर्टफोलियो का विश्लेषण

(आधार : लागत मूल्य)

(कोष्ठक में राशि रुपये लाखों में दी गई है)

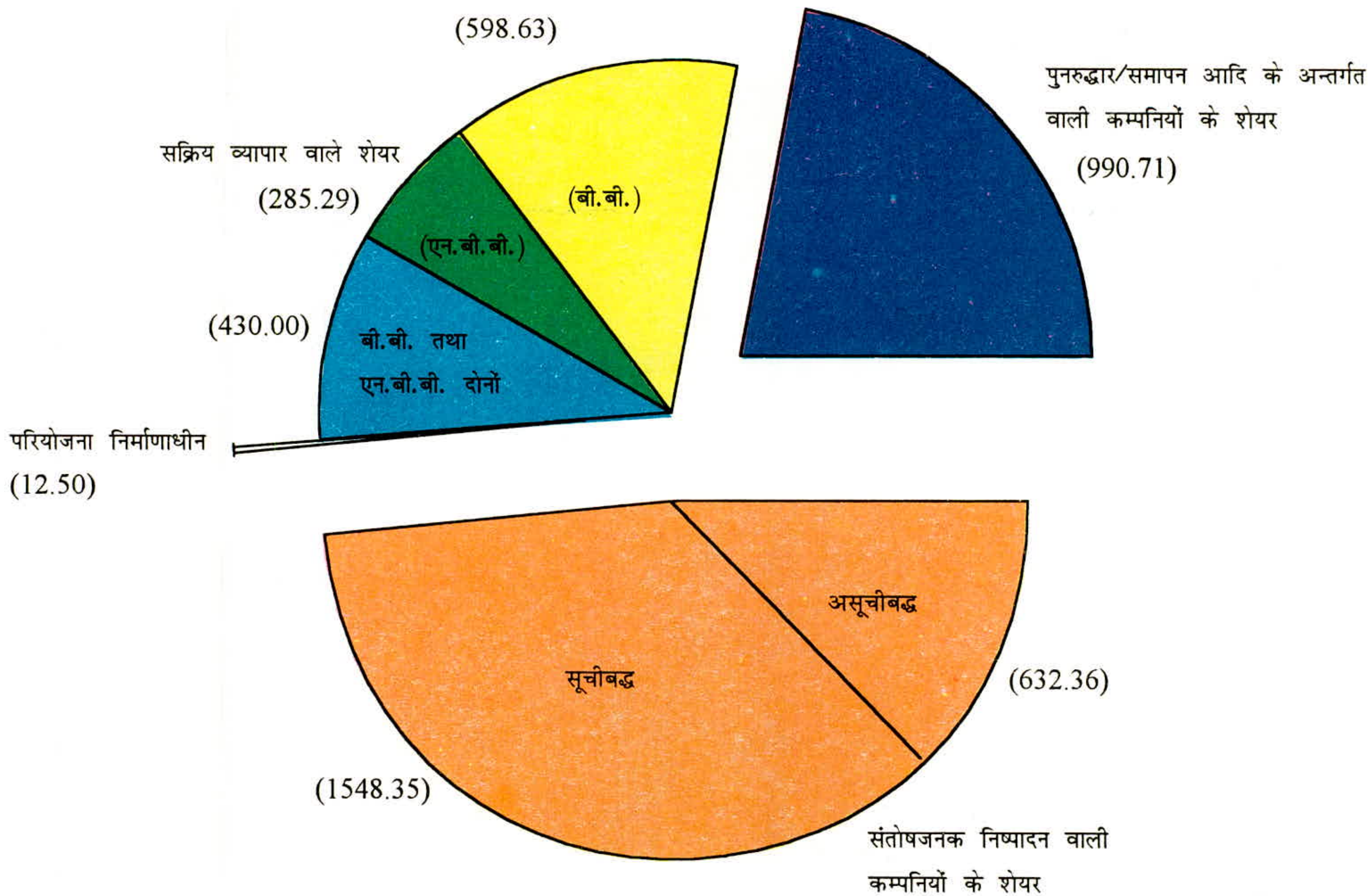

(संदर्भ अनुच्छेद 2अ.10)

4497.84 लाख रुपये था। इस पोर्टफोलियो का ''रीको'' द्वारा किया गया विश्लेषण नीचे दिया गया है:

		कम्पनियों की संख्या	धारित इक्विटी का लागत मूल्य	पुनर्खरीद के अन्तर्गत इक्विटी देय	पुनर्खरीद के अन्तर्गत इक्विटी देय नहीं	बिना पुनर्खरीद वाले	बाजार मूल्य
					(रुपये लाखों में)		
अ.	शेयर जिनमें सक्रिय रूप से व्यापार हुआ						
	(क) पुनर्खरीद वाले	12	598.63	12.40 (1)	586.23 (11)	-	438.19
	(ख) बिना पुनर्खरीद वाले	8	285.29	-	-	285.29 (8)	758.70
	(स) पुनर्खरीद वाले तथा बिना पुनर्खरीद वाले दोनों	2	430.00	30.00 (1)	190.85 (1)	209.15 (2)	279.00
ब.	संतोषजनक कार्य-निष्पादन वाली कम्पनियों के शेयर						
	बी-I सूचीबद्ध शेयर	15	1548.35	123.25 (4)	40.00 (1)	1385.10 (13)	1177.62
	बी-II असूचीबद्ध शेयर	12	632.36	22.15 (4)	438.50 (5)	171.71 (3)	861.97
स.	पुनर्वास/समापन इत्यादि के अन्तर्गत पडी कम्पनियों के शेयर						
	सी-I सूचीबद्ध	4	229.62	117.50 (3)	-	112.12 (2)	82.09
	सी-II सूचीबद्ध पर बिना व्यापार वाले	17	465.20	341.54 (12)	7.00 (1)	116.66 (7)	30.30*
	सी-III असूचीबद्ध	24	295.89	178.77 (18)	10.50 (1)	106.62 (10)	20.96*
द.	निर्माणाधीन परियोजना	1	12.50	-	12.50 (1)	-	12.50**
	योग	**95**	**4497.84**	**825.61**	**1285.58**	**2386.65**	**3661.33**

(नोट: कोष्ठक की संख्याएं कम्पनियों की संख्या को इंगित करती हैं)

* पुस्तक मूल्य पर आधारित

** अंकित मूल्य पर आधारित

उपर्युक्त तालिका से निम्नांकित का पता चलता है:

(अ) केवल 22 कम्पनियों, जिनमें 'रीको' का निवेश 13.14 करोड़ रुपये का था, के शेयरों में ही सक्रिय व्यापार हो रहा था। इस प्रकार, 73 कम्पनियों में धारित 31. 84 करोड़ रुपये लागत के बिना सक्रिय व्यापार वाले शेयरों में अधिक तरलता नहीं थी।

(ब) एक कम्पनी (पेसिफिक ग्रेनाइट्स, उदयपुर), जिसके शेयरों में सक्रिय रूप से व्यापार होता था, जिनकी लागत 30 लाख रुपये थी व जिनकी पुनर्खरीद अवधि समाप्त हो चुकी थी, का विनिवेश नहीं किया गया था। इस कम्पनी के प्रवर्तक इकाई के शेयर 'रीको' द्वारा अक्टूबर 1994 में प्रस्तावित 50 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदने पर सहमत हो गये थे (1 दिसम्बर 1994) । इसी बीच, शेयरों का भाव बढ़कर 62.50 रुपये हो गया तथा 'रीको' ने विक्रय-मूल्य को बढ़ाकर 1 से 7 दिसम्बर 1994 की अवधि के औसत मूल्य के बराबर कर दिया। प्रवर्तकों ने इस प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली तथा तत्पश्चात् इस शेयर के भाव तेजी से गिरते चले गये। अक्टूबर 1996 में शेयर का भाव 5 रुपये के लगभग था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि इन शेयरों का विनिवेश उनके भाव बढ़ने पर किया जाएगा।

(स) संतोषजनक कार्य-निष्पादन कर रही चार कम्पनियों में धारित 123.25 लाख रुपये लागत के शेयरों का विनिवेश उनके सूचीबद्ध होने तथा पुनर्खरीद की अवधि समाप्त हो चुकने के बावजूद नहीं किया गया।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि इन शेयरों के विनिवेश हेतु प्रयास जारी है।

(द) 'रीको' संतोषजनक कार्य-निष्पादन कर रही चार कम्पनियों के प्रबन्धन को या तो इसके द्वारा धारित 22.15 लाख रुपये लागत वाले शेयर खरीदने या फिर उन्हें सूचीबद्ध करवाने हेतु नहीं मना सका था हालांकि उनकी पुनर्खरीद अवधि बीत चुकी थी।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि इन कम्पनियों के प्रवर्तकों से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुसरण किया जा रहा था।

(य) 45 ऐसी कम्पनियों में 9.91 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया हुआ था जो कि पुनर्वास/समापन अन्तर्गत थी।

9.91 करोड़ रुपये लागत के शेयर ऐसी 45 कम्पनियों के थे जो कि पुनर्वास/समापन अन्तर्गत थीं।

(र) उन इक्विटियों की कुल लागत 825.61 लाख रुपये थी जिनकी पुनर्खरीद की अवधि 31 मार्च 1996 को समाप्त हो चुकी थी पर जिनका विनिवेश नहीं किया गया था। यह इस तिथि को धारित इक्विटियों की कुल लागत (4497.84 लाख रुपये) का 18 प्रतिशत था।

2अ.11 शेयरों का परिचक्रण

2अ.11.1 भाव आने वाले शेयर

2अ.11.1.1 निम्नांकित तालिका 1995-96 में समाप्त छः वर्षों के दौरान भाव बोले जाने वाले शेयरों के पोर्टफोलियो में परिवर्तन दर्शाती है:

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लागत मूल्य	विनिवेशित इक्विटियों का लागत मूल्य	अपलेखित इक्विटियों का लागत मूल्य	इक्विटियों का लागत मूल्य					वर्ष के अन्त में लागत मूल्य
					ताजा प्राप्त	पहले से प्राप्त भाव नहीं आने वाली	(i) अंशतः प्रदत्त से पूर्ण प्रदत्त में (ii) ऋणपत्रों आदि से परिवर्तित	भाव नहीं आने वालों* में बदल रहे	शुद्ध वृद्धि (6)+(7)+(8)-(9)	(3)-(4)-(5)+(10)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
1.	1990-91	1599.74	62.78	-	-	-	3.60	-	3.60	1540.56
		(44)	(7)				(1)		(1)	(42)
2.	1991-92	1540.56	217.71	9.80	173.25	200.05	-	-	373.29	1686.34
		(42)	(10)	(1)	(5)	(5)			(10)	(42)
3.	1992-93	1686.34	49.57	-	147.82	6.95	-	36.00	118.77	1755.54
		(42)	(6)		(2)	(1)		(1)	(2)	(39)
4.	1993-94	1755.54	29.00	-	631.86	1.80	93.45	1.80	725.31	2451.85
		(39)	(1)		(5)	(1)	(2)	(1)	(7)	(41)
5.	1994-95	2451.85	188.97	-	437.70	310.00	-	-	747.70	3010.58
		(41)	(9)		(6)	(2)			(8)	(42)
6.	1995-96	3010.58	21.78	7.80	519.92	28.00	17.32	454.35	110.89	3091.89
		(42)	(5)	(1)	(15)	(2)	(1)	(15)	(3)	(41)
	योग	**12044.61**	**569.81**	**17.60**		**546.80**		**492.15**		

(नोट: कोष्ठक में आंकड़े कम्पनियों की संख्या को दर्शाते है।)

* ये उन शेयरों की लागत को इंगित करते हैं जिनके कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्टॉक एक्सचेन्ज में भाव नहीं बोले जाते थे।

2अ.11.1.2 उपर्युक्त तालिका के कॉलम (4) की अनुच्छेद 7.2 की तालिका के कॉलम (द) से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि इक्विटियों के विनिवेश का 79** प्रतिशत उन शेयरों का था जिनके भाव बोले जाते थे। इसलिए, स्टॉक एक्सचेन्ज में किसी शेयर का सूचीबद्ध करवाया जाना इसके विनिवेश हेतु बहुत बड़ा प्रेरक होता है।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि वह किसी कम्पनी के शेयरों में उसके सार्वजनिक निर्गमन के समय निवेश करने को प्राथमिकता देता है, लेकिन बाजार की स्थितियां हमेशा यह सम्भव नहीं होने देती हैं।

2अ.11.1.3 उपर्युक्त तालिका के कॉलम (5) की अनुच्छेद 7.2 की तालिका के कॉलम (ल) से तुलना करें तो पता चलता है कि कुल अपलेखित इक्विटियों का 21 प्रतिशत (17.60 लाख रुपये की 82.19 लाख रुपये से प्रतिशतता) उन कम्पनियों से था जिनके शेयरों के भाव बोले जाते थे। अपलेखन की राशि को यथासमय कार्यवाही करके घटाया जा सकता था।

'रीको' ने बताया कि 17.60 लाख रुपये लागत के भाव बोले जाने वाले दो कम्पनियों के शेयर अपलेखित करने पड़े क्योंकि ये कम्पनियां कई वर्षों तक बीमार चलती रही जिसके दौरान कोई लेन-देन नहीं होता था।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 'रीको' बोर्ड में अपने नामित निदेशकों के माध्यम से सम्भावित रूग्णता को भांप कर उनके शेयर जिस भाव भी बिकते, बेचकर अपने घाटे को कम कर सकता था।

2अ.11.1.4 उपर्युक्त तालिका के कॉलम (9) से भाव बोले जाने वाले शेयरों के धारण से सहसम्बन्धित भारी जोखिम इंगित होती है जैसे कि वे भाव नहीं आने वाले बन सकते है जिससे विनिवेश अधिक कठिन हो सकता है। 'रीको' के पोर्टफोलियो में अनेक ऐसे शेयर है जो कि भाव नहीं आने वाले बनने को प्रवृत्त है। इससे पुनः शीघ्र विनिवेश के महत्व को बल मिलता है।

विनिवेश में रुचि के अभाव के फलस्वरूप 1995-96 के दौरान 492.15 लाख रुपये के भाव बोले जाने वाले शेयर भाव नहीं आने वाले शेयर बन गए।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि जिन कम्पनियों के शेयरों के भाव आने बन्द हो गए वे रूग्ण थी तथा कई वर्षों से पुनर्वासाधीन है।

** $\frac{\text{569.81 लाख रुपये}}{\text{721.98 लाख रुपये}} \times 100$

2अ.11.1.5 लाभप्रद बाजार दरों के बावजूद विनिवेश नहीं करना

भाव बोले जानी वाली इक्विटियों का बाजार-मूल्य स्टॉक बाजार में नियमित रूप से विचिरित होता रहता है। इसलिए जब कभी भी बाजार भाव पक्ष में हो विनिवेश करते रहना चाहिए। चूंकि 'रीको' के प्रगामी प्रयासों का अधिकांश अवधि ऋणों के माध्यम से होता है इसलिए इसके विनिवेश का मानदण्ड यह होना चाहिए कि किसी इक्विटी का ऐसे समय विनिवेश किया जाये जब कि अगले एक वर्ष में इसकी प्रत्याशित वृद्धि अवधि-ऋणों पर ब्याज की दर (जैसे 20 प्रतिशत) से नीचे चली जाने की प्रत्याशा हो। चूंकि ऐसी किसी प्रत्याशा के परिमाणीकरण में अनिश्चितता का तत्व होता है इसलिए इसमें कुछ सुरक्षा मार्जीन जोड़ देना चाहिए। जब कभी भी किसी शेयर के लिए यह मानदण्ड पूरा नहीं होता हो 'रीको' को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र इसका विनिवेश कर दे।

निम्नांकित तालिका में वास्तव में अर्जित लाभ की ऐसे सम्भावित लाभ से तुलना की गई है जो कि भाव आने वाले शेयरों का कुल बाजार मूल्य उनके लागत मूल्य से ऊंचा होने से अर्जित किया जा सकता हो:

क्रम संख्या	वर्ष	इक्विटियों का लागत मूल्य			इक्विटियों का बाजार मूल्य			विनिवेश से सम्भावित लाभ	वास्तव में अर्जित लाभ	प्रतिशतता		
		वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के अन्त में	वर्ष के दौरान औसत	वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के अन्त में	वर्ष के दौरान औसत			उपलब्ध सम्भावित लाभ	वास्तव में अर्जित लाभ	वास्तव में अर्जित लाभ की उपलब्ध सम्भावित लाभ के साथ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
					(रुपये लाखों में)							
1.	1990-91	1599.74	1540.56	1570.15	1795.11	1927.04	1861.08	290.93	50.25	18.53	3.84	20.72
2.	1991-92	1540.56	1686.34	1613.45	1927.04	5041.94	3484.49	1871.04	496.41	115.97	30.77	26.53
3.	1992-93	1686.34	1755.54	1720.94	5041.94	2120.08	3581.01	1860.07	88.02	108.08	5.11	4.73
4.	1993-94	1755.54	2451.85	2103.70	2120.08	4467.90	3293.99	1190.29	38.63	56.58	1.84	3.25
5.	1994-95	2451.85	3010.58	2731.22	4467.90	5108.27	4788.09	2056.87	361.18	75.31	13.22	17.55
6.	1995-96	3010.58	3091.89	3051.24	5108.27	2735.60	3921.94	870.70	31.01	28.54	1.02	3.57
	6 वर्षों का औसत	2007.44	2256.13	2131.78	3410.05	3566.81	3488.43	1356.65	179.25	67.17	9.30	13.85

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 'रीको' शेयरों के लाभप्रद बाजार भावों से उत्पन्न सम्भावित लाभों का अनुकूलतम फायदा उठाने में विफल रहा। औसतन गत छः वर्षो में यह सम्भावित लाभों का केवल 13.85 प्रतिशत ही अर्जित कर सका। यदि स्टॉक बाजार में भाव आने वाले शेयरों के नियमित उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाता तो निश्चय ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे अवसर थे जबकि बाजार भाव उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित औसत मूल्य से ऊंचे थे। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्जित लाभों की औसत प्रतिशतता उपलब्ध सम्भावित लाभों के 13.85 प्रतिशत से भी कहीं कम थी। विनिवेश के अवसरों को लगातार खोते रहने का कारण शेयरों के भावों की निगरानी नहीं रखना व उनका उपयुक्त अवसर पर विनिवेश नहीं करना थे।

शेयरों के भावों की निगरानी के अभाव के कारण सम्भावित लाभों का केवल 13.85 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि उनके विनिवेश-निष्पादन का मूल्यांकन छः वर्षो (1990-91 से 1995-96) के दौरान अर्जित कुल लाभ अर्थात् 1065.50 लाख रुपये (कॉलम 10 का योग) की तुलना 1994-95 के दौरान उपलब्ध उच्चतम सम्भावित लाभ (2056.97 लाख रुपये) से करके किया जाना चाहिए।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि (अ) प्रत्येक वर्ष में पोर्टफोलियो का आकार बढ़ता रहता है, (ब) प्रत्येक निवेश एवं विनिवेश के साथ-साथ पोर्टफोलियो की बनावट बदलती रहती है, तथा (स) संयोजी लाभ किसी एक अकेले वर्ष के सम्भावित लाभों से तुलना योग्य नहीं होते है।

अनुच्छेद 2अ.14 में भाव बोले जाने वाले शेयरों के कुछ मामले उल्लिखित हैं जिनके कि कम से कम एक भाग के लिए अच्छे विनिवेश के अवसर होने के बाद भी उनका विनिवेश नहीं किया गया।

चार्ट - VI

सम्भावित लाभ की वसूली

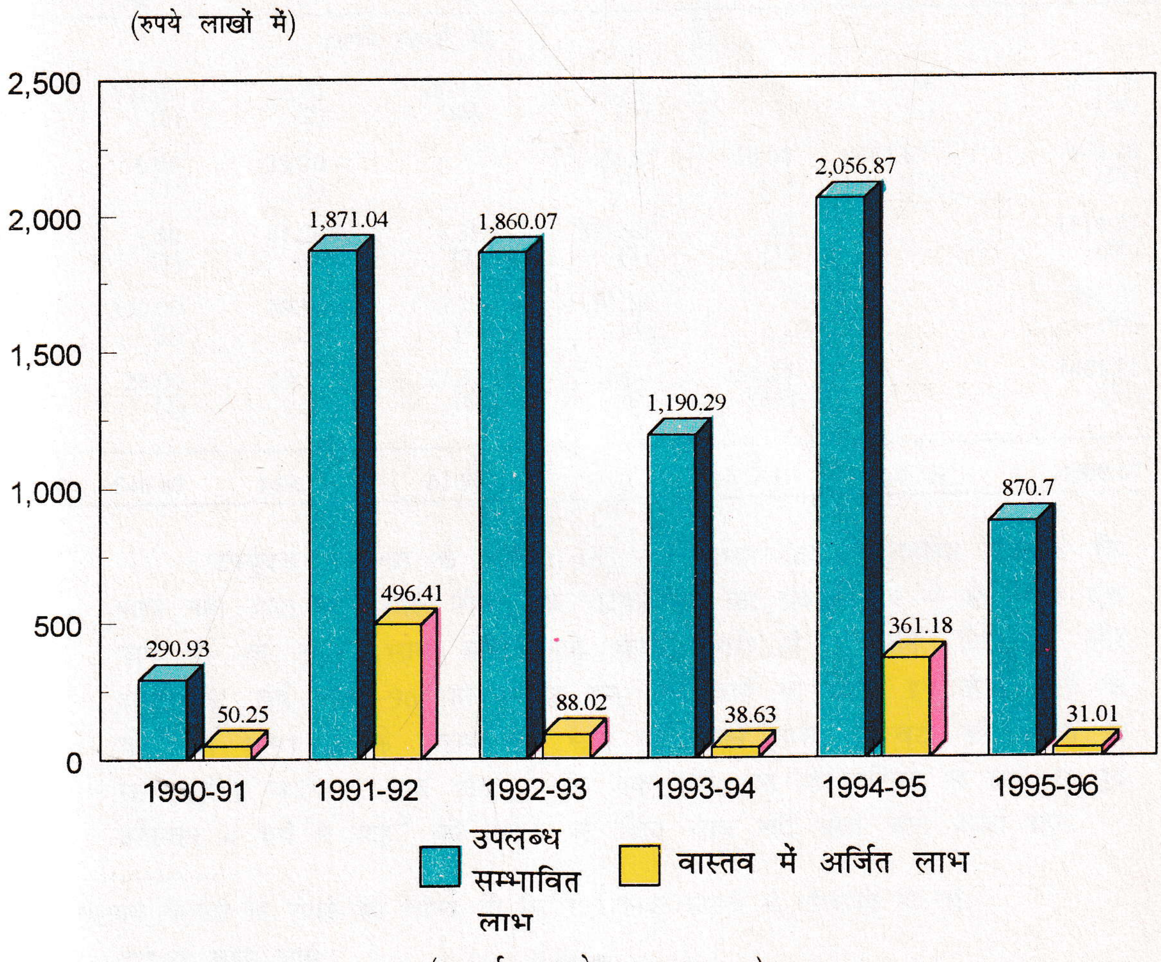

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2अ.11.1.5)

2अ.11.2 भाव नहीं बोले जाने वाले शेयर

निम्नांकित तालिका में 1995-96 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान भाव नहीं बोले जाने वाले शेयरों की लागत से पोर्टफोलियो में हुए परिवर्तनों को दर्शाया गया है (कोष्ठक में दिये गए आंकड़े कम्पनियों की संख्या को इंगित करते हैं):

[illegible]	वर्ष के आरम्भ में लागत	भाव नहीं आने वाले शेयर जो वर्ष के दौरान भाव बोले जाने वाले हो गए	निस्तारित भाव नहीं बोले जाने वाले शेयरों की लागत	भाव नही बोले जाने वाले शेयरों की अप-लेखित लागत	भाव नही बोले जाने वाले शेयरों में निवेश की लागत	पूर्व में भाव बोले जाने वाले शेयरों की लागत जिनके भाव आने बन्द हो गए थे।	अंशत:प्रदत्त शेयर/ऋण पत्र जो कि भाव नहीं आने वाले शेयरों में परिवर्तित हो गए	वर्ष के अन्त में भाव नहीं आने वाले शेयरों की लागत {(3)-(4)-(5) -(6)+(7)+(8) +(9)}
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				(रुपये लाखों में)				
[illegible]-92	723.78 (63)	200.05 (5)	5.70 (2)	29.97 (6)	42.22 (6)	-	3.48 (1)	533.76 (56)
[illegible]-93	533.76 (56)	6.95 (1)	23.20 (3)	-	45.00 (3)	36.00 (1)	64.87* (1)	649.48 (57)
[illegible]-94	649.48 (57)	1.80 (1)	41.20 (6)	5.35 (2)	511.90 (7)	1.80 (1)	-	1114.83 (56)
[illegible]-95	1114.83 (56)	310.00 (2)	59.95 (5)	3.33 (4)	54.50 (4)	-	-	796.05 (49)
[illegible]-96	796.05 (49)	28.00 (2)	19.12 (4)	23.33 (6)	226.00 (3)	454.35 (15)	-	1405.95 (54)
[illegible]	**3817.90**	**546.80**	**149.17**	**61.98**	**879.62**	**492.15**	**68.35**	**4500.07**

उपर्युक्त तालिका के कॉलम (4), (5) तथा (6) में दर्शाया गया है कि भाव नहीं बोले जाने वाले शेयरों के पोर्टफोलियो का प्रवाह तीन में से किसी एक मार्ग से था यथा, भाव बोले जाने वाले शयरों में परिवर्तन, निस्तारण और अपलेखन। वर्ष 1995-96 को समाप्त हुए पांच वर्षो के दौरान इन तीनों मार्गो के योग की 1991-92 के प्रारम्भ की भाव नहीं आने वाली इक्विटी की लागत के साथ तुलना करने से ज्ञात होता है कि एक अंश इस पोर्टफोलियो से जाने से पूर्व औसतन 4 वर्ष 9 माह^Δ की अवधि के लिए भाव नहीं बोले जाने वाला रहा।

---

* एक सहायक कम्पनी के शेयरों की लागत जो कि सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित हो गई।

Δ $$\frac{723.78 \text{ लाख रुपये}}{(546.80 + 149.17 + 61.98) \text{ लाख रुपये}} \times 5 \text{ वर्ष}$$

कॉलम (8) भाव नहीं बोले जाने वाले शेयरों के धारण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जोखिम को दर्शाता है, अर्थात् यदि एक भाव नहीं आने वाले शेयर का विनिवेश नहीं किया गया तो इसके इतने क्षीण हो जाने की सम्भावना रहती है कि अन्ततोगत्वा इसके भाव आने ही बन्द हो जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भाव नहीं आने वाले शेयरों में विनिवेश की सम्भावना भाव आने वाले शेयरों से उल्लेखनीय रूप से कम रहती है। इसलिए भाव आने वाले शेयर के भाव नहीं आने वाले शेयर में परिवर्तित होने पर इसके अन्ततोगत्वा अपलेखन की राह पर चले जाने की चेतावनी सूचक एक प्रभावी संकेत मिलता है। यह तथ्य कि 1991-96 के दौरान 492.15 लाख रुपये लागत के भाव आने वाले शेयर भाव नहीं आने वाले शेयरों में परिवर्तित हो गये थे, यह इंगित करता है कि 'रीको' ने इस जोखिम के बदले स्वयं की सुरक्षा नहीं की।

2अ.11.2.1 भाव नहीं आने वाले शेयरों का भारी जमाव (होल्डिंग)

2अ.11.2.1.1 भाव नहीं आने वाले शेयरों का पोर्टफोलियो

निम्नांकित तालिका में भाव नही आने वाले इक्विटी के समक्ष कुल धारित इक्विटी लागत की तुलना की गई है:

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष के आरम्भ में धारित इक्विटी की कुल लागत		वर्ष के आरम्भ में भाव नहीं आने वाले शेयरों की लागत		भाव नही आने वाले शेयरों की प्रतिशतता	
		कम्पनियों की संख्या	लागत (रु.लाखों में)	कम्पनियों की संख्या	लागत (रु.लाखों में)	कम्पनियों की संख्या	लागत (रु.लाखों में)
1.	1990-91	100	2146.81	56	547.07	56.00	25.48
2.	1991-92	105	2264.35	63	723.78	60.00	31.96
3.	1992-93	98	2220.10	56	533.76	57.14	24.04
4.	1993-94	96	2405.02	57	649.48	59.38	27.01
5.	1994-95	97	3566.68	56	1114.83	57.73	31.26
6.	1995-96	91	3806.63	49	796.05	53.85	20.91
	वार्षिक औसत	**98**	**2734.83**	**56**	**727**	**57.41**	**26.60**

'रीको' द्वारा धारित भाव नहीं आने वाले शेयर इसके पोर्ट-फोलियो के 26.60 प्रतिशत थे।

इस प्रकार, रीको द्वारा धारित भाव नहीं आने वाली इक्विटियां कुल पोर्टफोलियो की 26.60 प्रतिशत थी लेकिन कम्पनियों की संख्या के हिसाब से यह 57.41 प्रतिशत थी। इससे इंगित होता है कि 'रीको' के थोड़े से निवेश (जो कि छोटी कम्पनियों में

धारित मान लें तो) की बिना भाव आने वाला रहने की प्रवृत्ति अधिक दृढ़तर थी बजाय बड़ी कम्पनियों में धारित इक्विटी के। इससे छोटी कम्पनियों में इक्विटी निवेश के साथ उल्लेखनीय जोखिम जुड़ी होने का पता चलता है। तथापि, 'रीको' ने ऐसी कोई सीमा कम्पनी के आकार के बारे में निर्धारित नहीं कर रखी थी जिसके नीचे कि इसे निवेश नहीं करना हो।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि उन्होंने हाल ही में निर्णय लिया है कि उद्योग श्री योजना के मामलों को छोड़कर 10 करोड़ रुपये से अधिक बड़े आकार वाली परियोजनाओं को इक्विटी सहायता नहीं दी जायेगी।

2अ.11.2.1.2 275 लाख रुपये के कुल इक्विटी निवेश वाली 15 कम्पनियों के मामलों में यह देखा गया कि उनके शेयर 31 मार्च 1996 से पूर्व के 10 वर्षों तक लगातार असूचीबद्ध रहे थे।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि चूंकि इन कम्पनियों में और अधिक कोषों की आवश्यकता नहीं थी इसलिए उन्होंने सार्वजनिक निर्गमन नहीं किया जो कि स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध कराने की एक आवश्यक शर्त थी।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 'रीको' के प्रमापीकृत "अभिदान पत्र" में एक विशिष्ट तिथि दी हुई है जिस तक कि कम्पनी को सार्वजनिक निर्गमन की व्यवस्था करनी थी। चूंकि 'रीको' द्वारा धारित शेयरों के विनिवेश का उनके सूचीबद्ध होने से सीधा सम्बन्ध था अतः ऐसे विलम्ब में अन्तर्निहित है कि 'रीको' को अल्प तरलता वाले शेयरों को धारित किये रहना पड़ा।

2अ.12 विनिवेश पर दी गई रियायतें

2अ.12.1 जैसा कि पहले इंगित किया गया है (देखें अनुच्छेद 10) 'रीको' द्वारा किये गये इक्विटी निवेश के लगभग आधे पुनर्खरीद समझौते वाले शेयर थे। यद्यपि पुनर्खरीद की निर्धारित अवधि 3 से 7 वर्षों के बीच विचरित थी, समस्त शेयरों के परिचक्रण की औसत अवधि 16 वर्ष 4 माह थी (अनुच्छेद 2अ.7.2.2)। शेयरों के धीमे परिचक्रण का कारण अंशतः पुनर्खरीद अवधि में की गई वृद्धियां थी। कुल शेयरों के धीमे परिचक्रण का अन्य कारण किसी भी पुनर्खरीद समझौते से समर्थन के बिना शेयरों के विनिवेश में असाधारण रूप से अधिक समय लगना था।

2अ.12.2 पुनर्खरीद समझौते के अनुसार लागू होने वाली मिश्रित ब्याज दर (प्राप्त लाभांश को छोड़ने के पश्चात्) 14 से 19 प्रतिशत के बीच विचरित हुई थी। तथापि, प्राप्त वास्तविक परिलाभ केवल 7 प्रतिशत थे (अनुच्छेद 2अ.7.2.6 देखें)। परिलाभों में कमी अंशतः इस तथ्य के कारण थी कि प्रवर्तकों को शेयरों की पुनर्खरीद हेतु आकर्षित करने के लिए पुनर्खरीद समझौते में उल्लिखित ब्याज की दर में प्रायः रियायतें दिया जाना था। निम्नतर परिलाभों के लिए उत्तरदायी अन्य तथ्य यह था कि प्रवर्तकों को बिना पुनर्खरीद समझौते वाले शेयर खरीदने के लिए आकर्षित करने हेतु और भी पर्याप्त वृहदत्तर रियायतें प्रदान की गई थीं।

2अ.12.3 निम्नांकित तालिका में प्रवर्तकों को शेयरों की पुनर्खरीद हेतु दी गई विभिन्न रियायतों के उदाहरण स्वरूप 10 मामले दिये गए हैं:

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निवेश का वर्ष	विनिवेशित राशि			निपटान का माह/वर्ष	प्रदत्त रियायतें	ब्याज खाते रियायत का मूल्य	अभ्युक्तियां
			पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत	बिना पुनर्खरीद समझौते वाले	योग				
1.	बांसवाड़ा सिन्टेक्स लिमिटेड	1976-77 से 1977-78	9.15	-	9.15	जुलाई 1994	ब्याज दर को 14 प्रतिशत वार्षिक से 12.5 प्रतिशत वार्षिक घटाई	23.52	ये शेयर जून 1982 में पुनर्खरीद किये जाने थे जिन्हें उसके 12 वर्ष बाद विनिवेशित किया गया।
2.	जयपुर सिन्टेक्स लिमिटेड	1978-79 से 1981-82	19.20	-	19.20	अप्रैल 1994	14.20 लाख रुपये लागत के शेयरों पर मिश्रित दर से ब्याज के स्थान पर 12 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज वसूलना तथा 5 लाख रुपये लागत के शेयरों पर 14 प्रतिशत से घटाकर ब्याज दर 10 प्रतिशत कर देना।	65.39	पुनर्खरीद वाले शेयर अप्रैल 1984 (1.42 लाख शेयर) तथा जनवरी 1985 (0.5 लाख शेयर) देय थे। इनका 10 वर्षों के विलम्ब के पश्चात विनिवेश किया गया।
3.	तिरूपति फाईबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.	1981-82 से 1984-85	53.00	26.00	79.00	फरवरी 1994	पुनर्खरीद वाले शेयरों में 80,000 शेयर 14 प्रतिशत ब्याज वाले तथा 4.5 लाख शेयर 16 प्रतिशत ब्याज वाले थे। दोनों के लिए ब्याज घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया व उसे 31 मार्च 1991 के बाद फ्रीज कर दिया गया। पुनर्खरीद रहित शेयरों का विनिवेश उनके अंकित मूल्य पर किया गया था।	76.00 29.71	पुनर्खरीद जून 1989 से किस्तों में पूर्ण की जानी थी लेकिन यह इस तिथि से 3½ वर्ष बाद की गई। पुनर्खरीद रहित शेयरों से कोई लाभ नहीं उठाया गया हालांकि इन्हें करीब 10 वर्षों तक धारित किया गया था।
4.	मॉडर्न थ्रेडस (आई) लि.	दिसम्बर 1981	35.00	-	35.00	मार्च 1995	ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है।	85.00	जून 1987 में की गई समय वृद्धि के अनुसार ये शेयर पुनर्खरीद के लिए अक्टूबर 1989 (1.50 लाख शेयर) तथा अक्टूबर 1991 (2 लाख शेयर) देय थे। इन शेयरों के धारण की अवधि 13 वर्ष थी।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निवेश का वर्ष	विनिवेशित राशि			निपटान का माह/वर्ष	प्रदत्त रियायतें	ब्याज खाते रियायत का मूल्य	अभ्युक्तियां
			पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत	बिना पुनर्खरीद समझौते वाले	योग				
								(रुपये लाखों में)	
5.	श्रुति सिन्थेटिक्स लि.	फरवरी 1982	48.96	30.60	79.56	जुलाई 1991	1. पुनर्खरीद वाले शेयरों पर ब्याज 16 प्रतिशत से घटा कर (अ) जून 1988 तथा जनवरी 1990 में बेचे गए 2,57,400 शेयरों के लिए 12 प्रतिशत तथा (ब) अप्रैल 1992 में में बेचे गए 2,32,200 शेयरों के लिये 10.5 प्रतिशत कर दिया गया। 2. 1991-92 के दौरान बिना पुनर्खरीद वाले शेयर उनके अंकित मूल्य पर बेच दिये गए थे।	51.31	48.96 लाख रुपये के शेयर पुनर्खरीद हेतु जून 1986 (1.8 लाख शेयर) तथा जून 1988 (3.096 लाख शेयर) देय थे लेकिन इन्हें चरणों में औसतन 3 वर्षो के विलम्ब से जून 1988 से अप्रैल 1992 के दौरान विनिवेशित किया गया। बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों को 9 वर्षो से अधिक तक धारण करके भी उनसे कोई लाभ नहीं उठाया गया।
6.	सुपर सिन्कोटेक्स लि.	दिसम्बर 1982	54.25	-	54.25	अक्टूबर 1994	3.95 लाख शेयरों की ब्याज की दर 16 प्रशित से घटाकर 12 प्रतिशत तथा 1,47,500 शेयरों की 14 प्रतिशत कर दी गई थी।	49.99	पुनर्खरीद जून 1990 तक पूर्ण हो जानी थी लेकिन इस तिथि के 4¼ वर्षो के पश्चात् पूर्ण की गई।
7.	राजस्थान प्रोसेसर्स (आई) लि.	फरवरी 1983	6.00	-	6.00	1992-93	ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई।	8.11	आधे शेयर अक्टूबर 1985 तक तथा शेष अक्टूबर 1987 तक पुनर्खरीद किये जाने थे। विनिवेश मार्च से जुलाई 1993 में, 6 वर्षो से अधिक के विलम्ब से, पूर्ण किया गया।
8.	राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स	जून 1983	3.75	-	3.75	मार्च 1992	ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई।	3.00	शेयरों को 3 वर्षो के भीतर पुनर्खरीद करना था लेकिन 5 वर्षो से अधिक के विलम्ब से विनिवेश किया गया।
9.	अरविन्द प्रेस केप्स लि.	सितम्बर 1985	2.70	-	2.70	सितम्बर 1991	ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई।	1.25	'रीको' द्वारा खरीदे गये 27,000 शेयरों में से 15000 मई 1988 तक तथा शेष मई 1990 तक पुनर्खरीद होने थे। इस प्रकार विनिवेश औसतन 2 वर्षो से अधिक के विलम्ब से हुआ।
10.	केम केप्स लि.	मार्च 1987	13.00	-	13.00	1992-93	ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई।	4.21	पुनर्खरीद अप्रैल 1992 तक होनी थी पर इसे मार्च 1993 में पूर्ण किया गया।
	योग		**245.01**	**56.60**	**301.61**			**397.49**	

2अ.12.4 उपर्युक्त तालिका निम्नांकित को इंगित करती है:

2अ.12.4.1 दस कम्पनियों के प्रवर्तकों को 301.61 लाख रुपये लागत के शेयरों के निस्तारण हेतु 397.49 लाख रुपये की कुल ब्याज की रियायतें देनी पड़ी।

2अ.12.4.2 शेयरों की लागत के सन्दर्भ में पुनर्खरीद वाले शेयरों के विनिवेश की भारित औसत अवधि 11 वर्षो की थी। चूंकि कुल मिलाकर शेयरों के परिचक्रण की औसत अवधि 16 वर्षो की है, बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों की यह सम्बन्धित अवधि 29 वर्षों* की है। इस प्रकार, बिना पुनर्खरीद समझौते के समर्थन वाले शेयरों का विनिवेश करना कहीं अधिक कठिन होता है।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों का विनिवेश स्टॉक मार्केट में जनवरी 1995 से जारी मंदी की प्रवृत्ति के कारण नहीं किया जा सका तथा बाजार के उठते ही इन शेयरों को बेच दिया जायेगा।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 'रीको' के पोर्टफोलियों पर स्टॉक मार्केट में उपलब्ध सम्भावित लाभ 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक का था {देखें अनुच्छेद 2अ.11.1.5 की तालिका का कॉलम (xi)} लेकिन विनिवेश फिर भी बहुत थोड़ा सा था।

2अ.12.4.3 पुनर्खरीद वाले शेयरों पर भारित औसत परिलाभ 11 प्रतिशत थे। चूंकि पुनर्खरीद वाले तथा बिना पुनर्खरीद वाले शेयर में निवेश लगभग एक समान था (अनुच्छेद 2अ.10 की तालिका देखें) तथा उनका औसत परिलाभ 7 प्रतिशत था, बिना किसी पुनर्खरीद समझौते वाले शेयरों का औसत परिलाभ केवल 3 प्रतिशत था।

उपर्युक्त उप-अनुच्छेद 2अ.12.4.2 तथा 2अ.12.4.3 से इंगित होता है कि न केवल बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों का विनिवेश करना अधिक कठिन है बल्कि इनसे परिलाभ भी मामूली प्राप्त होते हैं। इससे 'रीको' द्वारा इसके लगभग आधे इक्विटी निवेश के सम्बन्ध में इसकी पुनर्खरीद समझौते हेतु मोल-भाव नहीं करने की परम्परा भी प्रश्न-चिन्हित होती है।

बिना पुनर्खरीद वाले शयरों के विनिवेश हेतु प्रवर्तकों को प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप औसत विनिवेश की अवधि बढ़कर 29 वर्ष हो गई थी तथा इससे भारित औसत परिलाभ मात्र 3 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ था।

बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों के धीमे परिचक्रण का प्रकटतया कारण 'रीको' द्वारा प्रवर्तक को उन्हें खरीदने हेतु सदैव प्रथम अवसर दिया जाना था जबकि प्रवर्तक उन्हें खरीदने के लिए बाध्य नहीं था। प्रवर्तक स्वाभाविक रूप से ही इन शेयरों को तभी

---

* $2/16 = 1/11 + 1/t$, जहां t बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों के परिचक्रण की समयावधि है।

खरीदना चाहेगा जबकि उसने पहले अपने पुनर्खरीद समझौते वाले शेयर खरीद लिये हो तथा जब उसे लगता है कि वह इन्हें भरपूर लाभ कमाकर बेच सकेगा। विकल्पतः प्रवर्तक बिना पुनर्खरीद वाले शेयर खरीदने के लिए पुनर्खरीद वाले शेयरों की खरीद के पैकेज के एक भाग के रूप में ही सहमत हो सकता है। ऐसे मामलों में यह स्वाभाविक है कि वही बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों के लिए काफी कम कीमत देगा। तिरूपति फाइवर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा श्रुति सिन्थेटिक्स लिमिटेड (उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 3 तथा 5) इसके उदाहरण हैं; इन दोनों मामलों में इन शेयरों का प्रवर्तकों ने उनके अंकित-मूल्य पर 9 वर्षो के पश्चात् एक पैकेज डील के भाग के रूप में खरीदा था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि उन्होंने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज तथा बम्बई, दिल्ली तथा जयपुर के एक्सचेन्जों के दलालों का एक पेनल ऐसी इक्विटी को खुले बाजार में बेचने हेतु बनाया है।

2अ.13 बाजार मूल्य से कम में इक्विटियों का विनिवेश

2अ.13.1 विक़ास हाइब्रिड्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वी.एच.ई.एल.)

'रीको' ने जनवरी 1987 में विकास हाइब्रिडस एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (वी.एच.ई.एल.) के 10 रुपये प्रत्येक वाले 1.45 लाख शेयर सम मूल्य पर खरीदे जिन्होंने भिवाड़ी, अलवर में हाइब्रिड-माइक्रो-सर्किट निर्माण की एक परियोजना स्थापित की थी। पुनर्खरीद समझौते (जुलाई 1987) के अनुसार प्रवर्तकों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हाने के दो वर्षो के भीतर 60,000 शेयर तथा तीन वर्षो के भीतर 85,000 शेयरों की पुनर्खरीद ऐसे मूल्य पर करनी थी जो कि घोषित व 'रीको' को दिये गए लाभांश यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् निवेश की तिथि से 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को वार्षिक रूप से मिश्रित करके परिकलित की गई है। वी.एच.ई.एल. ने 5 अप्रैल 1988 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था इसलिए पुनर्खरीद की अन्तिम तिथियां क्रमशः 4 अप्रैल 1990 तथा 4 अप्रैल 1991 थीं, प्रवर्तकों ने निर्धारित तिथियों तक इन शेयर की पुनर्खरीद की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। वी.एच.ई.एल के शेयरों के भाव दिल्ली तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्जों पर 1988-89 के बाद आने लग गए थे। इन शेयरों का भाव जो 31 मार्च 1991 को 14.50 रुपये के करीब था, 1991-92 में तेजी से बढ़ने लगा। तदनुसार, दिसम्बर 1991 में प्रवर्तक ने उनकी पुनर्खरीद हेतु 25 लाख रुपये जमा करवाये। यद्यपि 'रीको' तब तक वी.एच.ई.एल के शेयर किसी तीसरे पक्षकार को बेचने के लिए स्वतन्त्र था, इसने प्रवर्तकों का प्रस्ताव स्वीकार करके अप्रैल 1992 में समूची होल्डिंग को 17.50 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर प्रवर्तकों द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरित कर दिया (0.38 लाख

रुपये अप्रैल 1992 में जमा करवाये गए)। 31 मार्च 1992 को इस शेयर का भाव कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज में 140 रुपये तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेन्ज में 180 रुपये था। यदि 'रीको' छोटे टुकड़ों मे अपनी होल्डिंग के 1,45,000 शेयर खुले बाजार में बेच देता, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज में बोली जा रही 140 रुपये प्रति शेयर की दर से भी, तो इसे 25.38 लाख रुपये के स्थान पर 203.00 लाख रुपये मिलते व 177.62 लाख रुपये का लाभ होता।

एक कम्पनी के शेयरों का बाजार मूल्य उल्लेखनीय रूप से ऊँचा था और पुनर्खरीद समझौता कालातीत हो गया था तब भी इस समझौते के तहत निर्धारित मूल्य पर इन्हें बेचा गया। फलतः 'रीको' ने लगभग 1.78 करोड़ रुपये का अपना सम्भावित लाभ प्रवर्तक को हस्तान्तरित कर दिया।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि इक्विटी पुनर्खरीद आधार पर थी इसलिए इसके विनिवेश में शेयर का बाजार मूल्य प्रासंगिक नहीं था। यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि पुनर्खरीद समझौते (8 जुलाई 1987) के अनुसार, निर्दिष्ट अवधि में उद्यमियों के शेयरों की पुनर्खरीद में विफल रहने पर, 'रीको' शेयरों को किसी तृतीय पक्षकार/जनता को बेचने के लिए स्वतन्त्र था। फिर, यदि 'रीको' शेयर प्रवर्तक अथवा उसके नामिती को ही बेचना चाहता था तो इसे उस समय के बाज़ार-मूल्य के सन्दर्भ में उनसे मोल-भाव करना चाहिए था।

समझौते की अवधि बीत जाने के बाद भी समझौते की शर्तों के अनुरूप शेयरों की बिक्री के फलस्वरूप 'रीको' ने 1.78 करोड़ रुपये का सम्भावित लाभ प्रवर्तक के पक्ष में छोड़ दिया था।

2अ.13.2 परशरामपुरिया सिन्थेटिक्स लिमिटेड (पी.एस.एल.)

'रीको' ने परशरामपुरिया सिन्थेटिक्स लिमिटेड (पी.एस.एल.) से 1 अक्टूबर 1984 को हुए पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत 24.85 लाख रुपये के कुल 2,48,500 शेयर 10 रुपये प्रत्येक के सम-मूल्य पर अक्टूबर 1984 से मई 1985 के दौरान खरीदे। इनमें से, 1,20,000 शेयर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 3 वर्षो के भीतर और 1,28,500 शेयर 5 वर्षो के भीतर ऐसे मूल्य पर पुनर्खरीद किये जाने थे, जो कि घोषित व रीको को दिये गए लाभांश, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् निवेश की तिथि से 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को वार्षिक रूप से मिश्रित करके परिकलित किया गया हो। तदनुसार, पुनर्खरीद अगस्त 1988 तथा अगस्त 1990 के माह में की जानी थी। 1,20,000 शेयरों के प्रथम लॉट की प्रवर्तकों द्वारा अगस्त 1988 में देय

तिथि निकल जाने के पश्चात् पुनर्खरीद समझौते के अनुसार जून से अक्टूबर 1989 के दौरान 18.58 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 22.30 लाख रुपये में की गई।

तथापि, प्रवर्तक अगस्त 1990 में 1,28,500 शेयरों के दूसरे लॉट की पुनर्खरीद करने में भी विफल रहे। उसे दिसम्बर 1990 में शेयरों की समझौते की शर्तों के अन्तर्गत पुनर्खरीद करने की अनुमति 21.10 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर 27.12 लाख रुपये में (प्राप्त लाभांश सहित) दे दी मानो कि यह पुनर्खरीद समझौते की समय-अनुसूची के एकदम अनुरूप हो। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि दिसम्बर 1990 के दौरान पी.एस.एल. के शेयरों का बम्बई में 69 रुपये के औसत मूल्य पर सक्रिय लेन-देन हो रहा था तथा चूंकि पुनर्खरीद अवधि के बीत जाने के बाद की गई थी, अतः 'रीको' को शेयर खुले बाजार में बेचकर शेयरों के मूल्य में हुई वृद्धि का लाभ उठाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने के कारण 'रीको' ने 61.55 लाख रुपये का सम्भावित लाभ प्रवर्तकों के पक्ष में छोड़ दिया था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि चाहे पुनर्खरीद समझौते में प्रवर्तक के देय तिथि से 45 दिनों के भीतर इक्विटी की खरीद नहीं करने की स्थिति में 'रीको' को उसे खुले बाजार में विनिवेश करने का विकल्प प्रदान किया गया है लेकिन इस विकल्प को कभी काम में नहीं लाया गया था। 'रीको' ने आगे कहा कि खुले बाजार में बिक्री की शर्त प्रर्वतकों पर देय तिथि तक अपने शेयरों का क्रय करने हेतु दबाव डालने के लिए थी।

यह उत्तर 'रीको' द्वारा इसके शेयर खरीदने के लिए प्रवर्तकों को बारम्बार स्वीकृत की गई समय वृद्धियों तथा देनी पड़ी रियायतों के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त नहीं है। शेयरों को खुले बाजार में विनिवेशित करने के विकल्प का उपयोग नहीं करने से 'रीको' ने प्रर्वतकों के द्वारा समय-वृद्धियों एवं रियायतों की मांग को ही प्रोत्साहित किया था।

2अ.14 उपयुक्त अवसर पर बिना पुनर्खरीद वाले शेयरों का निस्तारण नहीं करना

औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ाने के 'रीको' के उद्देश्य की मांग थी कि वह अपनी इक्विटी धारिता का पुनः चक्रण करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा साथ ही अच्छे लाभ अर्जित करने के लिए 'रीको' को चाहिए कि जब कभी भी बाजार भाव उचित रूप से पक्ष में हो, अपने बिना पुनर्खरीद अवधि वाले शेयरों के कम से कम एक हिस्से का तो विनिवेश कर दे। नीचे की तालिका में 'रीको' के पोर्टफोलियो की नमूने के तौर पर ली गई 6 कम्पनियों के शेयरों के बाजार-मूल्य की उनके क्रय की

लागत से की गई तुलना से इंगित होता है कि 'रीको' ने अपनी होल्डिंग का एक छोटे से भाग का भी विनिवेश करके बार-बार अवसर (रेखांकन से इंगित) खोये थे:

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	31 मार्च 1996 को धारित शेयरों की संख्या	31 मार्च को मूल्य											
			1991		1992		1993		1994		1995		1996	
			लागत	बाजार	लागत	बाजार	लागत	बाजार	लागत	बाजार	लागत	बाजार	लागत	बाजार
			(रुपये लाखों में)											
1.	श्री राजस्थान-सिन्टेक्स लि.	10 रुपये प्रत्येक के 2,43,800 इक्विटी शेयर तथा 25 रु. प्रत्येक के 2,43,800 इक्विटी शेयर	24.58	92.18	85.33	336.44	85.33	63.88	85.33	658.26	85.33	365.70	85.33	151.16
			*बा.मू./ला.	3.75	बा.मू./ला.	3.94			बा.मू./ला.	7.71	बा.मू./ला.	4.29		
2.	केल्विनेटर ऑफ इण्डिया लि.	26.33 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य वाले 1,41,525 शेयर	6.10	73.75	6.10	132.75	6.10	47.57	37.46	227.64	37.46	210.57	37.26	131.62
			बा.मू./ला.	12.09	बा.मू./ला.	21.76	बा.मू./ला.:	7.80	बा.मू./ला.	6.08	बा.मू./ला.	5.62		3.53
3.	मोदी अल्कालीज लिमिटेड	10 रुपये प्रत्येक के 2,30,000 इक्विटी शेयर	23.00	43.70	23.00	161.00	23.00	54.63	23.00	42.55	23.00	41.40	23.00	18.40
			बा.मू./ला.	1.90	बा.मू./ला.	7.00	बा.मू./ला.	2.38	बा.मू./ला.	1.85	बा.मू./ला.	1.80		
4.	ए.एस.आई.एल इण्डस्ट्रीज लि.	10 रुपये प्रति के 43,300 तथा 40 रु. प्रति के 43,300 इक्विटी शेयर	4.33	2.17	4.33	7.25	4.33	7.25	4.33	49.80	4.33	52.83	21.65	26.85
					बा.मू./ला.	1.67	बा.मू./ला.	1.67	बा.मू./ला.	11.50	बा.मू./ला.	12.20		
5.	डर्बी टेक्सटाईल्स लिमिटेड	10 रुपये प्रत्येक के 5,20,000 इक्विटी शेयर	52.00	N.A.	52.00	187.20	52.00	52.26	52.00	83.20	52.00	114.40	52.00	78.00
					बा.मू./ला.	3.60					बा.मू./ला.	2.20		
6.	जे.के.इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	86.24 रु. प्रत्येक के औसत मूल्य के 10,50,000 इक्विटी शेयर	285.00	331.25	285.00	1600.00	285.00	500.00	905.58	1543.50	905.58	1522.50	905.58	651.00
					बा.मू./ला.	5.61			बा.मू./ला.	1.70	बा.मू./ला.	1.68		
	योग		**395.01**	**543.05**	**455.76**	**1792.20**	**455.76**	**725.59**	**1107.70**	**2604.95**	**1107.70**	**2307.40**	**1124.82**	**1057.03**

ऊपर वर्णित किसी भी मामले में शेयरों का मामूली सा विनिवेश भी नहीं किया गया, चाहे उसकी बाजार-मूल्य में व्यापक उतार-चढ़ाव रहे हों - इस तथ्य से सम्भावित रूप से उपलब्ध लाभ प्राप्ति के प्रति 'रीको' की उदासीनता का पता चलता है।

* बा.मू./ला. = बाजार मूल्य ÷ लागत

चार्ट - VII

शेयरों का निस्तारण नहीं होना

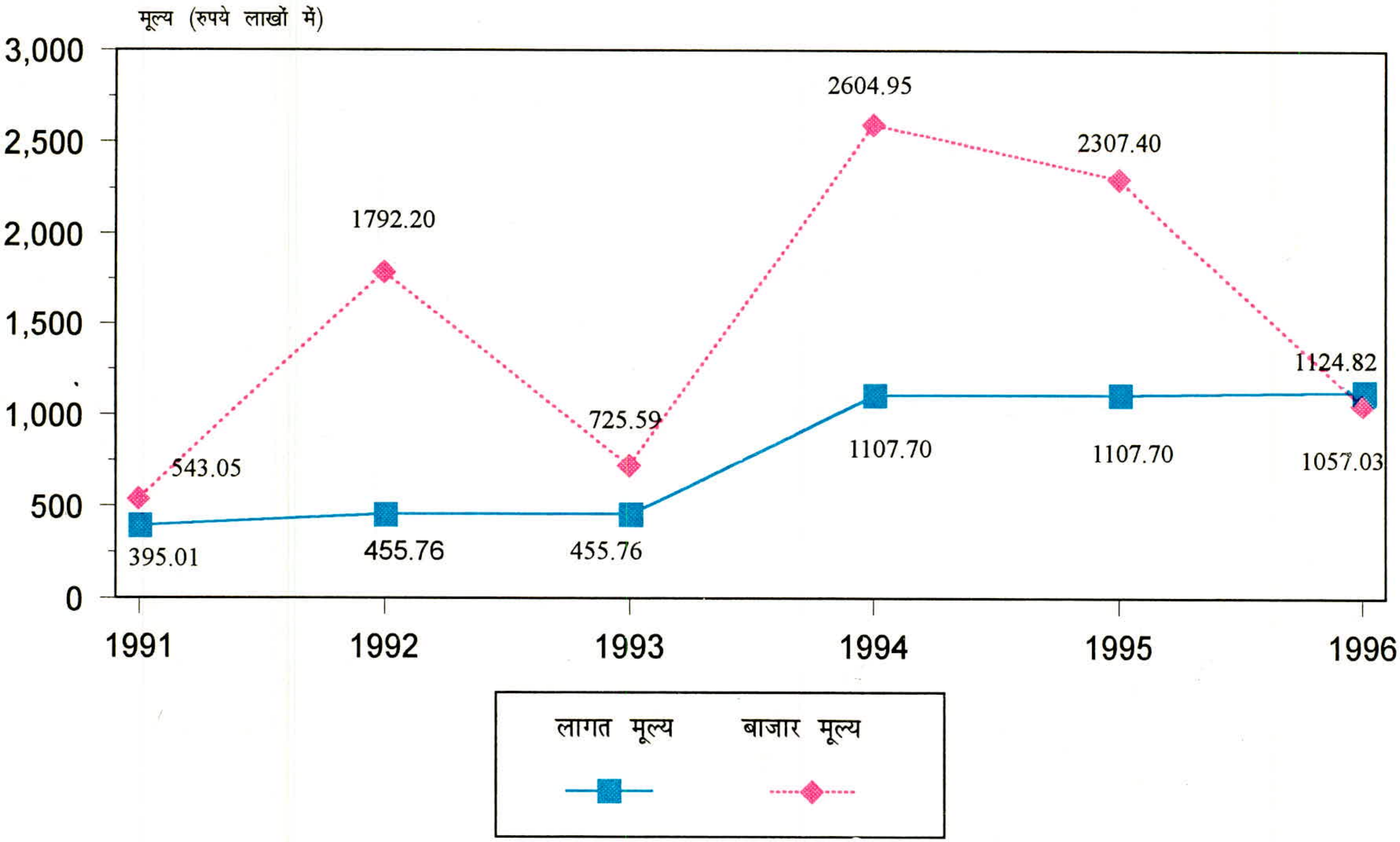

(संदर्भ अनुच्छेद 2अ.14)

स्टॉक मार्केट में शेयर के भावी मूल्यों में अन्तर्निहित अनिश्चितता की दृष्टि से सबसे उपयुक्त समय पर पूर्ण विनिवेश करना सामान्यत: कठिन होता है। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 1992-96 के दौरान, मार्च 1994 के अन्त में सर्वाधिक लाभ (14.97 करोड़ रुपये) उपलब्ध था तथा उसके बाद मार्च 1995 के अन्त में (12.00 करोड़ रुपये)। यदि 'रीको' ने बाजार मूल्यों के प्रति जागरूकता रखी होती तथा मार्च 1995 के अन्त में बाजार मूल्य स्तर पर भी अपनी धारिता का विनिवेश किया होता तो इसे 12.00 करोड़ रुपये लाभ के मिल गये होते। इस लाभ को अर्जित करने के अच्छे विनिवेश के अवसर को गंवा देना व तत्पश्चात् 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अवधि ऋणों के माध्यम से उपलब्ध) अर्जित करना व इन सभी शेयरों का बाजार मूल्य गिर जाना- सबने मिलकर मार्च 1996 के अन्त में बाजार मूल्य में 12.50 करोड़ रुपये की कमी ला दी थी। समूचे 1994-95 में मामूली सा भी विनिवेश किये बिना इन शेयरों के धारण करने से 'रीको' के सर्वोच्च प्रबन्धन की पहल करने की कमी इंगित होती है विशेषकर तब जबकि उनके वित्त-समूह ने जनवरी 1994 में ही पूंजी बाजार की तेजी के प्रकाश में विनिवेश का परामर्श दे दिया था।

बाजार में तेजी के होते हुए भी एक वर्ष से अधिक तक शेयरों का विनिवेश नहीं करने के परिणामस्वरूप 12.00 करोड़ रुपये का सम्भावित लाभ वसूल नहीं हो सका, जो कि आगे चलकर पूर्णत: समाप्त हो चुका था।

'रीको' ने बताया (नवम्बर 1996) कि या तो भविष्य में ऊंची कीमतों की प्रत्याशा के कारण या फिर प्रवर्तकों/म्यूचुअल फण्डों के मार्फत किये गए विनिवेश के प्रयास विक्रय में परिवर्तित नहीं होने की वजह से कोई विनिवेश नहीं किया जा सका था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 'रीको' को एक कम्पनी (एक ही प्रमाण-पत्र में धारित) अपनी समूची इक्विटी का निस्तारण एक मात्र सौदे से करना था। यदि 'रीको' ने अपनी होल्डिंग को अनेक सर्टिफिकेटों में विभक्त करवाने की व्यवस्था कर ली होती तो इसे छोटे लॉटस् में विनिवेश करने का विकल्प प्राप्त हो गया होता ऐसे प्रस्तावों की स्वाभाविक रूप से अधिक मांग रही होती।

2अ.14.1 श्री राजस्थान सिन्टेक्स लिमिटेड (एस.आर.एस.एल.)

'रीको' के स्टॉक में एस.आर.एस.एल के 4,87,600 शेयर थे जिनमें से आधे सम-मूल्य 10 रुपये में व शेष आधे 25 रुपये प्रति शेयर के भाव से 1979 से 1982 के दौरान प्राप्त किये गये थे। फरवरी 1994 में, एक बम्बई की निवेश कम्पनी क्रेडा इन्वेस्टमैन्ट प्राईवेट लिमिटेड ने एस.आर.एस.एल. के 2 लाख शेयरों के 126 रुपये प्रति शेयर अथव बम्बई स्टॉक एक्सचेन्ज के अधिकृत बाजार बन्द मूल्य से 10 प्रतिशत कम, जो कि 130.50 रुपये प्रति शेयर से अधिक न हो, पर खरीदने का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव 4 मार्च 1994 तक वैध था। फरवरी 1994 के अन्त में बम्बई स्टॉक एक्सचैन्ज में एस.आर.एस.एल के शेयर का मूल्य 145 रुपये प्रति शेयर था।

प्रर्वतकों के अनुरोध पर 2.32 करोड़ रुपये के लाभ वाले शेयरों की बिक्री रोक दी गई। बाद में, शेयर का मूल्य 126 रुपये से गिरकर 31 रुपये रह गया।

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (सी.एम.डी) ने तथापि, निर्णय लिया (मई 1994) कि प्रर्वतक से इन शेयरों को बाजार मूल्य के आस-पास पर खरीदने हेतु पूछा जावे यदि उनकी रुचि नहीं हो तो इन्हें बाजार में बेच दिया जावे। प्रत्युत्तर में (नवम्बर 1994) प्रवर्तक ने 'रीको' से तीन वर्षो तक इन शेयरों को बाजार में बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध किया व कहा कि वह उसके बाद के दो वर्षो की अवधि में इन्हें चरणों में खरीद लेगा।

'रीको' इस बात के लिए सहमत था कि इसके द्वारा धारित इक्विटी का विनिवेश तीन वर्ष तक टाल दिया तथा प्रवर्तकों को क्रय प्रस्ताव पर पहला अधिकार होगा जो चरणबद्ध तरीके से 12-18 माह के भीतर-भीतर अभ्यासित किया जा सकेगा जिसमें विफल रहने पर 'रीको' शेयरों को बांजार में निकाल देने का स्वतन्त्र था। विक्रय को तीन वर्षो के लिए रोकने से पूर्व तथापि, 'रीको' ने अपने वित्तीय हित की सुरक्षार्थ कोई समझौता नहीं किया था।

दो लाख शेयरों का विनिवेश नहीं करने के 'रीको' के निर्णय के परिणामस्वरूप इसने 2.32 करोड़ रुपयों का लाभ कमाने का अवसर गंवा दिया जिनको कि अन्य परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाने के काम में लिया जा सकता था। इसी दौरान, एस.आर.एस.एल. के शेयर का भाव 31 मार्च 1996 तक गिरकर 31 रुपये रह गया।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि इसकी नीति उद्यमी को अस्थिर नहीं करने तथा प्रवर्तकों को प्रथम विकल्प प्रदान करने की थी। फिर, इसका निर्णय 1994 की औद्योगिक नीति के अनुरूप था जिसके अनुसार यदि इकाई राज्य के भीतर व्यापक विस्तार करती है तो इसकी इक्विटी में विनिवेश नहीं किया जावे।

सरकार का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि पूर्वकथित तत्व 'रीको' को प्रवर्तक के साथ शेयरों को एक निर्दिष्ट भावी तिथि पर ऐसे मूल्य पर खरीदने हेतु बाध्य करने वाले अनुबन्ध के करने से नहीं रोकते थे जिसमें (अ) वह मूल्य दिया गया है जिस पर 'रीको' उन्हें बेच सकता था (अर्थात् अवसर लागत), व (ब) जिस अवधि के लिए विनिवेश में विलम्ब किया गया है, उसके लिए ब्याज की मिश्रित दर।

2अ.15 प्रणाली की कमियां

इस तथ्य के रहते कि अन्य कम्पनियों की इक्विटियों में निवेश तथा उद्यमियों को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना 'रीको' की मुख्य गतिविधियां है, जिनमें भारी निवेश निहित है, कोई प्रणालीबद्ध अभिलेख इकाइयों के कार्यकारी परिणामों तथा वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाने हेतु संधारित नहीं किये गए थे। ऐसी इकाइयों के बोर्ड में निदेशकों के नामांकन की प्रभावशाली प्रणाली भी नहीं थी। यहां तक कि अद्यतन वार्षिक लेखे प्राप्त कर उनका विश्लेषण नहीं किया जाता रहा था ताकि प्रत्येक इकाई के कार्य-निष्पादन एवं भावी-अनुमानों के बारे में आवश्यक सामग्री मिल सके। नियमित निगरानी तथा 'रीको' द्वारा पोर्टफोलियो में धारित शेयरों के स्टॉक मार्केट मूल्यों के विश्लेषण की प्रणाली का पूर्णतः अभाव था।

निवेश तथा विनिवेश क्रिया-कलापों की आन्तरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इस कार्य-कलाप की कमियां 'रीको' के निदेशक मण्डल के ध्यान में नहीं लाई गई थी।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि इक्विटी के मामलों की स्थिति समय-समय पर समीक्षात्मक टिप्पणियों के द्वारा बोर्ड को सूचित की गई थी। यह प्रणाली, तथापि निवेश एवं विनिवेश गतिविधियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की पूरक नहीं हो सकती थी।

2अ.16 निष्कर्ष

(i) पुनर्खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद को आदरित कराने में 'रीको' को बहुत कठिनाई थी, इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए इसकी शर्तों और दशाओं को और प्रभावी बनाने हेतु नये सिरे से विचार की आवश्यकता थी।

(ii) जब कभी भी प्रवर्तक निश्चित समय सीमा में शेयरों की खरीद करने में असफल हो जाते हैं तो 'रीको' का अपनी इस सहायता प्राप्त इकाइयों में धारित शेयरों को (यदि आवश्यक हो तो छोटे-छोटे हिस्सों में) बाजार में बेच देना चाहिये।

(iii) विनिवेश हेतु मशीन-तंत्र को गति प्रदान करने के लिए कम अवधि में इक्विटियों का परिचक्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

अध्याय-2 ब

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियां	91
2ब.1	प्रस्तावना	94
2ब.2	उद्देश्य एवं कार्यकलाप	94
2ब.3	संगठनात्मक ढांचा	95
2ब.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	95
2ब.5	निधियों के स्रोत	95
2ब.6	वित्तीय स्थिति	96
2ब.7	कार्यचालन परिणाम	98
2ब.8	बजट नियन्त्रण	100
2ब.9	पर्यटन का विकास तथा रा.प.वि.नि. की हिस्सेदारी	102
2ब.10	प्रचालन निष्पादकता	107
2ब.11	आवास	110
2ब.12	खानपान सेवाएं	115
2ब.13	खानपान पर व्यय	117
2ब.14	निविदायें तथा व्यंजन सूची दरें अनुमोदित करने में विलम्ब से हानि	119
2ब.15	मरम्मत एवं संधारण	120
2ब.16	लुप्त प्रेषित धन	120
2ब.17	उधार विक्रय	121
2ब.18	निष्क्रिय उपकरण	122
2ब.19	केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य	122
2ब.20	अन्य रूचिकर बिन्दु	123
2ब.21	निष्कर्ष	125

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

झलकियां

- राज्य में पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (रा.प.वि.नि.) का गठन नवम्बर 1978 में किया गया। 31 मार्च 1996 को रा.प.वि.नि. 34 होटल, 12 मोटल/मिडवे, दो केफेटेरिया, एक यातायात इकाई और एक पैकेज ट्यूर इकाई चला रहा था। इसके अतिरिक्त रा.प.वि.नि. बीयर-व्यापार तथा रेलवे द्वारा संचालित एक पर्यटक रेलगाड़ी 'पैलेस ऑन व्हील्स' में खान पान सेवाएं उपलब्ध करवा रहा था।

(अनुच्छेद 2ब.1 तथा 2ब.2)

- रा.प.वि.नि. का शुद्ध लाभ 1992-93 के 206.62 लाख रुपये से तीव्र रूप से घटकर 1993-94 में 124.77 लाख रुपये और पुनः 1994-95 में घटकर 28.87 लाख रुपये रह गया। मोटे तौर पर यह कार्मिक व्यय तथा मुख्यालय के प्रशासनिक व्यय में अधिक वृद्धि के कारण से था।

(अनुच्छेद 2ब.7.1)

- रा.प.वि.नि. द्वारा अर्जित लाभ मुख्यतया बीयर व्यापार से था जो रा.प.वि.नि. का मुख्य कार्यकलाप नहीं था। अपने होटलों/मोटलों आदि को चलाने में रा.प.वि.नि. ने लगातार हानियां उठाई जो 1992-93 की 19.75 लाख रुपये से अत्यधिक बढ़कर 1994-95 में 232.97 लाख रुपये हो गई।

(अनुच्छेद 2ब.7.2)

- रा.प.वि.नि. के बजट अनुमान (ब.अ.) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद अनुमोदित किये गये। इसी प्रकार संशोधित अनुमान (स.अ.) अक्सर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अनुमोदित हुये। इसके अतिरिक्त, वार्षिक खातों को बनाने के लिये अनुमत 3 माह के समक्ष रा.प.वि.नि. ने 8 माह से एक वर्ष का

समय लिया। इस प्रकार के विलम्ब ने व्यय के अनुश्रवण एवं नियन्त्रण को कमजोर किया।

(अनुच्छेद 2ब.8)

– घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को आवास उपलब्ध करवाने में रा.प.वि.नि. की हिस्सेदारी में घंटोत्तरी की प्रवृत्ति दर्शाती है।

(अनुच्छेद 2ब.9)

– हानि में चलने वाले होटलों, मिडवे तथा केफेटेरिया की संख्या 1990–91 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 1994–95 में 70 प्रतिशत हो गई। इन इकाइयों की कुल हानि भी 1990-91 के 17.49 लाख रुपये से बढ़कर 1994–95 में 75.13 लाख रुपये हो गई। नौ होटलों और मोटलों ने 1990–91 से 1994–95 तक के प्रत्येक पांच वर्षों में लगातार हानि उठाई जो कुल मिलाकर 82.68 लाख रुपये थी। ऐसी हानियाँ कुछ होटलों के अलाभकर स्थलों पर स्थित होने के कारण से थी।

(अनुच्छेद 2ब.10 एवं 2ब.11)

– आवास उपलब्ध करा रही 50 इकाइयों में से 10 इकाइयों में 1994–95 में बिस्तर अधिभोग 20 प्रतिशत से भी कम था।

(अनुच्छेद 2ब.11.1)

– 1994–95 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान खानपान सेवाएं उपलब्ध करवा रही 33 से 47 इकाइयों में से 8 से 18 इकाइयां अपना प्रचालन व्यय भी नहीं निकाल सकी।

(अनुच्छेद 2ब.12.1)

– 1990–91 से 1994–95 के दौरान खान-पान व्यवस्था हेतु कच्चे माल पर कुल व्यय मानक लागत से 11.57 लाख रुपये अधिक हुआ।

(अनुच्छेद 2ब.13.1.1)

- 1994-95 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान ईंधन पर व्यय मानक लागत से 43.56 लाख रुपये अधिक हुआ।

(अनुच्छेद 2ब.13.1.2)

- खान-पान कच्ची सामग्री क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने में 3 से 9 माह के विलम्ब तथा व्यंजन सूची दरें संशोधित करने में परिणामी विलम्ब से रा.प.वि.नि. को 24.18 लाख रुपये की सतत् राजस्व हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2ब.14)

- निजी पक्षकारों के विरुद्ध 31 मार्च 1995 को 1.09 करोड़ रुपये बकाया थे। बकाया राशि का न तो वर्षवार विवरण ही उपलब्ध था और न ही देनदारों से बकाया की पुष्टि प्राप्त की गई थी।

(अनुच्छेद 2ब.17)

- भारत सरकार के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं करने के कारण रा.प.वि.नि. द्वारा वर्ष 1985-86 से 1993-94 के दौरान किये गये 64.50 लाख रुपये व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता अभी भी प्राप्त करनी थी (मई 1996)। इसके कारण अवरूद्ध निधियों पर 31 मार्च 1996 तक 40.35 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2ब.19)

2ब.1 प्रस्तावना

राज्य में पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में नवम्बर 1978 में राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निगमित किया गया। नवम्बर 1987 में इसका नाम बदलकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम (रा.प.वि.नि.) कर दिया गया।

2ब.2 उद्देश्य एवं क्रिया-कलाप

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- होटल, रेस्ट्रां आदि का व्यवसाय करना;
- परिवहन इकाइयों की स्थापना एवं व्यवस्था करना, तथा
- भारतीय एवं विदेशी, दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करना।

अपने उद्देश्यों के अनुसरण में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

- राज्य में पर्यटन विकास को गतिशील एवं सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थापना, विकास एवं निष्पादन करना।
- पर्यटकों को भोजन एवं आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु होटलों, रेस्ट्रांओं, केफेटेरिया, मोटलों आदि का अधिग्रहण, निर्माण एवं संचालन करना।
- पैकेज ट्यूर आयोजित करना तथा परिवहन, मनोरंजन एवं खरीददारी आदि की सुविधाएं देना।
- पर्यटन महत्व के स्थानों का अधिग्रहण, विकास एवं संधारण करना।
- पर्यटक विज्ञापन सामग्री उपलब्ध करवाना, इसका वितरण एवं विक्रय करना।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों आदि का आयोजन करना।
- रेल्वे द्वारा चलाये जा रहे 'पैलेस ऑन व्हील्स' में खानपान उपलब्ध करवाना।
- बीयर का विक्रय।

31 मार्च 1996 को रा.प.वि.नि. 34 होटल, 12 मोटल/मिडवे, 2 कैफेटेरिया, एक यातायात इकाई तथा एक पैकेज ट्यूर इकाई चला रहा था। 1990-91 से 1995-96 के दौरान 15 इकाइयां स्थापित की गई जिसमें से 13 इकाइयों का वित्तपोषण केन्द्रीय सहायता (149.15 लाख रुपये), राज्य सहायता (39.40 लाख रुपये) तथा रा.प.वि.नि. की स्वयं की निधियों (239.25 लाख रुपये) से हुआ। देशनोक में एक इकाई का भवन 1992-93 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बीकानेर से लिया गया तथा रामदेवरा (जिला जैसलमेर) में एक अन्य इकाई का भवन 1994-95 में पर्यटन निदेशक से लिया गया। इन भवनों को होटलों के रूप में चलाने के लिये रा.प.वि.नि. ने इनके नवीनीकरण आदि पर क्रमश: 0.85 लाख रुपये और 0.77 लाख रुपये का व्यय किया।

2ब.3 संगठनात्मक ढाँचा

रा.प.वि.नि. का प्रबन्धन, प्रबन्धक मण्डल में निहित है, जिनकी 31 मार्च 1996 को संख्या 11 थी। रा.प.वि.नि. का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबन्ध निदेशक है जिसकी एक कार्यकारी निदेशक, एक महाप्रबन्धक (वित्त) तथा एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (निर्माण) सहायता करते हैं।

2ब.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

रा.प.वि.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयीं आवास एवं खानपान सुविधाओं की समीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1986-87 (वाणिज्यिक) में की गई थी। प्रतिवेदन पर 1992-93 में विचार विमर्श किया गया और इस समीक्षा पर राजकीय उपक्रम समिति की सिफारिशें प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1996)। वर्तमान समीक्षा में रा.प.वि.नि. की 31 मार्च 1995 को समाप्त पांच वर्षो की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है तथा यह अगस्त से दिसम्बर 1995 तक 18 इकाइयों (पचास इकाइयों में से) के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित है। समीक्षा के परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

2ब.5 निधियों के स्रोत

2ब.5.1 पूंजी ढांचा

15 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के समक्ष रा.प.वि.नि. की 31 मार्च 1995 को प्रदत्त पूंजी 13.84 करोड़ रुपये थी, जो सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा अंशदानित थी।

2ब.5.2 उधारियां

रा.प.वि.नि. ने समय-समय पर ऋण पत्र जारी करके 7.5 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लिये। 31 मार्च 1995 को ऋण की बकाया राशि 935.50 लाख रुपये थी। ऋणपत्र राजस्थान सरकार की प्रत्याभूति के अन्तर्गत सुरक्षित है।

इसके अतिरिक्त रा.प.वि.नि. ने रेल्वे के सहयोग से 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी को बड़ी लाइन पर संचालित करने की लागत के अंशदान हेतु भारतीय पर्यटन वित्त निगम, नई दिल्ली से जनवरी 1995 में 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

2ब.5.3 केन्द्रीय एवं राज्य सहायता

भारत सरकार का पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान के रुप में सहायता उपलब्ध करवाता है। अक्टूबर 1993 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता में स्वीकृत अनुमानों की 90 प्रतिशत अथवा सिविल निर्माणों (आंतरिक ज़ल आपूर्ति एवं सेनेटरी फिटिंग्स सहित) तथा आंतरिक विद्युतिकरण की वास्तविक लागत में से जो भी कम हो सम्मिलित है। होटलों/मोटलों आदि के निर्माण पर शेष व्यय राज्य सरकार/ रा.प.वि.नि. द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार का अंशदान सामान्यत: नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने तथा बाह्य ऊर्जा आपूर्ति/जल आपूर्ति, चार दीवारी/कांटेदार बाड़, पहुँच मार्गो का व्यय वहन करने तक सीमित होता है। इसलिये रा.प.वि.नि. को सिविल निर्माणों की लागत के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त साज-सज्जा पर समस्त व्यय वहन करना पड़ता है।

रा.प.वि.नि. द्वारा अपनी स्थापना से (31 दिसम्बर 1995 तक) कराये गये पूंजीगत कार्यो की लागत (विद्यमान इकाइयों के विस्तार पर किये गये व्यय सहित) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 23.83 करोड़ रुपये थी:

	रुपये करोड़ों में
केन्द्रीय सहायता	3.66
राज्य सहायता	1.05
रा.प.वि.नि. की स्वयं की निधियां	19.12
कुल निधियां	23.83

2ब.6 वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित तालिका में 1994-95 तक के पांच वर्षो के अन्त में रा.प.वि.नि.

की सारांशिकृत वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है:

		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	देयताएं:			(रुपये लाखों में)		
अ)	प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन राशि सहित)	1059.84	1153.84	1268.84	1383.84	1383.84
ब)	आरक्षित एवं अतिरेक	23.83	23.24	98.11	214.23	226.87
स)	उधारियां	741.28	805.50	870.50	870.50	1435.50
द)	व्यापारिक बकाया तथा अन्य चालू देयताएं (प्रावधानों सहित)	542.23	829.23	1122.44	1598.91	2034.59
	योग	**2367.18**	**2811.81**	**3359.89**	**4067.48**	**5080.80**
	सम्पत्तियाँ:					
अ)	स्थायी सम्पत्तियाँ	1621.69	1816.18	1938.03	2267.49	2563.32
ब)	घटायें: मूल्य ह्रास	277.17	324.28	310.19	367.98	443.51
स)	निविल स्थायी सम्पत्तियाँ	1344.52	1491.90	1627.84	1899.51	2119.81
द)	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	42.80	74.90	82.57	92.87	91.85
य)	भण्डारों में पड़ा पूंजीगत सामान	10.39	2.68	10.86	9.79	6.11
र)	बड़ी लाइन परियोजना* 'पैलेस ऑन व्हील्स'	-	-	-	-	822.90
ल)	चालू सम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम	756.29	1129.87	1638.62	2065.31	2029.52
व)	अमूर्त सम्पत्तियां:					
	(i) विविध व्यय	0.28	0.11	शून्य	शून्य	10.61
	(ii) संचालित हानि	212.90	112.35	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**2367.18**	**2811.81**	**3359.89**	**4067.48**	**5080.80**
	नियोजित पूंजी**	1558.57	1792.54	2144.01	2393.78	2150.77
	निविल मूल्य***	870.49	1064.62	1366.95	1598.07	1600.10

* 1994-95 में बड़ी लाइन पर 'पैलेस ऑन व्हील्स' के निर्माण पर चालू कार्य में पूंजीगत व्यय प्रदर्शित करता है।

** नियोजित पूंजी निवल स्थायी सम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती है।

*** निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित एवं अतिरेक में से अमूर्त सम्पत्तियों को कम करके निकाला गया है।

2ब.7 कार्यचालन परिणाम

2ब.7.1 1990-95 वर्षो के लिये रा.प.वि.नि. के कार्यचालन परिणाम नीचे दिये गये है:

		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
अ.	आय			(रुपये लाखों में)		
अ)	इकाइयों से प्रचालन आय[1]					
i)	आवास	227.96	283.68	337.75	379.04	458.14
ii)	खानपान व्यवस्था	200.65	278.74	307.86	357.70	410.46
iii)	मदिरालय	55.83	77.87	86.28	100.48	111.03
iv)	यातायात एवं नौकायन	46.16	76.88	86.29	94.52	87.63
v)	अन्य	131.84	209.09	273.66	241.82	156.95
	योग (i) से (v)	**662.44** **(35.4)**	**926.26** **(36.4)**	**1091.84** **(36.3)**	**1173.56** **(29.7)**	**1224.21** **(29.1)**
ब)	बीयर व्यापार से आय	1198.05 (63.9)	1587.57 (62.4)	1859.45 (61.8)	2569.24 (64.9)	2948.16 (70.0)
स)	अप्रचालन आय	1.61 (0.1)	3.11 (0.1)	3.62 (0.1)	5.37 (0.1)	8.94 (0.2)
द)	स्थाई जमा पर ब्याज	11.16 (0.6)	28.82 (1.1)	53.32 (1.8)	48.17 (1.2)	30.89 (0.7)
य)	भा.नि.वि.म की बिक्री से आय[2]	-	-	-	163.55 (4.1)	-
	योग: अ	1873.26	2545.76	3008.23	3959.89	4212.20
ब.	व्यय					
र)	इकाइयों का प्रचालन व्यय	392.36 (22.8)	552.83 (23.9)	636.24 (23.7)	749.06 (20.3)	789.10 (19.6)
ल)	बिक्रित बीयर पर सीधी लागत	1061.50 (61.8)	1417.93 (61.2)	1644.58 (61.3)	2430.36 (65.7)	2615.10 (65.0)
व)	कार्मिक व्यय[3]	232.80 (13.6)	275.33 (11.9)	352.65 (13.2)	413.70 (11.1)	519.89 (12.9)
ह)	मुख्यालय प्रशासनिक व्यय[4]	20.70 (1.2)	54.99 (2.4)	32.25 (1.2)	86.86 (2.4)	84.84 (2.1)
ज)	निदेशकों पर व्यय	1.51 (0.1)	1.30 (0.1)	-	-	0.74

1 'पैलेस ऑन व्हील्स' में खान-पान की आय सहित।

2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा।

3 बीयर व्यापार तथा 'पैलेस ऑन व्हील्स' में खानपान व्यवस्था पर स्टॉफ लागत को छोड़कर जिन्हे ब(र) में सम्मिलित किया गया है।

4 मुख्यालय में स्टॉफ् लागत सम्मिलित नही है जिसे ब(व) में सम्मिलित किया गया है।

5. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल आय (अ)/कुल व्यय (ब) से प्रतिशतता दर्शाते है।

ट)	स्थाई परिसम्पत्तियों के बेचान से हानि	1.61 (0.1)	1.24 (0.1)	4.00 (0.2)	6.33 (0.2)	3.04 (0.1)
ठ)	अशोध्य ऋणों के लिये प्रावधान	2.00 (0.1)	3.00 (0.1)	2.00 (0.1)	3.00 (0.1)	-
ड)	राज्य सरकार को प्रत्याभूति कमीशन	5.40 (0.3)	7.68 (0.3)	8.23 (0.3)	8.71 (0.2)	8.72 (0.3)
	योग: ब	**1717.88**	**2314.30**	**2679.95**	**3698.02**	**4021.43**
	ब्याज एवं मूल्य ह्रास से पहले लाभ (अ-ब)	155.38	231.46	328.28	261.87	190.77
	घटायें:					
	मूल्य ह्रास (स)	44.66	49.18	53.93	64.47	79.15
	ब्याज (द)	55.67	62.77	67.73	72.63	82.75
	योग स+द	**100.33**	**111.95**	**121.66**	**137.10**	**161.90**
	ब्याज एवं मूल्य ह्रास के बाद निवल लाभ (अ)-(ब+स+द)	55.05	119.51	206.62	124.77	28.87
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	(-)14.40	(-)18.95	(-)7.97	(-)8.05	(-)21.57
	पूर्व अवधि समायोजन के पश्चात् लाभ	**40.65**	**100.56**	**198.65**	**116.72**	**7.30**

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि रा.प.वि.नि. का सर्वाधिक उत्प्लावक क्रियाकलाप 1992-93 से बीयर का व्यापार है।

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान लाभ में तीव्र कमी मुख्यत: कार्मिक एवं मुख्यालय प्रशासनिक व्यय 1992-93 में प्रचलन आय के 45 प्रतिशत से 1994-95 में 55 प्रतिशत होने के कारण थी।

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान लाभ में तीव्र कमी के मुख्य कारक कार्मिक व्यय तथा मुख्यालय के प्रशासनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि थे जो 1992-93 के दौरान इकाइयों की प्रचालन आय ('पैलेस ऑन व्हील्स' में खानपान व्यवस्था को छोड़कर) के 45 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमश: 51.7 प्रतिशत और 55 प्रतिशत हो गये थे। कार्मिक व्यय में बढ़ोतरी मुख्यत: नवम्बर 1994 से 241 आकस्मिक/संविदा के/प्रशिक्षणार्थियों को नियमित करने के कारण से हुई थी।

2ब.7.2 रा.प.वि.नि. द्वारा अर्जित लाभ मुख्यत: राज्य आबकारी विभाग की अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत किये जा रहे बीयर व्यापार और रेल्वे के सहयोग से चलाई जा

रही पर्यटक गाड़ी "पैलेस ऑन व्हील्स" में खानपान प्रबन्धन से था। अन्य सभी क्रियाकलाप यथा पर्यटक होटल, खानपान सेवाएं आदि हानि में चल रहे थे जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है:

वर्ष	अर्जित लाभ				
	बीयर व्यापार पर	पैलेस ऑन व्हील्स में खानपान पर	योग (स्तम्भ 2+3)	अन्य क्रिया-कलापों में हानि	समग्र रुप से रा.प.वि.नि. का लाभ (स्तम्भ 4-5)
1	2	3	4	5	6
			(रुपये लाखों में)		
1990-91	92.81	20.70	113.51	58.46	55.05
1991-92	114.22	42.72	156.94	37.43	119.51
1992-93	155.64	70.73	226.37	19.75	206.62
1993-94	192.22	27.00	219.22	94.45	124.77
1994-95	245.93	15.91	261.84	232.97	28.87

रा.प.वि.नि. द्वारा अर्जित लाभ मुख्यतया बीयर व्यापार तथा पर्यटक रेलगाड़ी 'पैलस ऑन व्हील्स' में खानपान व्यवस्था के कारण थे। रा.प.वि.नि. अपने अन्य कार्यकलापों में लगातार हानि उठाता रहा।

चूंकि बीयर व्यापार रा.प.वि.नि. की मुख्य गतिविधि नही है और 'पैलस ऑन व्हील्स' में खानपान व्यवस्था के लिये रा.प.वि.नि. खानपान की लागत पर ध्यान दिये बिना रेल्वे द्वारा टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय का 27.72 प्रतिशत प्राप्त करता है अत: इन दो कार्यो से अर्जित लाभ जो अन्य कार्यो से हुई हानियों की क्षतिपूर्ति से भी ज्यादा है, रा.प.वि.नि. के वित्तीय एवं उद्देश्यात्मक निष्पादन का सही संकेतक नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकलापों से हानियां 1992-93 तथा इसके बाद से प्रगामी रुप से बढ़ रही है। रा.प.वि.नि. अन्य कार्यकलापों में हानियां मुख्यतया अपने पर्यटक होटलों में कम अधिभोग, बिना अनुपात के उच्च उपरिव्यय, खानपान व्यवस्था में कच्ची सामग्री, ईधन आदि की अधिक खपत के कारण से थी जैसा कि अनुच्छेद 2ब.9 से 2ब.14 में विचार किया गया है।

2ब.8 बजट नियन्त्रण

अनुबन्ध VII में बजट की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय एवं आय के अन्तर को बताया गया है, जो निम्नलिखित दर्शाता है:

(अ) वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व बजट अनुमान अनुमोदित करवाने के स्थान पर इन्हे वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के छह माह बाद तक अनुमोदित किया गया।

(ब) संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद (1994-95 को छोड़कर जब इन्हे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के मात्र 4 दिन पूर्व अनुमोदित किया गया) अनुमोदित किये गये।

(स) सम्बन्धित बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से वास्तविक आय और व्यय में अत्यधिक अंतर था।

(द) वार्षिक लेखों को बनाने के लिये अनुमत्य 3 माह के स्थान पर रा.प.वि.नि. ने 8 माह से 1 वर्ष का समय लिया।

रा.प.वि.नि. ने बताया (नवम्बर 1995) कि वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण सही बजट अनुमान नही बनाये जा सके। जबकि 1994-95 तक के पांच वर्षों में रा.प.वि.नि. अपने लेखों को सम्बन्धित वर्ष के 30 सितम्बर तक, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 में अपेक्षित है, को अंतिम रुप देकर अंगीकार नहीं कर सका। 1994-95 तक के सभी पांच वर्षो में मूल एवं संशोधित बजट अनुमानों को तैयार करने में असामान्य विलम्ब ने बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के वास्तविक ध्येय को ही निष्फल कर दिया। रा.प.वि.नि. ने आगे बताया (जून 1996) की बजट अनुमानों और वास्तविक आय व्यय में अन्तर राजनैतिक अस्थिरता, दंगों, महामारी आदि के कारण था। तथापि, संशोधित अनुमानों के बाद भी अधिक अन्तर संकेत करता है कि, आय-व्यय के अनुमान तैयार करने की तकनीक में सुधार की आवश्यकता है। बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों को समय पर तैयार करने के अभाव में रा.प.वि.नि. की वास्तविक आय-व्यय को नियोजित स्तर के समक्ष अनुश्रवित नही किया जा सका।

रा.प.वि.नि. ने 1994-95 में समाप्त पांच वर्षो में से किसी भी वर्ष में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वार्षिक लेखों के अनुमोदन हेतु निर्धारित समय सारणी का पालन नहीं किया।

2ब.9 पर्यटन में बढ़ोत्तरी तथा रा.प.वि.नि. का भाग

निम्नलिखित तालिका 1995 तक के छः वर्षों की अवधि के दौरान राजस्थान में पर्यटक आवागमन में वृद्धि तथा इसके साथ-साथ पर्यटकों द्वारा रा.प.वि.नि. के होटलों में आवास करना दर्शाती है:

	पर्यटक आवागमन *	1990	1991	1992	1993	1994	1995
				(संख्या लाखों में)			
अ)	भारत यात्रा पर आये विदेशी पर्यटकों की संख्या	13.30	12.36	14.25	17.65	18.86	21.24
ब)	राजस्थान यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या						
	अ) घरेलू	37.35	43.01	52.63	54.54	47.00	52.49
	ब) विदेशी	4.18	4.94	5.48	5.41	4.37	5.35
स)	रा.प.वि.नि. होटलों में आवास सुविधा लेने वाले पर्यटकों की संख्या						
	अ) घरेलू	1.58	1.79	1.90	1.91	2.03	1.96
	ब) विदेशी	0.29	0.26	0.32	0.25	0.21	0.25
द)	भारत में आये विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता जो राजस्थान यात्रा पर आये	31.4	40.0	38.5	30.7	23.2	25.2
य)	रा.प.वि.नि. होटलों में आवास लेने वाले पयर्टकों की प्रतिशतता						
	अ) घरेलू	4.2	4.2	3.6	3.5	4.3	3.7
	ब) विदेशी	6.9	5.3	5.8	4.6	4.8	4.6
र)	वित्तीय वर्ष 1990-91 से 1995-96 में रा.प.वि.नि. होटलों में बिस्तरों के अधिभोग की प्रतिशतता	48.3	54.2	52.9	51.1	47.4	48.0

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि:

(i) भारत यात्रा पर आने वाले पर्यटकों में से राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता 1991 में 40 प्रतिशत से घटकर 1995 में 25.2 प्रतिशत हो गई।

* पर्यटकों के आवगमन के आंकडे कलेण्डर वर्ष पर रखे जाते हैं।

चार्ट - VIII

राजस्थान में आये पर्यटकों की रा.प.वि.नि से आवास लेने वालों की प्रतिशतता

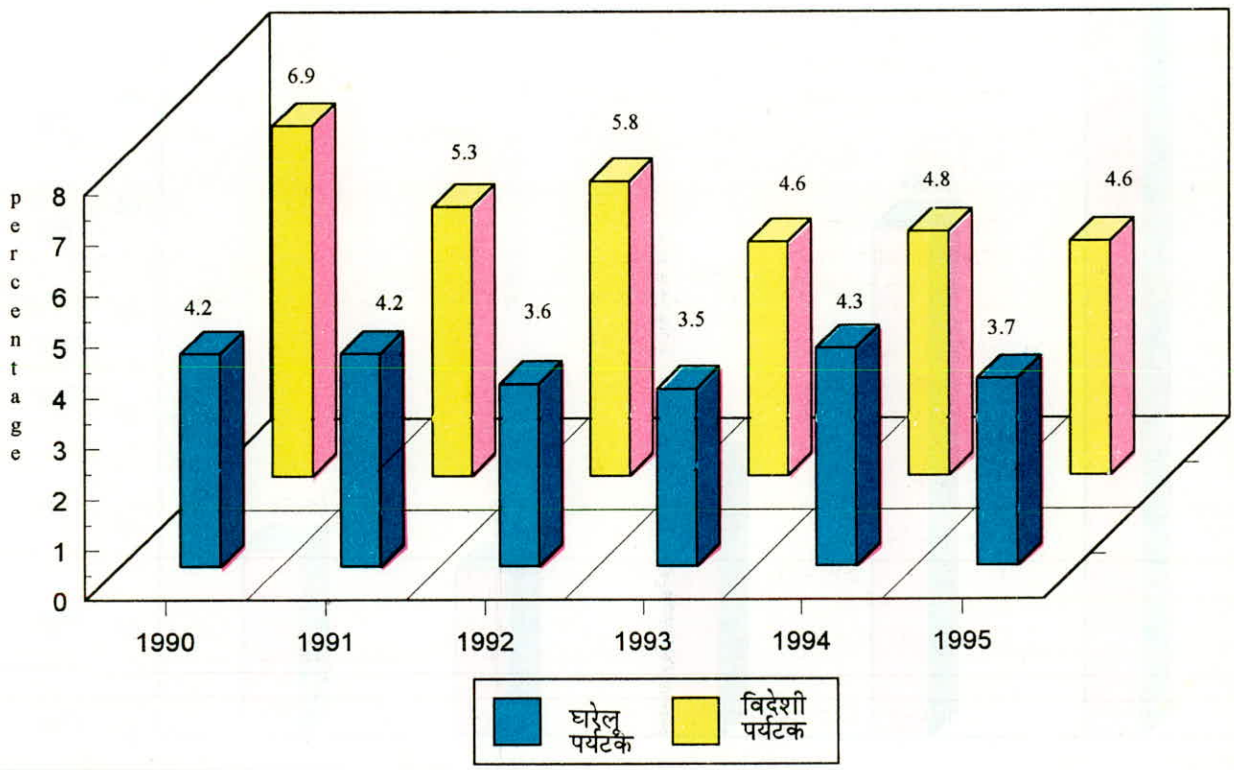

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2ब.9)

चार्ट - IX

हानि उठाने वाली इकाईयां

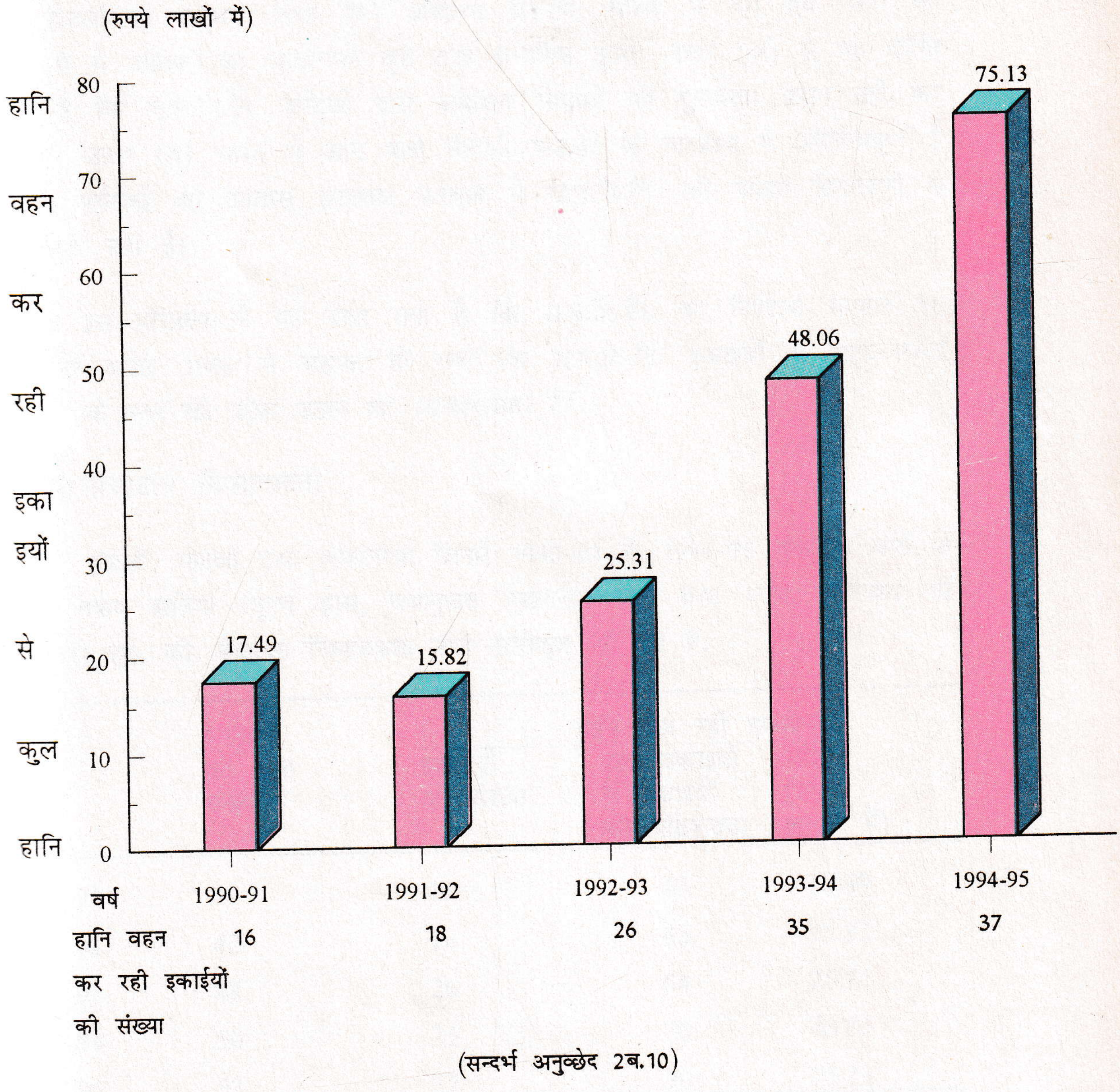

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2ब.10)

(ii) घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को होटल आवास उपलब्ध कराने में रा.प.वि.नि. के हिस्से की प्रतिशतता 1990 से लगातार कम हो रही है। कम अधिभोग तथा प्रबन्धन की कमियों के कारणों पर आगे अनुच्छेद 2ब.11 में विचार किया गया है।

घरेलू तथा विदेशी दोनों पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराने में रा.प.वि.नि. की हिस्सेदारी 1990 से सामान्यतया कमी की प्रवृति दर्शाती है।

रा.प.वि.नि. ने बताया (नवम्बर 1995) कि अधिकतर पर्यटक केन्द्रों पर (अ) नये होटलों के उद्भव, तथा (ब) अयोध्या प्रकरण, बम्बई में दंगे एवं प्लेग की महामारी से पर्यटकों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उत्तर (अ) से यह दर्शित होता है कि रा.प.वि.नि. पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सकता। उत्तर (ब) भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के परिप्रेक्ष्य में औचित्यपूर्ण है लेकिन पर्यटकों को आवास उपलब्ध करवाने में रा.प.वि.नि. की घटती हिस्सेदारी से सम्बन्धित नही है।

इस परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि रा.प.वि.नि. का निदेशक मण्डल इस बात से अप्रैल 1996 में सहमत हो गया कि रा.प.वि.नि. इकाइयों में साफ-सफाई सेवाओं के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है।

2ब.10 संचालन निष्पादकता

होटलों, मोटलों तथा केफेटेरिया जिनमें 1990-91 से 1994-95 तक के वर्षो के दौरान नकद हानियां (मूल्य ह्रास, यथानुपात मुख्यालय व्यय तथा अन्य उपरिव्यय को छोड़कर) हुई, की संचालन निष्पादकता नीचे सारीकृत की गई है:

वर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	हानि उठा रही इकाइयां		
		इकाइयों की संख्या	कुल इकाइयों से इकाइयों की प्रतिशतता	राशि (रुपये लाखों में)
1990-91	37	16	43	17.49
1991-92	42	18	43	15.82
1992-93	48	26	54	25.31
1993-94	50	35	70	48.06
1994-95	53	37	70	75.13
			योग	**181.81**

इस प्रकार हानि उठा रही इकाइयों तथा इनमें हानि की मात्रा दोनो में लगातार वृद्धि हो रही थी। जिन इकाइयों में कुल मिलाकर 1990-91 से 1994-95 के दौरान निविल नकद हानि हुई, नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

> *रा.प.वि.नि. के 70 प्रतिशत होटल, मोटल तथा केफेटेरिया ने 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान हानि उठाई।*

क.संख्या	नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	योग	
					(रुपये लाखों में)			
				{लाभ(+)/ हानि (-)}				
1990-91 से 1994-95 के दौरान प्रत्येक वर्ष में हानि उठाने वाली इकाइयां								
अ.	होटल							
1 अ.	ट्यूरिस्ट होटल, जयपुर	(-)3.34	(-)2.28	(-)3.66	(-)6.03	(-)6.88	(-)22.19	
2 अ.	झील पर्यटक गांव, रामगढ़	(-)1.92	(-)1.06	(-)3.80	(-)2.49	(-)2.01	(-)11.28	
3 अ.	चम्बल, कोटा	(-)1.36	(-)2.34	(-)1.75	(-)1.76	(-)0.51	(-)7.72	
4 अ.	शिल्पी, रणकपुर	(-)0.26	(-)0.67	(-)0.08	(-)1.11	(-)2.35	(-)4.47	
5 अ.	चेतक, हल्दी घाटी	(-)0.02	(-)0.04	(-)0.03	(-)0.32	(-)0.18	(-)0.59	
6 अ.	होटल स्वागतम्, जयपुर	(-)4.38	(-)3.23	(-)1.81	(-)4.14	(-)6.86	(-)20.42	
					उपयोग		**(-)66.67**	
ब.	मोटल/मिडवे/केफेटेरिया							
1 ब.	मोटल, बर		(-)1.32	(-)1.27	(-)1.58	(-)2.68	(-)2.11	(-)8.96
2 ब.	मोटल, रतनगढ़	(-)1.34	(-)0.24	(-)0.12	(-)0.91	(-)1.67	(-)4.28	
3 ब.	मोटल, देवगढ़	(-)0.12	(-)0.21	(-)0.19	(-)0.67	(-)1.58	(-)2.77	
						उप-योग	**(-)16.01**	
					योग (अ + ब)		**(-)82.68**	
1990-91 से 1994-95 वर्षो के दौरान किसी भी चार वर्षो में हानि उठाने वाली इकाइयां								
स. होटल								
1स.	पर्यटक गावं, पुष्कर	उपलब्ध* नहीं	(-)1.03	(-)0.97	(-)3.49	(-)4.32	(-)9.81	
2 स.	ढोलामारु, बीकानेर	(-)0.67	(+)0.78	(-)2.07	(-)1.82	(-)3.41	(-)7.19	
3 स.	चन्द्रावती, झालावाड़	उपलब्ध* नहीं	(-)0.13	(-)2.16	(-)1.89	(-)1.42	(-)5.60	

---

* वर्ष के दौरान इकाइयां प्रचलन में नहीं थी।

4 स.	पन्ना, चित्तौड़गढ़	(-)0.64	(-)1.71	(-)0.70	(-)1.60	(+)0.92	(-)3.73
5 स.	हवेली, फतेहपुर	उपलब्ध नहीं	(-)1.19	(-)0.22	(-)0.12	(-)0.55	(-)2.08
6 स.	होटल, जयसमन्द	(-)0.77	(-)0.88	(-)0.22	(-)0.01	(+)0.96	(-)0.92
						उप-योग	**(-)29.33**
द.	मोटल/मिडवे/केफेटेरिया						
1द.	दुर्ग, नाहरगढ़	(-)0.13	(+)0.80	(-)0.13	(-)1.60	(-)2.96	(-)4.02
2 द.	मिडवे, गुलाबपुरा	(+)0.14	(-)0.52	(-)0.32	(-)1.16	(-)1.17	(-)3.03
						उप-योग	**(-)7.05**
						योग (स + द)	**(-)36.38**

1990-91 से 1994-95 के दौरान किसी भी तीन वर्षों में हानि उठाने वाली इकाइयां

य.	होटल						
1य.	गोकुल, नाथद्वारा	(+)0.80	(-)0.65	(-)2.65	(+)0.06	(-)1.89	(-)4.33
2 य.	करणी, देशनोक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं*	(-)0.05	(-)1.76	(-)2.11	(-)3.92
3य.	वृन्दावती, बून्दी	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	(-)0.56	(-)1.61	(-)0.92	(-)3.09
4य.	वन विहार, धौलपुर	उपलब्ध नहीं*	(-)1.55	(+)0.19	(-)0.92	(-)0.77	(-)3.05
5य.	मीनल, अलवर	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	(-)0.15	(-)0.62	(-)1.88	(-)2.65
						उप-योग	**(-)17.04**
र.	मोटल/मिडवे/केफेटेरिया						
1 र.	मिडवे, शाहपुरा	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	(-)0.59	(-)1.66	(-)1.78	(-)4.03
2 र.	मिडवे, धौलपुर	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	(-)0.17	(-)1.23	(-)1.19	(-)2.59
3 र.	मेनाल, चित्तौड़गढ़	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	(-)0.46	(-)0.64	(-)0.84	(-)1.94
4 र.	मिडवे, पोकरन	(-)0.38	(+)0.41	(+)0.63	(-)0.45	(-)0.32	(-)0.11
						उप-योग	**(-)8.67**
						योग (य + र)	**(-)25.71**

* वर्ष के दौरान इकाइयां प्रचलन में नहीं थी।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि

(i) 1994-95 को समाप्त पांच वर्षों में 9 इकाइयों ने प्रत्येक वर्ष हानि उठाई, जो कुल 82.68 लाख रुपये थी।

1994-95 को समाप्त पांच वर्षों में 9 इकाइयों ने प्रत्येक वर्ष में हानि उठाई, जो कुल 82.68 लाख रुपये थी।

(ii) तीन इकाइयों (1स, 3स तथा 5स) जिन्होंने 1991-92 में संचालन प्रारम्भ किया तथा अन्य छह इकाइयों (2य, 3य, 5य, 1र, 2र तथा 3र) जिन्होंने 1992-93 में संचालन प्रारम्भ किया, ने लगातार हानियाँ उठाई जो क्रमश: 17.49 लाख रुपये तथा 18.22 लाख रुपये तक थी।

लगातार हानि उठा रही इकाइयों पर कार्यसूची में एक मद रा.प.वि.नि. के निदेशक मण्डल में अगस्त 1994 में रखी गयी थी। मण्डल ने निर्णय किया (अगस्त 1994) कि ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों को चेतावनी दी जाये कि उनकी इकाइयों द्वारा लाभ दर्शित नही करने पर इन्हे पट्टे पर दे दिया जायेगा। ऐसे दिशा निर्देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हानि उठाने वाली इकाइयों की संख्या में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति थी तथा इसके साथ ही 1994-95 के दौरान हानि की मात्रा में भी तद्नुरूप वृद्धि दर्शित हुई। रा.प.वि.नि. ने कर्मचारियों को उनकी इकाइयों को लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मई 1995 में एक प्रोत्साहन योजना लागू की।

2ब.11 आवास

2ब.11.1 कम अधिभोग

रा.प.वि.नि. इकाइयों में जबकि बिस्तर क्षमता 1990-91 में 5.98 लाख से बढ़कर 1995-96 में 7.91 लाख हो गई, इस अवधि के दौरान अधिभोग प्रतिशतता 47.4 से 54.2 के मध्य रही।

निम्नलिखित तालिका रा.प.वि.नि. की हानि उठा रही इकाइयों तथा आवास

उपलब्ध करा रही कुल इकाइयों में बिस्तर अधिभोग की प्रतिशतता का व्यवस्थित ब्यौरा दर्शाती है:

अधिभोग का विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
	(इकाइयों की संख्या)				
(अ) 20 प्रतिशत से कम	3	2	2	4	10
(ब) 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मध्य	5	4	7	6	7
(स) 41 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के मध्य	2	4	5	14	10
(द) 60 प्रतिशत तथा अधिक	1	1	2	2	3
इकाइयां जिनके लिये सूचना उपलब्ध नही थी	5	5	9	8	7
योग	**16**	**16**	**25**	**34**	**37**
आवास उपलब्ध करा रही कुल इकाइयां	**35**	**38**	**44**	**47**	**50**

रा.प.वि.नि. ने अपनी प्रत्येक इकाई के लिये समविच्छेद (ब्रेक-इवन) अधिभोग प्रतिशतता की गणना नही की।

1994-95 के दौरान आवास उपलब्ध कराने वाली 50 इकाइयों में से 10 इकाइयो का बिस्तर उपभोग 20 प्रतिशत से भी कम रहा।

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) कि इनकी कुछ इकाइयों में बिस्तरों का कम अधिभोग, इन्हें केन्द्रीय सहायता से पर्यटन संवर्धन हेतु दूरस्थ स्थानों पर बनाने के कारण था। इस उत्तर से यह दर्शित होता है कि केन्द्रीय सहायता लेने के लिये, जो पूंजीगत लागत का केवल एक भाग होती है, रा.प.वि.नि. हानि उठा रही इकाइयों के संचालन के रुप में दीर्घावधि देयताएं ले रहा है।

संवीक्षा से दर्शित होता है कि चिन्हित स्थानों पर होटल आदि की स्थापना के लिये सहायता लेने हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों से पूर्व संभावित पर्यटक आवागमन, परियोजित बिस्तर अधिभोग तथा परवर्ती वाणिज्यिक संभाव्यता से सम्बन्धित विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

आवास तथा खानपान व्यवस्था में हो रही हानि को देखते हुये रा.प.वि.नि. के निदेशक मण्डल ने अगस्त 1994 में निर्णय लिया कि उन क्षेत्रों, जिनमें रा.प.वि.नि. पिछड़ रहा था को पहचानने हेतु अध्ययन करवाने के लिये एक सलाहकार अभिकरण की नियुक्ति की जाये। दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी ऐसी सलाहकारी नहीं दी गई।

2ब.11.2 अनार्थिक होटल तथा मोटल

अनार्थिक स्थलों आदि पर अवस्थित होने के कारण हानि उठा रही इकाइयों के जो मामले नमूना जांच के दौरान ध्यान में आये वे नीचे बताये गये है:

2ब.11.2.1 यात्रिका खिदमत, अजमेर

चार दोहरे बिस्तर युक्त कमरों, चार बिस्तरों वाले एक पारिवारिक कमरे तथा 10 बिस्तर प्रत्येक वाली 2 डारमेटरियों वाले इस होटल को 36.62 लाख रुपये की लागत (केन्द्रीय सहायता 26.99 लाख रुपये, राज्य सहायता 2.83 लाख रुपये तथा रा.प.वि.नि. की स्वंय की निधियां 6.80 लाख रुपये) पर जून 1994 में प्रारम्भ किया गया था। एकान्त स्थल पर अवस्थित होने के कारण जुलाई 1994 से मार्च 1995 तक इस होटल में केवल 19.3 प्रतिशत अधिभोग हुआ तथा इसके परिणामस्वरुप 3.59 लाख रुपये की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा (नवम्बर 1996) में प्रकट हुआ कि सितम्बर 1996 से होटल की दो डोरमेटरिया फूड क्राफ्ट इंस्टीटयूट को पट्टे पर दी गई परन्तु पट्टे की शर्तो को अन्तिम रुप नहीं दिया गया था (अक्टूबर 1996)। यह पट्टेदारी जबकि इकाई की आवृति हानियों को कम करने में सहायक होगी, यह रा.प.वि.नि. का मुख्य उद्देश्य है, पर्यटन सवंर्धन में सहायक नहीं होगी।

2ब.11.2.2. झील पर्यटक गांव, रामगढ़ वर्ष 1986-87 के लिये भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 3ब.4.2(i) में बताया गया था कि रा.प.वि.नि की स्वंय की निधियों (23.92 लाख रुपये) से 1982-83 में निर्मित यह इकाई अपनी स्थापना से ही कम अधिभोग के कारण हानि उठा रही थी। इस स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के कारण इसे मार्च 1991 में बन्द कर दिया गया। परिणामस्वरुप इकाई द्वारा 1991-92 में उठाई गई हानि (सुरक्षा एवं देखभाल पर व्यय) 1990-91 में हुई हानि 1.92 लाख रुपये से घटकर 1.06 लाख रुपये रह गई। रा.प.वि.नि. ने बिना कोई अतिरिक्त सुविधाओं और इकाई द्वारा संभावित लाभ/हानि पर विचार किये बिना इस इकाई को नवम्बर 1992 में पुनः प्रारम्भ कर दिया। इस

इकाई ने 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान कुल 8.30 लाख रुपये की हानि उठाई।

सरकार ने बताया (मई 1996) कि इस इकाई को पट्टे पर देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

2ब.11.2.3. मिडवे, शाहपुरा

जयपुर दिल्ली राजमार्ग (260 कि.मी.) पर जयपुर से 60 कि.मी. दूर स्थित मिडवे, शाहपुरा दो कमरों के साथ 1992-93 में निर्मित किया गया। 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान चार अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया जिससे कुल लागत बढ़कर 22.85 लाख रुपये हो गई जो भारत सरकार (6.61 लाख रुपये), राज्य सरकार (2.95 लाख रुपये) तथा रा.प.वि.नि. की स्वंय की निधियों (13.29 लाख रुपये) द्वारा वहन की गई।

रा.प.वि.नि. के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने राय व्यक्त की (अक्टूबर 1989) कि शाहपुरा जयपुर से केवल 60 कि.मी. दूर होने के कारण यात्रीगण यहां पर रुकना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि जयपुर एवं दिल्ली के मध्य होने के कारण वे बहरोड़ रुकना पसन्द करेंगे। फिर भी 22.85 लाख रुपये की लागत पर शाहपुरा में मिडवे बनाया गया तथा इस इकाई ने 1992-93 से 1994-95 तक कुल 4.03 लाख रुपये की हानि उठाई।

2ब.11.2.4 मिडवे, रतनगढ़

जयपुर बीकानेर (330 कि.मी.) राजमार्ग पर रतनगढ़ (बीकानेर से 130 किमी) से 4 कि.मी. दूर 14.90 लाख रुपये की लागत पर (रा.प.वि.नि की निधियों से 14.82 लाख रुपये एवं केन्द्रीय सहायता 0.08 लाख रुपये) मिडवे रतनगढ़ का निर्माण किया गया और 1985-86 में कार्य करना प्रारम्भ किया। 1989-90 के दौरान दो कमरे बनाये गये तथा अधिभोग 1990-91 में 29 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 54.5 प्रतिशत हो गया। 1993-94 के दौरान रा.प.वि.नि की स्वंय की निधियों से चार अतिरिक्त कमरे बनाये गये जिससे छः कमरों का अधिभोग 1994-95 में घटकर 18.3 प्रतिशत हो गया। इसलिये कमरों में वृद्धि करना औचित्यपूर्ण नहीं था जिससे 1993-94 की हानि 0.91 लाख रुपये बढ़कर 1994-95 में 1.67 लाख रुपये हो गई।

2ब.11.2.5. मोटल, बर

1986-87 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 3 ब 8(ii)(ब) में बताया गया था कि मुख्यतया इसी तरह की सुविधाये 20 कि.मी. के दायरे में ब्यावर तथा जैतारण के बड़े कस्बों में उपलब्ध होने के कारण रा.प.वि.नि की स्वंय की निधियों से 3.71 लाख रुपयों की लागत से निर्मित मोटल, बर अपनी स्थापना से ही लगातार हानि उठा रहा था। अन्तर्निहित प्रतिकूल अवस्थिति के बावजूद भी इस स्थल पर 1990-91 के दौरान 2.51 लाख रुपये की लागत से दो कमरों का निर्माण किया गया। 1994-95 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षो में कमरों का अधिभोग 30 प्रतिशत से कम रहा जिसके परिणामस्वरुप इस इकाई ने 1990-95 के दौरान आगे कुल 8.96 लाख रुपये की संचित हानि उठाई।

2ब.11.2.6 महेनसर और मण्डावा में केफेटेरिया

महेनसर (लागत: 2.74 लाख रुपये) तथा मण्डावा (लागत: 1.41 लाख रुपये) में केफेटेरिया का निर्माण केन्द्रीय सहायता से क्रमशः नवम्बर 1989 तथा सितम्बर 1989 में हुआ। मण्डावा केफेटेरिया अगस्त 1994 तक अप्रचालित रहा जब इसे 5 वर्षो की अवधि के लिये 500 रुपये प्रतिमाह पर पट्टे पर दिया गया। पट्टे का वार्षिक किराया पूंजीगत लागत का केवल 4.3 प्रतिशत होता है। महेनसर केफेटेरिया लगातार अप्रचालित रहा (दिसम्बर 1995) जिससे 2.74 लाख रुपये की निधियां अवरुद्ध रही। पर्यटक आवागमन का अध्ययन करने के बाद कारोबारी संभाव्यता का पूर्व सर्वेक्षण किया जाता तों निधियों के अवरुद्ध होने को टाला जा सकता था।

2ब.11.2.7. ट्यूरिस्ट होटल, जयपुर

ट्यूरिस्ट होटल जयपुर का भवन, जो पूर्व में विधायक निवास था शहर के मध्य में (रेलवे स्टेशन से 3 कि. मी. तथा केन्द्रीय बस स्टैण्ड से 1 कि.मी.) है तथा इसे नवम्बर 1988 में पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया गया था । पर्यटन विभाग ने भवन के 55 कमरों वाले प्रथम तल को रा.प.वि.नि. को सौप दिया जो इसे सस्ते होटल (इस होटल के पास स्थित रा.प.वि.नि. के 'गणगौर' तथा 'तीज' होटलों में लागू दर सूची से कम दरों पर) के रूप में चला रहा है। रा.प.वि.नि. ने अपनी स्वयं की निधियों से 1994-95 तक कुल 17.07 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय किया। यद्यपि 1990-91 से 1994-95 तक बिस्तर अधिभोग 50 से 66 प्रतिशत के मध्य रहा, इकाई ने इनमें से प्रत्येक वर्ष में हानि उठाई जो कुल 22.19 लाख रुपये थी।

रा.प.वि.नि. ने बताया (जून 1996) कि भवन के विशाल एवं पुराने होने के कारण इसका संचालन तथा रख रखाव व्यय बहुत अधिक था। यह उत्तर दर सूची में बढ़ोतरी करने का संकेत करता है।

अनुच्छेद 11.2 में सन्दर्भित घटनाओं के सन्दर्भ में सरकार ने बताया (मई 1996) कि वे अनार्थिक होने के बावजूद भी, नये क्षेत्रों में इकाइयां चलाना रा.प.वि.नि. के संवर्धनात्मक प्रयासों का भाग था । यह उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नही है कि रा.प.वि.नि. संभवतः हमेशा हानि उठा रही इकाइयों की बढ़ती संख्या को सहन नही कर सकता जो विशाल पूंजी निवेश के बाद भी लाभ में आने का कोई संकेत नही देती (जैसा कि अनुच्छेद 5.3 में बताया गया है)।

2ब.11.2.8 अनुच्छेद 2ब.11.2 में बताये गये सात मामलों से यह दर्शित होता है कि विभिन्न होटलों/मोटलों द्वारा उठाई गई हानि कम अधिभोग के कारण थी जो (अ) सेवाओं का स्तर सही नही होने, जैसाकि निदेशक मण्डल द्वारा देखा गया तथा (ब) कुछ इकाइयों की अनार्थिक स्थानों पर अवस्थिति के कारण था।

2ब.12 खानपान सेवाएं

2ब.12.1 खानपान सेवाओं से प्रचालन व्यय (विद्युत, जल प्रभार, भवनों की मरम्मत तथा संधारण और ह्रास को छोड़कर) भी नही निकालने वाली इकाइयों की संख्या तथा इनके द्वारा उठाई गई हानियां नीचे दी गई है:

1994-95 के पांच वर्षों के दौरान खानपान सेवाएं उपलब्ध करा रही 8 से 18 इकाइयां अपना प्रचालन व्यय भी नहीं निकाल सकी तथा 24.02 लाख रुपये की कुल हानि उठाई।

वर्ष	इकाइयों की संख्या		प्रचालन		
	कुल	प्रचालन हानियां उठा रही	आय	व्यय	हानि
				(रुपये लाखों में)	
1990-91	33	11	30.10	34.12	4.02
1991-92	34	8	13.30	15.14	1.84
1992-93	41	12	18.61	21.72	3.11
1993-94	44	18	65.59	73.50	7.91
1994-95	47	18	68.44	75.58	7.14
योग			196.04	220.06	24.02

खानपान सेवाओं में 1994-95 को समाप्त पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में हानि उठाने वाली इकाइयों का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	होटल/मोटल का नाम	वर्ष के दौरान हानि					
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	योग
		(रुपये लाखों में)					
	सभी 5 वर्षों में हानि						
1.	स्वागतम् होटल, जयपुर	1.61	0.53	0.88	1.86	2.14	7.02
2.	मोटल, बर	0.39	0.53	0.68	1.08	0.89	3.57
	5 वर्षों में से 4 वर्षों में हानि						
1.	मिडवे, धौलपुर	-	0.39	0.03	0.50	0.25	1.17
	5 वर्षों में से 3 वर्षों में हानि						
1.	ट्यूरिस्ट होटल, जयपुर	0.13	-	0.27	1.21	-	1.61
2.	यात्री निवास, देशनोक	-	-	0.07	0.32	0.52	0.91
3.	चन्द्रावती होटल, झालावाड़	-	0.06	0.43	0.15	-	0.64
4.	होटल शिखर, माउण्ट आबू	0.26	-	-	0.20	0.13	0.59
5.	होटल चम्बल, कोटा	-	0.04	-	0.17	0.07	0.28
6.	दुर्ग केफेटेरिया, नाहरगढ़	0.16	-	-	0.97	0.69	1.82
7.	मेनाल, चित्तोड़गढ़	-	-	0.18	0.36	0.56	1.10
8.	मोटल, शाहपुरा	-	-	0.11	0.20	0.21	0.52

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) की हानियां, स्थापना व्यय में वृद्धि तथा निविदाएं आमंत्रित किये बिना खानपान की कच्ची सामग्री सहकारी भण्डारों से क्रय करने के कारण से थी।

लेखापरीक्षा में किये गये विश्लेषण के अनुसार खानपान सेवाओं में हानियां निम्नलिखित कारणों से थी:

- पर्यटक संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता मालूम किये बिना नये मोटलों को स्थापित करना।

- कच्ची सामग्री लागत में वृद्धि के साथ व्यंजन सूची में संशोधन नहीं करना।

- कर्मचारियों को लगाने के मानक निर्धारित नहीं करना।

इन पहलुओं पर आगे के अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

2ब.13 खानपान पर व्यय

रा.प.वि.नि द्वारा अगस्त 1991 में विक्रय से व्यय की श्रेणीवार प्रतिशतता/मानक निम्न प्रकार थे:

मद		विक्रय से लागत की प्रतिशतता
कच्ची सामग्री		
	शाकाहारी	35
	मांसाहारी	50
छीजत एवं मसाले		5
ईंधन		
	यदि गैस काम में ली हो	2
	यदि कोयला काम में लिया हो	5
स्थापना		20
अन्य व्यय (प्रकाश, जल, दूरभाष तथा ह्रास)		15
लाभ		दर्शाया नही गया

खानपान पर प्रत्येक होटल/मोटल में हुये वास्तविक व्यय की रा.प.वि.नि. द्वारा मानकों के साथ तुलना नही की गई।

2ब.13.1 व्यय का विश्लेषण

रा.प.वि.नि. के सभी होटलों (होटल स्वागतम्, जयपुर को छोड़कर जो रा.प.वि.नि. कर्मचारियों को भी खानपान उपलब्ध करवाता है) में खानपान व्यवस्था के विभिन्न लागत घटकों पर व्यय का विश्लेषण अनुवर्ती उप-अनुच्छेदों में किया गया है।

2ब13.1.1 कच्ची सामग्री

1994-95 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में जिन इकाइयों में विक्रय से कच्ची सामग्री (छीजत एवं मसालों सहित) पर व्यय की प्रतिशतता 55 प्रतिशत (शाकाहारी के लिये 40 प्रतिशत मानक तथा मांसाहारी के लिये 55 प्रतिशत मानक के समक्ष) से अधिक थी उनका विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्रम संख्या	होटल/मोटल का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
		(विक्रय से कच्ची सामग्री के व्यय की प्रतिशतता)				
1.	ट्यूरिस्ट होटल, जयपुर	**63.7**	53.4	**66.0**	**72.6**	**66.0**
2.	तीज होटल, जयपुर	**68.6**	**61.7**	**58.9**	54.5	**62.9**
3.	शिखर होटल, माउन्ट आबू	**61.2**	52.6	54.4	**62.6**	**67.5**
4.	चम्बल होटल, कोटा	**59.4**	**63.0**	**64.9**	**63.7**	**56.3**
5.	मोटल, बर	49.3	49.1	**58.4**	**80.2**	**75.8**
6.	सरस होटल, भरतपुर	**57.0**	**63.5**	53.5	**59.0**	**60.6**

प्रबन्धन ने कच्ची सामग्री (छीजत एवं मसालों सहित) पर अधिक लागत के कारणों की जांच नहीं की जो 1990-91 से 1994-95 के दौरान 11.57 लाख रुपये थी।

सरकार ने बताया (मई 1996) की कच्ची सामग्री पर व्यय वास्तव में 50 प्रतिशत होता है क्योंकि कर्मचारियों को लागत मूल्य पर तथा मिडवे पर चालकों, परिचालकों तथा यात्रा प्रचालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता कि कुछ होटलों में बिक्री से कच्ची सामग्री पर व्यय की प्रतिशतता मानकों से बहुत अधिक क्यों थी।

2ब.13.1.2 ईंधन लागत

रा.प.वि.नि. की समग्र रुप से खानपान सेवाओं में बिक्री से ईंधन खपत की प्रतिशतता 1990-91 से 1994-95 तक के प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रमशः 5.4, 5.4, 6.2, 6.8 तथा 6.6 थी। 14 होटलों/मोटलों में 1994-95 को समाप्त पांच वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में 7 प्रतिशत से अधिक ईंधन की खपत हुई।

सभी होटलों/मोटलों में चूंकि गैस प्रयोग में लाई जाती है (कुछ विशेष मांसाहारी मदों के लिये कम मात्रा में कोयला प्रयुक्त होता है), ईधन (गैस एवं कोयलें दोनों का) बिक्री का औसत 3 प्रतिशत मानक मानने पर, अधिक ईधन की लागत 43.56 लाख रुपये होती है।

मानकों से अधिक ईंधन की खपत से 43.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

सरकार ने बताया (मई 1996) कि तरल पेट्रोलियम गैस की लागत अधिक बढ़ गई थी तथा होटलों में प्रयुक्त गैस सिलेण्डर वाणिज्यिक दरों पर प्राप्त होने के कारण वास्तविक व्यय निर्धारित मानकों से अधिक था। यह उत्तर यह स्पष्ट नही करता है कि कुछ मामलों में ईधन की खपत 2 प्रतिशत मानक के समक्ष अत्यधिक 7 प्रतिशत क्यों थी तथापि उत्तर ईधन खपत के मानकों/दर सूची में संशोधन की आवश्यकता इंगित करता है।

2ब.14 निविदाओं तथा व्यंजन दर सूची अनुमोदन में विलम्ब से हानि

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं बिगड़ने वाली खानपान कच्ची सामग्री के लिये निविदाएं रा.प.वि.नि. के मुख्यालय द्वारा आमंत्रित की जाती है तथा इन्हे अंतिम रूप दिया जाता है। निविदाओं के अनुमोदन के बाद प्रत्येक मद के लिये व्यंजन सूची दरें प्रत्येक प्रचालक ईकाई द्वारा निकाली जाती है तथा इन्हें अनुमोदन हेतु मुख्यालय भेजा जाता है।

छह इकाइयों* के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि निविदाओं को अंतिम रुप देने में 3 से 9 माह का विलम्ब तथा व्यंजन सूची दरों में परिणामी विलम्ब हुआ। इस विलम्ब से इन छह इकाइयों में अक्टूबर 1990 से सितम्बर 1995 के दौरान 24.18 लाख रुपये तक के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

खानपान की कच्ची सामग्री की निविदाओं को अंतिम रूप देने में 3 से 9 माह का विलम्ब एवं व्यंजन सूची दरों में परिणामी संशोधन में विलम्ब के कारण रा.प.वि.नि. को 24.18 लाख रुपये तक की संभाव्य राजस्व हानि उठानी पडी।

* खादिम, अजमेर; मिडवे, शाहपुरा; सरोवर, पुष्कर; गणगौर, जयपुर; कजरी, उदयपुर; तथा मिडवे बहरोड।

यह बताये जाने पर (अगस्त तथा सितम्बर 1995), सरकार ने बताया (मई 1996) कि इस प्रकार के विलम्ब को टालने के लिये 1 अक्टूबर 1995 से (अ) इकाइयों को व्यंजन सूची दर में 10 प्रतिशत से वृद्धि करने हेतु अधिकृत कर दिया गया था, तथा (ब) खानपान सेवाओं के लिये कच्ची सामग्री प्रापण इकाई स्तर पर प्रत्यायोजित कर दिया गया था।

2ब.15 मरम्मत तथा संधारण

रा.प.वि.नि. का सिविल-निर्माण समूह इकाइयों के भवनों की मरम्मत तथा संधारण के लिये जिम्मेदार है तथा ऐसा व्यय सम्बन्धित इकाइयों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सिविल कार्य निर्माण समूह ने 1994-95 के दौरान दो इकाइयों को 6.07 लाख रुपये तथा 0.55 लाख रुपये का खर्च हस्तान्तरित किया लेकिन इन दोनों इकाइयों के प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धकों ने इन व्ययों का इस आधार पर विरोध किया (नवम्बर 1995) कि मरम्मत/संधारण बिल्कुल भी नही किया गया था।

रा.प.वि.नि. ने बताया (नवम्बर 1996) कि मामले की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

प्रसंगवंश यह ध्यान में आया कि सम्बन्धित कार्य की लागत का डेबिट हस्तांतरित करने से पूर्व इकाइयों के प्रबन्धकों द्वारा सिविल कार्य संतोषजनक रुप से पूर्ण हो जाना प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता है। यह बताये जाने पर कि ऐसा आंतरिक नियन्त्रण आवश्यक था, रा.प.वि.नि. इसके लिये सहमत हो गया (नवम्बर 1996)।

2ब.16 लुप्त प्रेषित धन

इकाइयों द्वारा रा.प.वि.नि. मुख्यालय को 1987-88 से 1993-94 के दौरान डाक अन्तरण/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई 1.55 लाख रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (जून 1996)। इसमें 1987-88 से 1991-92 के दौरान भेजे गये 0.79 लाख। रुपये तथा 1993-94 के दौरान भेजे गये 0.76 लाख रुपये सम्मिलित है।

सरकार ने बताया (मई 1996) कि लुप्त प्रेषित धन को खोजने की कार्यवाही प्रगति पर थी।

2ब.17 उधार बिक्री

मार्च 1987 के अन्त में देनदारों के विरूद्ध बकाया 21.22 लाख रुपये से बढ़कर मार्च 1995 के अन्त में 144.10 लाख रुपये हो गई।

वर्ष 1986-87 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 3ब.10 के उत्तर में सरकार ने बताया (अप्रैल 1987) कि उधार सुविधाओं को कम करने के लिये उधार बिक्री की नीति बनाने हेतु कदम उठाये जारहे थे। यद्यपि, ऐसी नीति नही बनाई गई (अक्टूबर 1996), रा.प.वि.नि. ने मुख्यालय-कार्यालय की पूर्व अनुमति के अलावा निजी पक्षकारों को उधार बिक्री निषेध हेतु अगस्त 1992 में आदेश जारी कर दिये।

देनदारों के विरुद्ध बकाया राशि मार्च 1987 के अन्त में 21.22 लाख रुपये से बढकर मार्च 1995 के अन्त में 144.10 लाख रुपये (निजी पक्षकारों से बकाया 109.02 लाख रुपये सहित) हो गई। लेखापरीक्षा द्वारा छानबीन करने से प्रकट हुआ कि निजी पक्षकारों को की गई किसी भी उधार बिक्री के लिये मुख्यालय की अनुमति नहीं थी।

बकाया राशि का अवधि वार समेकित विश्लेषण मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था, यहाँ तक कि शेषों की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई। ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(अ) दुर्ग केफेटेरिया, नाहरगढ़ में निजी पक्षकारों पर 1989-90 से भी पहले की अवधि के 1.37 लाख रुपये बकाया थे।

(ब) यातायात इकाई, जयपुर में 1982-83 से 1992-93 की अवधि की 1.68 लाख रुपये की राशि निजी पक्षकारों पर बकाया थी। इस राशि में अक्टूबर 1992 में एक व्यक्ति को पैकेज ट्यूर हेतु दी गई उधार सुविधा के 0.76 लाख रुपये सम्मिलित थे।

(स) होटल गणगौर, जयपुर में 1982-83 से 1993-94 की अवधि के 1.63 लाख रुपये निजी पक्षकारों के विरुद्ध बकाया थे जिसमें से 1.10 लाख रुपये 1982-83 से 1992-93 की अवधि के थे।

(द) होटल झूमर बावड़ी, सवाईमाधोपुर में 0.43 लाख रुपये की राशि वसूल नहीं होना पाया गया क्योंकि जिस यात्रा ऐजेन्सी के माध्यम से आरक्षण (बुकिंग) हुआ था, बन्द हो गई अथवा उसका अता-पता ज्ञात नहीं था।

(य) मूमल होटल, जैसलमेर में यात्रा ऐजेन्सियों को बैंक गारण्टी प्राप्त किये बिना उधार सुविधाएं दी गई। इसके परिणामस्वरुप 0.90 लाख रुपये की राशि (1981-82 से 1987-88 वर्षो के लिये 0.80 लाख रुपये तथा वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक के लिये 0.10 लाख रुपये) बकाया थी।

दीर्घावधि व्यतीत होने के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त मामलों में बकाया वसूल होने की संभावना बहुत कम लगती है।

सरकार ने बताया (मई 1996) कि बकाया वसूली हेतु अनुसरण किया जा रहा था तथा उधार बिक्री नीति, निदेशक मण्डल से अनुमोदित करवाई जायेगी ।

2ब.18 निष्क्रिय उपकरण

फतेहपुर झील, उदयपुर में जल-क्रीड़ा प्रारम्भ करने हेतु 1992-93 में 3.40 लाख रुपये की लागत से खरीदे गये जल क्रीड़ा उपकरण।, इस कार्य के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण, बिना उपयोग के पड़े हुये थे (जून 1996)।

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) कि उपकरण का निस्तारण। करने की कार्यवाही की जा रही है।

2ब.19 केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत, सहायता का एक ऋण कार्य प्रारम्भ होने से पहले जारी कर दिया जाता है तथा शेष राशि (अ) कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, (ब) उपयोगिता प्रमाण पत्र, (स) व्यय का हिसाब, तथा (द) होटल आदि के निर्माण हेतु भूमि का भारत सरकार के पक्ष में नामांतरण प्रस्तुत करने पर दी जाती है।

यह देखा गया कि रा.प.वि.नि. द्वारा 1985-86 से 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी आंशिक सहायता से 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार

64.50 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया। भारत सरकार के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं करने के कारण राशियों को जारी करना रोक लिया गया। कई वर्षों तक राशियाँ अवरुद्ध रहने से 31 मार्च 1996 तक 40.35 लाख रुपये के ब्याज (18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना करने पर) की हानि हुई।

भारत सरकार के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं करने से 64.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अभी भी प्राप्त करनी थी (मई 1996)।

सरकार ने बताया (मई 1996) कि भूमि का भारत सरकार के पक्ष में नामांतरण करवाने की कार्यवाही की जा रही थी।

2ब.20 अन्य रुचिकर बिन्दु

2ब.20.1 केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं करना

अगस्त 1991 में भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने 17.23 लाख रुपये, जो कि दो वातानुकूलित बसों के फैक्ट्री मूल्य का 50 प्रतिशत था, की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की। इसके साथ ही 8.50 लाख रुपये जारी कर दिये। इस प्रत्याशा में कि यह राशि अभी भी उपलब्ध होगी, रा.प.वि.नि. ने मार्च 1992 में चार ग़ैर वातानुकूलित मिनी बसे (वातानुकूलित बसों के स्थान पर) खरीद ली। तथापि, पर्यटन विभाग ने चार वातानुकूलित मिनी बसों की 50 प्रतिशत राशि के लिये 16.08 लाख रुपये की संशोधित स्वीकृति जारी की (अप्रेल 1992)। केन्द्रीय सहायता लेने के लिये रा.प.वि.नि. ने शुरु में मिनी बसो को वातानुकूलित बनाने का प्रयास किया परन्तु बसों के मूल ढ़ाचे में परिवर्धन की उच्च लागत के परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव की छोड़ दिया। इसके बाद रा.प.वि.नि. ने जून 1994 में 15.20 लाख रुपये की लागत पर 2 वातानुकूलित बसें खरीदी। तथापि रा.प.वि.नि. शेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि ये वाहन भारत दर्शन वर्ष (1991-92) के लिये स्वीकृत किये गये थे जिसकी निधियाँ तब व्यपगत (लेप्स) हो गई थी।

केन्द्रीय सहायता की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण रा.प.वि.नि. 8.73 लाख रुपये की सहायता प्राप्त नही कर सका।

2ब.20.2 निष्फल व्यय

रा.प.वि.नि. के होटलों/मोटलों के भवन इसके सिविल निर्माण समूह द्वारा एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पर्यवेक्षण में बनाये जाते है। लेखापरीक्षा में जांच से यह प्रकट हुआ कि अप्रैल 1991 से अक्टूबर 1995 की अवधि के दौरान दस होटलों/मोटलों में इनके चालू होने की वास्तविक दिनांक से 41 माह पूर्व तक भवन निर्माण चरण पर ही प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक पदस्थापित कर दिये थे। निर्माण अवधि के दौरान चूंकि कार्य का पर्यवेक्षण रा.प.वि.नि. के निर्माण खण्ड के कार्मिकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है, इतने अधिक पहले प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धक स्तर के प्रचालन कार्मिकों को पदस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था। इन पदस्थापनाओं की अवधि के दौरान इन अधिकारियो को लाभपूर्वक काम में नही लिया जा सका जिससे इनके वेतन एवं भत्तों पर हुआ 4.51 लाख रुपये का व्यय (प्रत्येक मामले में छह माह की अवधि छोड़कर) अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुआ।

रा.प.वि.नि. ने बताया (नवम्बर 1995) कि प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों को समय से पहले इसलिये पदस्थापित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण कार्य होटल मानकों के अनुसार किया जा रहा है तथा अन्य सहायक कार्यो जैसे- विद्युत, जल एवं गैस संबंध लेने के लिये आवेदन करना, टेलीफोन लगवाना, नगर पालिकाओं से खाद्य लाइसेंस तथा आबकारी विभाग से मदिरालय का लाइसेंस लेना, रसोई उपकरणों की व्यवस्था, बगीचे का रुपांकन एवं संधारण और स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क विकसित करने का ध्यान रखा जा सके।

यह उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि उपर्युक्त सुविधाओं के लिये छह माह की अवधि पर्याप्त है।

2ब.20.3 सरोवर केफेटेरिया, माउन्ट आबू को पट्टे पर देना

माउन्ट आबू में सरोवर केफेटेरिया, जो राज्य सरकार द्वारा 1979 में रा.प.वि.नि. को हस्तान्तरित किया गया था, 2.20 लाख रुपये प्रतिवर्ष (त्रैमासिक रूप से देय) तथा लाभ में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिवर्ष के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिये बृज होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड, आगरा (बी.एच.आर) को पट्टे पर दिया गया (अप्रैल 1994)। बी.एच.आर. ने 30,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं करवाई और न ही स्वीकृत शर्तो के अनुसार बिक्री और लाभ का हिसाब दिया। 60,000 रुपये के एक भुगतान के अलावा, पट्टा किराये का आगे कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। केफेटेरिया का कब्जा अन्ततः जून 1995 में वापस ले लिया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताये जाने पर (दिसम्बर 1995), रा.प.वि.नि. ने 4.40 लाख रुपये (भवन की क्षति सहित) की वसूली हेतु एक मध्यस्थ नियुक्त किया (जूलाई 1996)।

2ब. 21 निष्कर्ष

रा.प.वि.नि. ने अपने होटलों/मोटलों को चलाने में लगातार हानियां उठायी हैं तथा इसके द्वारा अर्जित लाभ मुख्यतया बीयर व्यापार के कारण था जो इसका मुख्य निष्पादन कार्यकलाप नहीं था। इसके अलाभकर स्थलों पर स्थिति के कारण निरन्तर घाटे में चल रहें होंटलों/मोटलों के निष्पादन की समीक्षा की आवश्यकता है। खान पान सेवाओं में परिचालन खर्चो का योग कच्ची सामग्री तथा ईंधन पर हमेशा मानक लागत से अधिक था जिन्हें लाभदायक बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने आवश्यक है।

अध्याय - III

सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

अध्याय - III

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियां	131
3.1	प्रस्तावना	133
3.2	उद्देश्य	133
3.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	133
3.4	संगठनात्मक ढांचा	134
3.5	वित्तीय व्यवस्थाएं	134
	- अंश पूंजी	
	- ऋण	
3.6	वित्तीय स्थिति	135
3.7	कार्यचालन परिणाम	136
3.8	भण्डार-व्यवस्था संचालन	138
	- क्षमता का उपयोजन	
3.9	भण्डार-गृहों का निर्माण	142
3.10	प्रापण कार्य करने से मना करना	146
3.11	भूमि अवाप्ति	148
3.12	भण्डार-गृह किराये पर लेना	150
3.13	प्रोत्साहन योजना	152

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

झलकियां

– राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (रा.रा.भ.नि) की कृषि जिन्सों हेतु वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दिसम्बर 1957 में स्थापना की गई। रा.रा.भ.नि. भण्डारण गृहों को अवाप्त करता है, बनाता है तथा इनका संचालन करता है और समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिये भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) के अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करता है।

(अनुच्छेद 3.1 तथा 3.2)

– राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा 1990-91 से 1993-94 तक अर्जित लाभ 1989-90 के दौरान अर्जित लाभ से कम था क्योंकि यह (अ) 29 से 36 भण्डार-व्यवस्था केन्द्रों (77 से 78 केन्द्रों में से) में कम उपयोजन; जिसके कारण इन भण्डार-गृहों से 37.54 लाख रुपये से 62.85 लाख रुपये के मध्य कुल वार्षिक हानि का योगदान हुआ, तथा (ब) 1989-90 में स्थापना लागत 43 प्रतिशत के समक्ष 1993-94 में 57 प्रतिशत की असमानुपातिक वृद्धि के कारण था।

(अनुच्छेद 3.7.1)

– राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम 1995-96 तक भी 1989-90 में उपलब्ध भण्डारण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ। इसके विपरीत किराये के भण्डार-गृहों का क्षमता उपयोजन रा.रा.भ.नि. के स्वयं के भण्डार-गृहों से लगातार अत्यधिक रहा जो सृजित की गई भण्डारण क्षमता और अपेक्षित भण्डारण क्षमता के बेमेल होने को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 3.8.1 (i) तथा (ii))

– राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के आधे से अधिक भण्डार-गृहों ने 1991-92 से 1994-95 के दौरान 70 प्रतिशत की सम-विच्छेद (ब्रेक-इवन) क्षमता को भी प्राप्त नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.8.1 (v))

– राजस्थान राज्य भण्डार–व्यवस्था निगम के 77 से 78 भण्डार व्यवस्था केन्द्रों में से 17 केन्द्रों ने 1995–96 में समाप्त सात वर्षों में से कम से कम चार वर्षों में हानि उठाई। इनमें से 12 केन्द्रों ने मुख्यत: 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य रहे कम क्षमता उपयोजन के कारण हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.9.1)

– रबी 1993–94 के दौरान खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य नहीं करने से राजस्थान राज्य भण्डार–व्यवस्था निगम ने 41.39 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 3.10)

– राजस्थान राज्य भण्डार–व्यवस्था निगम द्वारा 1984–85 से 1988–89 के दौरान चार स्थानों पर गोदाम निर्माण हेतु 8.77 लाख रुपये की कुल लागत पर लिये गये भूखण्ड बिना उपयोजित पड़े रहे थे (मार्च 1996) जिसके कारण अवरुद्ध निधियों पर 11.39 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.11)

– राजस्थान राज्य भण्डार–व्यवस्था निगम जयपुर में भण्डार–गृहों का निर्माण करने में असफल रहा तथा जयपुर के दुर्गापुरा एवं झोटवाडा में लगातार किराये के भण्डार गृह रखता रहा। 1989–96 के दौरान दुर्गापुरा में 88 प्रतिशत तथा 1989–93 के दौरान झोटवाड़ा में 97 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोजन के बावजूद भी इन गोदामों में कुल हानि क्रमश: 14.20 लाख रुपये तथा 2.37 लाख रुपये हुई। यह इस बात का द्योतक है कि गोदामों के किराये तथा राजस्थान राज्य भण्डार–व्यवस्था निगम द्वारा वसूले गये भण्डारण प्रभारों के मध्य लाभ अपर्याप्त था।

(अनुच्छेद 3.12)

3.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (रा.रा.भ.नि.) की स्थापना दिसम्बर 1957 में कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डार-व्यवस्था) निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुई थी। भारत सरकार द्वारा 1962 में इस अधिनियम के विलोपन तथा भण्डार-व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 से इसके पुनर्स्थापन पर रा.रा.भ.नि. को एक राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम मान लिया गया था।

3.2 उद्देश्य

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम का उद्देश्य कृषि जिंसों हेतु वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं प्रदान करना है। भण्डार-व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 में निर्धारित मुख्य कार्य हैं:

- केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम (के.भ.नि.) की पूर्वानुमति से निर्धारित स्थानों पर राज्य के भीतर भण्डार-गृह तथा गोदाम बनाने एवम् अवाप्त करना;

- कृषि उत्पादों, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि-यंत्रों तथा अधिसूचित जिंसों के भण्डारण हेतु राज्य में भण्डार-गृह चलाना तथा इनके भण्डार-गृहों तक लाने ले जाने हेतु यातायात सुविधा की व्यवस्था करना; और

- कृषि उत्पादों, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित जिन्सों के क्रय, विक्रय, भण्डारण तथा वितरण हेतु केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम अथवा सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना।

इसके अतिरिक्त राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम नियम, 1975 के अनुरूप रा.रा.भ.नि. समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ तथा रबी के खाद्यान्न प्रापण का कार्य भी भारतीय खाद्य निगम (भा.ख.नि.) तथा राज्य सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में करता है और अपने विवेकाधीन एवं सम्बन्धित पक्षकारों के अनुरोध पर कृषि उत्पादों अथवा अधिसूचित जिन्सों के लिये अपने भण्डार-गृहों के बाहर कीटनाशक सेवाएं प्रदान करता है।

3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के कार्यचालन की समीक्षा गत बार वर्ष 1988-89 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अध्याय-III में की गई थी। इस प्रतिवेदन पर राजकीय उपक्रम समिति (रा.उ.स.) द्वारा

विचार-विमर्श किया हुआ मान लिया गया (नवम्बर 1995) । वर्ष 1989-90 से 1995-96 की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम की कार्य प्रणाली तथा निष्पादन की समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 1995 एवं नवम्बर 1995 के मध्य तथा अक्टूबर 1996 में की गई। इसके परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

3.4 संगठनात्मक ढांचा

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम का सामान्य प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण, निदेशक मण्डल में निहित है। मण्डल के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम की पूर्वानुमति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च 1996 को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक सहित निदेशक मण्डल में दस सदस्य थे जिनमें से पांच केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम तथा शेष पांच राज्य सरकार द्वारा मनोनीत थे।

रा.रा.भ.नि. की आधारभूत कार्यशील इकाई इसके भण्डार गृह है जो भण्डार गृहों के व्यवस्थापकों द्वारा प्रशासित किये जाते हैं। मार्च 1996 के अन्त पर रा.रा.भ.नि. राज्य के 31 जिलों में से 28 जिलों के 78 केन्द्रों पर 360 भण्डार गृहों (रा.रा.भ.नि. के स्वयं के 226 तथा शेष 134 किराये पर लिये गये) का संचालन कर रहा था। 1995-96 के दौरान उपलब्ध औसत भण्डारण क्षमता 5.01 लाख टन (रा.रा.भ.नि. स्वयं के भण्डार गृहों की 4.44 लाख टन तथा किराये की 0.57 लाख टन) थी।

रा.रा.भ.नि. का अभियांत्रिकी खण्ड भण्डार गृहों के निर्माण तथा संधारण के लिये उत्तरदायी है।

3.5 वित्तीय व्यवस्थाएं

3.5.1 अंश पूंजी

रा.रा.भ.नि. की अधिकृत अंश पूंजी 31 मार्च 1996 को 8 करोड़ रुपये थी जो प्रत्येक 100 रुपये के 8 लाख अंशों में विभक्त थी तथा इसे राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा बराबर-बराबर अंशदानित किया जाना था। इस दिनांक को प्रदत्त पूंजी 640.26 लाख रुपये थी जिसमें से 332.63 लाख रुपये राज्य सरकार तथा 307.63 लाख रुपये केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा अंशदानित किये गये थे। केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम से शेष पूंजी 25 लाख रुपये जुलाई 1996 में प्राप्त हुई।

3.5.2 ऋण

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पुनर्वित योजना के अन्तर्गत भण्डार-गृहों के निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करता रहा है। नाबार्ड से लिये गये ऋण पर ब्याज तथा इसका पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था। 31 मार्च 1996 को 179.85 लाख रुपये के ऋण (नाबार्ड: 99.87 लाख रुपये तथा राज्य सरकार: 79.98 लाख रुपये) बकाया थे।

3.6 वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित तालिका 1995-96 तक समाप्त सात वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष में रा.रा.भ.नि. की वित्तीय स्थिति दर्शाती है:

विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(रुपये करोड़ों में)			
अ. देयताएं							
(अ) प्रदत्त पूंजी	3.43	2.86	4.20	4.45	5.18	5.68	6.40
(ब) संचय एवं आधिक्य	6.90	7.04	7.35	7.81	8.22	9.85	13.19
(स) उधार	3.23	2.93	2.47	2.22	1.47	1.70	1.80
(द) व्यापारिक ऋण एवं अन्य देयताएं	1.22	1.27	1.33	1.36	1.52	1.46	1.73
योग-अ	14.78	15.10	15.35	15.84	16.39	18.69	23.12
ब. सम्पत्तियां							
(अ) सकल ब्लॉक	15.48	16.18	16.96	17.43	19.49	20.94	22.42
(ब) घटायें: ह्रास	3.88	4.57	5.19	5.80	6.43	7.11	7.85
(स) निवल स्थाई सम्पत्तियां	11.60	11.61	11.77	11.63	13.06	13.83	14.57
(द) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.73	0.69	0.66	1.32	0.43	0.47	0.67
(य) चालू सम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम	2.45	2.80	2.92	2.89	2.90	4.39	7.88
योग-ब	14.78	15.10	15.35	15.84	16.39	18.69	23.12
स. नियोजित पूंजी*	12.83	13.15	13.36	13.16	14.44	16.75	20.72
द. निवेशित पूंजी**	13.37	13.63	13.77	14.18	14.52	16.52	20.07

* नियोजित पूंजी निवल स्थाई सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को छोड़कर) तथा कार्यशील पूंजी का योग है।

** निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋणों तथा मुक्त संचयों एवं आधिक्यों का योग है।

3.7 कार्यचालन परिणाम

3.7.1 वर्ष 1995-96 तक समाप्त सात वर्षो में रा.रा.भ.नि. के प्रत्येक वर्ष के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये है :

विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(रुपये करोड़ों में)			
1. आय							
भण्डारण प्रभार	4.24	4.20	4.31	4.69	5.06	6.08	7.77
अन्य आय	0.15	0.16	0.32	0.47	0.48	0.60	1.23
योग	4.39	4.36	4.63	5.16	5.54	6.68	9.00
2. व्यय							
स्थापना	1.88	2.16	2.46	2.91	3.18	3.53	3.81
ब्याज0.38	0.36	0.39	0.34	0.26	0.22	0.21	
गोदाम किराया	0.13	0.17	0.15	0.17	0.19	0.16	0.27
अन्य व्यय	1.24	1.25	1.21	1.26	1.34	1.31	1.55
योग	3.63	3.94	4.21	4.68	4.97	5.22	5.84
3. लाभ*	0.76	0.42	0.42	0.48	0.57	1.46	3.16
4. अन्य विनियोग, आरक्षित आदि	0.63	0.31	0.34	0.40	0.48	1.30	2.80
5. लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.13	0.11	0.08	0.08	0.09	0.16	0.36
6. प्रदत्त/प्रावधित लाभांश	0.13	0.11	0.08	0.08	0.09	0.16	0.36
7. प्रतिदेय**							
- नियोजित पूंजी पर	1.14	0.78	0.82	0.83	0.83	1.68	3.43
- निवेशित पूंजी पर	1.14	0.78	0.82	0.83	0.83	1.68	3.43
8. प्रतिदेय की प्रतिशतता							
- नियोजित पूंजी पर	8.9	5.9	6.1	6.3	5.7	10.0	16.3
- निवेशित पूंजी पर	8.5	5.7	5.9	5.8	5.7	10.2	16.8

* रा.रा.भ.नि. ने 1985-86 से न तो आयकर का भुगतान किया और न ही इस आधार पर इसका प्रावधान रखा कि इसकी आय करों से मुक्त है। तथापि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में है।

** कुल प्रतिदेय लाभ में ब्याज जोड़कर निकाला गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा छानबीन से प्रकट हुआ कि 1990-91 से 1993-94 के दौरान कम लाभ मुख्यतया निम्नलिखित के कारण थे :

(अ) 77 से 78 भण्डारण केन्द्रों में से 29 से 36 केन्द्रों में कम क्षमता उपयोजन (70 प्रतिशत से कम) जिससे 37.54 लाख रुपये से 62.85 लाख रुपये के मध्य विचरित वार्षिक हानि हुई, तथा

1990-91 से 1993-94 के दौरान लाभ 77 से 78 भण्डारण गृहों में से 29 से 36 भण्डारण गृहों मे कम क्षमता उपयोजन तथा 1989-90 में कुल आय से स्थापना लागत 43 प्रतिशत से 1993-94 में बढ़कर 57 प्रतिशत हो जाने के कारण से कम थे।

(ब) स्थापना व्यय में असमानुपातिक वृद्धि जो क्रमिक रूप से 1989-90 में कुल आय के 43 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 57 प्रतिशत तक बढ़ गई।

उपर्युक्त (अ) के सम्बन्ध में सरकार ने बताया (जून 1996) कि जमाकर्ताओं से अधिक स्टॉक आकर्षिक करने हेतु रा.रा.भ.नि. ने अपने स्टॉफ के लिये (अनुच्छेद 13 देखें) 1992-93 से एक प्रोत्साहन योजना लागू की तथा तब से भण्डारण आय प्रशंसनीय रूप से बढ़ी है। इस उत्तर में युक्ति-युक्तता का अभाव है क्योंकि 1992-93 तथा 1994-95 में उपलब्ध क्षमता उपयोजन की प्रतिशतता वास्तव में सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षो के उपयोजन से भी कम थी (अनुच्छेद 8.1 की तालिका में क्र.सं.5 देखें)। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण से दर्शित हुआ कि मुख्यतया 1992-93 के दौरान खाद्यान्न की लागत पर जिनका भण्डारण प्रभार कम है, उर्वरकों के भण्डारण (जिनका प्रतिटन भण्डारण प्रभार अधिक है) में अधिक वृद्धि होने के कारण 1992-93 की आय 1991-92 से ज्यादा थी। कुछ जिन्सों के शुल्क दरों में 1 मार्च 1992 तथा/1 अप्रैल 1994 से वृद्धि ने भी 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान अधिक आय में योगदान दिया।

सरकार ने यह भी बताया (जून 1996) कि यदि मुख्यालय व्यय का भण्डार-गृहों पर अवशोषण छोड़ दिया जाये तो हानि में चल रहे अधिकतर केन्द्र लाभ दर्शायेंगे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवेक पूर्ण वाणिज्यिक नीति बताती है कि भण्डार-गृह की वास्तविक लाभदायकता आवंटित मुख्यालय व्यय को घटाकर ही निर्धारित की जाती है।

उपर्युक्त (ब) के सम्बन्ध में सरकार ने बताया (जून 1996) कि स्थापना लागत में वृद्धि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के कारण हुई तथा स्थापना लागत नियन्त्रित करने के प्रयास किये जा रहे थे।

कुल आय से स्थापना लागत की प्रतिशतता 1993-94 के 57 प्रतिशत से 1995-96 में घटकर 42 प्रतिशत हो गई। इससे यह दर्शित होता है कि स्थापना लागत कम करने हेतु पहले किये गये प्रयास फलदायी नहीं थे।

3.8 भण्डार-व्यवस्था संचालन

3.8.1 क्षमता उपयोजन

निम्नलिखित तालिका 1989-90 से 1995-96 के वर्षो के दौरान उपलब्ध भण्डारण क्षमता से सम्बन्धित विवरण दर्शाती है:

विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. भण्डार-व्यवस्था केन्द्रों की संख्या*	78	77	77	77	77	78	78
2. भण्डार गृहों की संख्या*							
(अ) स्वयं के	205	207	211	214	216	218	226
(ब) किराये के	83	52	50	59	63	45	134
	288	259	261	273	279	263	360
3. वर्ष के दौरान उपलब्ध औसत भण्डारण क्षमता				(लाख टनों में)			
(अ) स्वयं के भण्डार गृह	3.68	3.83	3.91	4.04	4.22	4.32	4.44
(ब) किराये के भण्डार गृह	0.64	0.66	0.59	0.54	0.52	0.39	0.57
योग	4.32	4.49	4.50	4.58	4.74	4.71	5.01
4. वर्ष के दौरान उपयोजित औसत भण्डार क्षमता							
(अ) स्वयं के भण्डार गृह	2.56	2.50	2.27	2.29	2.78	2.86	3.67
(ब) किराये के भण्डार गृह	0.72**	0.65	0.62**	0.55**	0.48	0.35	0.54
योग	3.28	3.15	2.89	2.84	3.26	3.21	4.21
5. उपलब्ध क्षमता का प्रतिशत उपयोजन							
(अ) स्वयं के भण्डार गृह	70	65	58	57	66	66	83
(ब) किराये के भण्डार गृह	113**	98	105**	102**	92	90	95
योग	76	70	64	62	69	68	84
			(रुपयों में)				
6. प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत व्यय***	111.0	125.0	145.7	164.8	152.6	162.6	137.0
7. प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत आय***	133.8	138.4	160.2	181.7	169.9	208.1	213.0
8. प्रतिटन लाभ	22.8	13.4	14.5	16.9	17.3	45.5	76.0

* भण्डार-व्यवस्था केन्द्रों की संख्या तथा भण्डार-गृहों की संख्या के आकड़े उस वर्ष की समाप्ति पर संख्या के सन्दर्भ में है।

** भण्डारण क्षमता उपयोजन निर्धारित मानकों से अधिक भण्डारण के कारण उपलब्ध क्षमता उपयोजन से अधिक हो गया।

*** प्रतिटन औसत व्यय तथा औसत आय उपयोजित क्षमता के आधार पर निकाला गया।

चार्ट - X

अनुपयोजित भण्डारण क्षमता

(स्वयं के भण्डार गृह)

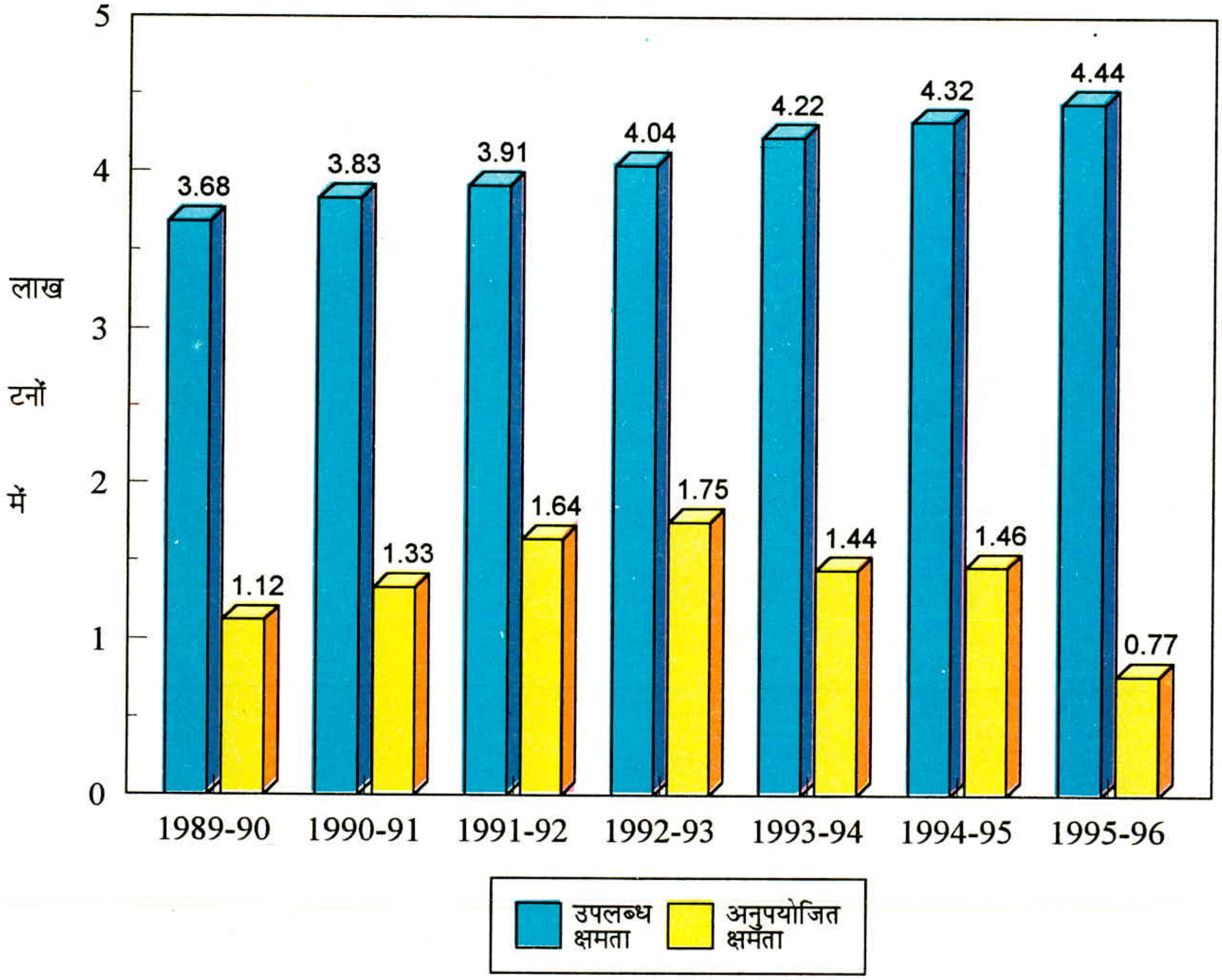

सन्दर्भ अनुच्छेद 3.8.1)

उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम की गोदाम क्षमता सृजन तथा इसकी वास्तविक आवश्यकताओं के मध्य सामान्यतया अनुरूपता नहीं है ।

(i) किराये के गोदामों की उपयोजन क्षमता की प्रतिशतता रा.रा.भ.नि. के स्वयं के गोदामों से लगातार भरपूर रूप से बढ़ रही है। यह रा.रा.भ.नि. के स्वयं के भण्डार-गृहों की भण्डारण क्षमता तथा अपेक्षित भण्डार क्षमता के वास्तव में संवितरण के मध्य अवस्थिति की सामान्यतया अनुरूपता नहीं होना दर्शाती है। तथापि, स्वयं के तथा किराये के भण्डार-गृहों की उपयोजन प्रतिशतता के अन्तर में 1991-92 से कमी, स्थलों के गलत चुनाव के विपरीत प्रभावों में कमी होना दर्शाती है।

रा.रा.भ.नि. ने 1989-90 तथा 1995-96 के मध्य 0.76 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित की लेकिन 1989-90 में उपलब्ध क्षमता का 1995-96 तक पूर्ण रूप से उपयोजन नहीं किया गया।

(ii) रा.रा.भ.नि. ने अपने भण्डार-गृहों की भण्डारण क्षमता 1989-90 के 3.68 लाख टन से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1995-96 में 4.44 लाख टन कर ली। तथापि 1995-96 में अपने स्वयं के भण्डार-गृहों की क्षमता उपयोजन (3.67 लाख टन) 1989-90 में विद्यमान क्षमता (3.68 लाख टन) से भी कम था।

(iii) 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान वार्षिक भण्डारण 1989-90 में भण्डारित मात्रा (3.28 लाख टन) से भी कम था। इससे यह दर्शित होता है कि भौतिक मानकों के अनुसार 1990-95 की अवधि के दौरान रा.रा.भ.नि. का कारोबार घट गया।

(iv) रा.रा.भ.नि. के स्वयं के भण्डार गृहो की अनुपयोजित भण्डारण क्षमता 1989-90 के 1.12 लाख टन {3(अ) - 4(अ)} 1994-95 में बढ़कर 1.46 लाख टन हो गई।

(v) उपलब्ध भण्डारण क्षमता का उपयोजन 1989-90 के 76 प्रतिशत से तीव्र रूप से घटकर 1992-93 में 62 प्रतिशत रह गया। आगे के विश्लेषण दर्शाते है कि 1989-90 से 1995-96 के दौरान 78 भण्डार गृहों में से 23 से 45 भण्डार गृहों का क्षमता उपयोजन राज्य राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा नवम्बर 1984 में आकलित सम-विच्छेद (ब्रेक-इवन) प्रतिशतता 70 से भी कम रही। 1995-96 के दौरान 70 प्रतिशत से कम क्षमता उपयोजन वाले 23 भण्डारण केन्द्रों में से 10 केन्द्र लगातार सात वर्षो तक इस प्रकार कम उपयोजित रहे जबकि 3 केन्द्र 6 वर्षो तथा 5 केन्द्र पांच वर्षो में कम उपयोजित रहे।

रा.रा.भ.नि. के आधे से अधिक भण्डारण केन्द्रों ने 1991-92 से 1994-95 के दौरान 70 प्रतिशत की सम-विच्छेद (ब्रेक-इवन) क्षमता प्राप्त नहीं की।

सरकार ने कम उपयोजन क्षमता के लिये समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ प्रापण की मात्रा पर निर्भरता को तथा जमाकर्ताओं के पास उर्वरकों/अतिरिक्त कृषि उत्पादों की अनुपलब्धता को आरोपित किया (जून 1996) ।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुछ भण्डार गृहों की आवास स्थिति ठीक नहीं होने से तथा अत्यधिक भण्डारण क्षमता के कारण भी कम क्षमता उपयोजन हुआ।

3.9 भण्डार गृहों का निर्माण

3.9.1 राजस्थान में कृषि तथा सम्बन्धित जिन्सों की भण्डारण सुविधाएं मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम, सहकारी विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम तथा केन्द्रीय भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा प्रदान की जाती है। गोदामों के निर्माण के लिये राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (रा.स्त.स.स.) को विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार भण्डारण क्षमता के संतुलित विकास की उद्देश्य प्राप्ति हेतु इन अभिकरणों के मध्य उचित समन्वय आश्वस्त करना पडता है। तथापि, भण्डार गृह निर्माण करने का अंतिम निर्णय सम्बन्धित अभिकरणों के पास रहता है। रा.रा.भ.नि. के भण्डारण केन्द्रों (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये भण्डार गृहों, जो

रा.रा.भ.नि. को हस्तान्तिरित किये गये, को छोड़कर) जिनमें विगत सात वर्षो के दौरान हुई हानि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	भण्डार व्यवस्था केन्द्र	निर्माण/संवर्धन का वर्ष*	1995-96 के अन्त में क्षमता	लाभ(+)/हानि(-)(रुपये लाखों में) (उपयोजित क्षमता की प्रतिशतता)							निविल हानि (रुपये लाखों) में) उपयोजित औसत क्षमता की प्रतिशतता
				1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	
	अ. - सात वर्षो में से प्रत्येक वर्ष में हानि उठाने वाले केन्द्र										
.	भादरा	1990-91	2000	(-)1.26 (17)	(-)1.64 (35)	(-)2.02 (13)	(-)2.55 (8)	(-)1.57 (45)	(-)2.71 (28)	(-)1.18 (54)	(-)12.93 (29)
.	नोखा	1985-86	1800	(-)1.08 (13)	(-)0.87 (54)	(-)1.24 (18)	(-)1.69 (8)	(-)0.34 (49)	(-)0.27 (44)	(-)1.69 (31)	(-)7.18 (31)
.	निवाई	1970-71	2000	(-)0.79 (33)	(-)1.80 (20)	(-)1.64 (24)	(-)1.45 (31)	(-)1.25 (38)	(-)0.97 (55)	(-)1.71 (54)	(-)9.61 (36)
.	किशनगढ़	1973-74 1987-88	1800 3600 5400	(-)1.37 (29)	(-)1.84 (32)	(-)2.29 (27)	(-)1.55 (37)	(-)0.12 (45)	(-)0.02 (43)	(-)0.87 (42)	(-)8.06 (36)
.	कापरेन	1980-81 1985-86 1991-92	2250 2250 2250 6750	(-)0.08 (69)	(-)1.34 (57)	(-)4.21 (32)	(-)4.05 (38)	(-)4.39 (33)	(-)4.51 (32)	(-)2.95 (47)	(-)21.53 (44)
6.	सोजत रोड	1965-66	1800	(-)1.00 (41)	(-)1.01 (41)	(-)1.04 (50)	(-)0.98 (50)	(-)0.95 (48)	(-)0.43 (51)	(-)0.68 (69)	(-)6.09 (50)
									योग: अ		**(-)65.40**
	ब. - सात वर्षो में से छह में हानि उठाने वाले केन्द्र										
7.	कोलायत	1985-86	2250	(-)1.07 (23)	(-)1.62 (41)	(-)2.40 (3)	(-)0.27 (46)	(-)1.88 (30)	(-)1.86 (27)	(+)1.24 (96)	(-)7.86 (38)
8.	गुलाबपुरा	1972-73/ 1981-82	5950	(-)0.11 (52)	(-)0.03 (51)	(+)0.65 (57)	(-)2.16 (30)	(-)1.57 (40)	(-)2.54 (28)	(-)0.32 (53)	(-)6.08 (44)
9.	फलोदी	1988-89	3600	(-)0.91 (45)	(-)1.12 (33)	(-)1.28 (33)	(-)1.20 (53)	(-)1.41 (36)	(+)1.95 (81)	(-)0.71 (44)	(-)4.68 (46)

* क्षमता वृद्धि से सन्दर्भित क्षमता का विवरण तभी दिया गया है यदि विगत क्षमता वृद्धि 1985-86 के बाद की गई थी।

10.	अन्ता	1972-73/ 1980-81	7400	(+)1.20 (71)	(-)0.36 (68)	(-)4.18 (25)	(-)3.06 (33)	(-)3.78 (43)	(-)0.97 (61)	(-)0.21 (75)	(-)11.36 (54)
11.	केशोराय पाटन	1976-77 1977-78 1986-87	1800 1800 1800 5400	(+)1.59 (91)	(-)0.50 (68)	(-)1.32 (55)	(-)1.38 (60)	(-)0.91 (61)	(-)0.88 (61)	(-)0.37 (72)	(-)3.77 (67)
									योग: ब		(-)33.75

स. - सात वर्षों में से पांच में हानि उठाने वाले केन्द्र

12.	खाजूवाला	1985-86	3600	(+)0.16 (62)	(-)1.28 (44)	(-)1.37 (35)	(+)0.84 (64)	(-)0.74 (46)	(-)1.67 (33)	(-)1.04 (41)	(-)5.10 (46)
13.	डाबली राठान	1975-76	5400	(-)0.91 (35)	(-)2.49 (28)	(-)3.84 (16)	(-)4.21 (12)	(-)0.73 (67)	(+)1.65 (80)	(+)3.29 (93)	(-)7.24 (47)
14.	सादूलशहर	1966-67 1978-79 1979-80 1981-82 1986-87	1800 2000 2250 2250 1800 10100	(+)1.45 (73)	(-)3.46 (36)	(-)5.01 (27)	(-)2.43 (41)	(-)0.88 (55)	(-)4.27 (31)	(+)3.89 (70)	(-)10.71 (48)
									योग: स		(-)23.05

द. - सात वर्षों में से चार वर्ष हानि उठाने वाले केन्द्र

15.	अटरू		3600	(-)1.79 (1)	(-)1.60 (25)	(+)0.05 (52)	(-)0.68 (57)	(-)0.51 (62)	(+)0.88 (84)	(+)1.55 (98)	(-)2.10 (54)
16.	श्रीकरनपुर	1963-64/ 1985-86	10800	(+)1.22 (59)	(+)0.18 (130)	(-)1.78 (42)	(-)2.62 (38)	(-)0.70 (62)	(-)4.59 (30)	(+)2.65 (69)	(-)5.64 (61)
17.	सुलतानपुर	1975-76/ 1978-79	3600	(+)2.02 (112)	(+)0.35 (88)	(-)1.39 (46)	(-)0.68 (61)	(-)1.20 (60)	(-)0.47 (70)	(+)0.20 (87)	(-)1.17 (75)
									योग: द		(-)8.91
									कुल जोड़:		(-)131.11
									उपयोजित औसत क्षमता:		(47)

इस प्रकार 78 भण्डार-व्यवस्था केन्द्रों में से 17 ने 1995-96 में समाप्त हाने वाले सात वर्षों के दौरान कुल 131.11 लाख रुपये की हानि उठाई। इनमें से 12 केन्द्रों (क्रम संख्या 1 से 9 तथा 12 से 14) ने 107.07 लाख रुपये की हानि मुख्यत: लगातार कम औसत क्षमता उपयोजन 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के कारण से थी। इससे यह दर्शित होता है कि भण्डार केन्द्रों की अवस्थिति तथा उनकी भण्डारण क्षमता का निर्णय लेने से पहले कारोबारी भविष्य एवं संभावनाओं का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया।

78 भण्डार व्यवस्था केन्द्रों में से 12 केन्द्र 31 मार्च 1996 को समाप्त पिछले सात वर्षों तक औसतन 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोजन भी नहीं कर सके ।

इसके अतिरिक्त कापरेन में क्षमता वृद्धि (1991-92 में 13.69 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुआ) औचित्यपूर्ण नहीं थी क्योंकि इसका अनुवर्ती क्षमता उपयोजन 50 प्रतिशत से कम रहा तथा केन्द्र में लगातार घाटा होता रहा।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि विभिन्न केन्द्रों पर वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भण्डारण क्षमता बनाई गई थी। यह उत्तर इस तथ्य से सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 77/78 में से 12 केन्द्रों में 1995-96 में समाप्त सात वर्षो के दौरान कभी भी औसत क्षमता उपयोजन 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुआ।

3.9.2 कार्य आदेश देने में विलम्ब से अतिरिक्त व्यय

बाराँ भण्डार गृह (मई 1990 में खोला गया) में सड़कें, नालियां तथा चार दीवारी की मरम्मत हेतु आमन्त्रित निविदाओं के समक्ष चार उद्धरण प्राप्त हुये जिनमें से न्यूनतम रा.रा.भ.नि. के अनुमानों से कम था। यद्यपि, निविदा समिति द्वारा न्यूनतम निविदाकार को कार्य सौंपने की सिफारिश (मई 1990) कर दी गई थी लेकिन प्रबन्ध निदेशक द्वारा बाराँ में ऐसे कार्य हेतु सा.नि.वि. दरें मालूम करने बाबत इच्छा जाहिर करने से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिये इस सम्बन्ध में सन्दर्भ, भण्डार गृह प्रबन्धक बाराँ तथा सा.नि.वि. को किया गया। इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हाने पर न्यूनतम निविदाकार को आखिरकार अक्टूबर 1990 में कार्य आदेश दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में निविदाकार ने यह बताते हुये (नवम्बर 1990) कि उसके प्रस्ताव की वैधता अवधि 4 माह व्यतीत हो चुकी है, उसने कार्य लेने से इंकार कर

दिया। आखिरकार नई निविदायें आमंत्रित की गई और कार्य को अत्यधिक अधिक दरों पर मई 1991 में दिया गया जिससे 1.12 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि 1991 में प्राप्त दरें 1990 में प्राप्त दरों से अधिक कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण से थी। तथापि, तथ्य यह है कि कार्य को 1990 में वैधता अवधि के 4 माह के दौरान ही अंतिम रूप दिया जाना संभव था विशेषतया तब जब कि न्यूनतम निविदाकार की दरें रा.रा.भ.नि. के स्वयं के अनुमानों से भी कम थी।

3.10 प्रापण कार्य करने से मना करना

राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम 1973-74 से भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के मनोनीत अभिकर्ता के रूप में समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न अधिप्राप्ति का कार्य करता रहा है। अधिप्राप्ति को प्रभावी बनाने के लिये रा.रा.भ.नि. को खाद्यान्न खरीद के लिये निधियों की व्यवस्था (भारतीय खाद्य निगम से पुनर्भरण होने तक) करनी पड़ती है तथा हस्तगन एवं परिवहन (ह.प.) पर व्यय करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय, बैंक ब्याज, बैंक कमीशन, चुंगी, मण्डी, शुल्क, आढ़त एवं तुलाई सम्बन्धित व्यय भी वहन करने होते हैं। 1992-93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने रा.रा.भ.नि. को प्रशासनिक प्रभारों हेतु 4 रुपये प्रति क्विंटल तथा हस्तगन एवं परिवहन प्रभारों हेतु 7 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया। अन्य प्रभारों का पुनर्भरण मानक अथवा वास्तविक व्यय के आधार पर परस्पर सहमति से किया जाता है। रा.रा.भ.नि. द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत दावों के निपटारे की प्रक्रिया में कुछ मामूली राशि पर मतभेद हो गये तथा 1992-93 को समाप्त चार वर्षों के दौरान किये गये प्रापण सम्बन्धी रा.रा.भ.नि. के कुल 3.94 लाख रुपये के दावे भारतीय खाद्य निगम पर बकाया थे। इसके अन्तर्गत (i) प्रशासनिक प्रभारों के 0.05 लाख रुपये, (ii) हस्तगन एवं परिवहन के 2.63 लाख रुपये, (iii) चुंगी के 0.79 लाख रुपये, (iv) आढ़त एवं तुलाई के 0.23 लाख रुपये, (v) बैंक कमीशन के 0.16 लाख रुपये तथा (vi) अन्य व्यय के 0.08 लाख रुपये बकाया थे। 3.94 लाख रुपये का बकाया दावा भारतीय खाद्य निगम से इन चार वर्षों के दौरान प्राप्त कुल पुनर्भरण (24.84 करोड़ रुपये) का केवल 0.16 प्रतिशत था।

भारतीय खाद्य निगम ने रबी 1993-94 के दौरान गेहूँ वसूली हेतु रा.रा.भ.नि. के श्रीगंगानगर में नौ केन्द्र आवंटित किये। इन केन्द्रों में से प्रत्येक में रा.रा.भ.नि. के अपने भण्डार गृह तथा स्टॉफ था। आवंटन के प्रत्युत्तर में रा.रा.भ.नि. ने भारतीय खाद्य निगम से 50 लाख रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत करने, प्रशासनिक

प्रभार हेतु 10 रुपये प्रति क्विंटल, हस्तगन एवं परिवहन हेतु 15 रुपये प्रति क्विंटल, तथा अन्य मदों को वास्तविक आधार पर देने का अनुरोध (फरवरी 1993) किया। रा.रा.भ.नि द्वारा उठाई गई मागें प्राथमिक तौर पर निम्न लिखित कारणों से उचित नहीं थी :

(अ) रा.रा.भ.नि. द्वारा 1991-92 तथा 1992-93 में गेहूँ वसूली हेतु लगाये गई निधियों पर भारतीय खाद्य निगम ने 16.5 प्रतिशत तथा 19.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया। इसके अतिरिक्त, 1986-87 से 1992-93 की अवधि के लिये भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध बैंक ब्याज का रा.रा.भ.नि. का कोई दावा लम्बित नहीं था जो यह दर्शाता है कि रा.रा.भ.नि. इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम से उचित मुआवजा प्राप्त करता रहा था।

(ब) इस बात को देखते हुए कि 1992-93 के लिये भारतीय खाद्य निगम और रा.रा.भ.नि. प्रशासनिक प्रभारों तथा हस्तगन एवं परिवहन की 4 रुपये तथा 7 रुपये की दरों पर सहमत हो गये थे, इनके लिये रा.रा.भ.नि. द्वारा 10 रुपये तथा 15 रुपये की दरों की मांग अत्यधिक थी। वास्तव में 1994-95 के दौरान वसूली हेतु रा.रा.भ.नि. ने स्वयं गणना की थी कि हस्तगन एवं परिवहन का वास्तविक व्यय केवल 6.27 रुपये प्रति क्विंटल था। रा.रा.भ.नि. ने खाद्यान्न प्रापण में प्रशासनिक प्रभारों की वास्तविक बढ़ोतरी जानने हेतु कभी भी विस्तृत लागत लेखांकन नहीं किया। इस प्रकार प्राप्त पुनर्भरण सदैव भारतीय खाद्य निगम से समझौते का विषय रहा।

(स) रा.रा.भ.नि. द्वारा खाद्यान्न वसूली प्रक्रिया में प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में किया गया व्यय प्रथम दृष्टया नगण्य है। रा.रा.भ.नि. ने वसूली हेतु कभी भी अतिरिक्त कर्मचारियों को नहीं लगाया क्योंकि इस कार्य के लिये क्षेत्र स्टाफ पर्याप्त था। रा.रा.भ.नि. द्वारा वसूली के लिये जो सामान्यतया छह सप्ताह तक चलती है, किये गये अतिरिक्त व्यय यात्रा व्यय, मुद्रण एवं स्टेशनरी, डाक एवं तार तथा दूरभाष एवं ट्रंक कालों पर होता है। रा.रा.भ.नि. द्वारा किसी प्रकार के लागत लेखांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा ने इन उपरिव्ययों का एक अनुमान लगाया जो दर्शाता है कि अधिकतम अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय 3 लाख रुपये होता है । यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा रा.रा.भ.नि. को इन अनुमानों पर स्पष्ट तौर से बताने हेतु अनुरोध किया गया (जुलाई 1996), रा.रा.भ.नि. ने केवल यही बताया (नवम्बर 1996) कि भविष्य में उपरिव्यय आदि की लागत मालूम करने के लिये वे एक लागत लेखाकार की नियुक्ति पर विचार करेंगे।

> *रबी 1993-94 के दौरान प्रापण हेतु इन्कार करने के कारण रा.रा.भ.नि. ने 41.39 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर खो दिया।*

भारतीय खाद्य निगम जयपुर ने इन मांगों के लिये अपने मुख्यालय को सन्दर्भित किया, जहां से खाद्यान्न वसूली कार्य प्रारम्भ होने तक कोई स्पष्ट वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई। इसी बहाने, रा.रा.भ.नि. ने राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम प्रतिनिधी के साथ बैठक (8 अप्रैल 1993) में (जिसमें भारतीय खाद्य निगम ने प्रशासनिक तथा हस्तगन एवं परिवहन प्रभारों हेतु 4.20 रुपये तथा 7.20 रुपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव दिया) वसूली नहीं करने का निर्णय लिया। मूल रूप से रा.रा.भ.नि. को आवंटित 9 केन्द्र बाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा ले लिये गये जिसने इन केन्द्रों से 10,56,900 क्विंटल वसूल किया। यदि रा.रा.भ.नि. इस वसूली को स्वयं करता तो प्रशासनिक प्रभारों के लिये यह 44.39 लाख रुपये की आय अर्जित करता जिसके समक्ष इसे केवल 3 लाख रुपये का उपरिव्यय करना होता। इस प्रकार, हस्तगन एवं परिवहन से होने वाली किसी बचत को छोड़ दें तो भी रा.रा.भ.नि. ने लगभग 41.39 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने का एक अवसर खो दिया।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि रा.रा.भ.नि. द्वारा 1993-94 के दौरान खाद्यान्न प्रापण करने हेतु इंकार करने पर भारतीय खाद्य निगम ने रा.रा.भ.नि. के पुराने दावे निपटाये। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1973-74 से 1992-93 के बकाया 35.59 लाख रुपये के दावों का निपटारा जून 1995 में, अर्थात रा.रा.भ.नि. द्वारा रबी 1994-95 की वसूली प्रारम्भ करने के बाद ही किया। इसके अतिरिक्त इस निपटारे में रा.रा.भ.नि. भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध दिखाये गये 35.59 लाख रुपये में से 19.46 लाख रुपये (1973-74 से 1989-90 तक की अवधि से सम्बन्धित) छोड़ देने पर सहमत हो गया। यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाये कि रा.रा.भ.नि. द्वारा 1993-94 के दौरान प्रापण करने से मना करने पर इसकी मोलभाव करने की स्थिति में सुधार हुआ, जिससे बकाया राशि के निपटारे में सुविधा हुई, तब भी भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त 16.13 लाख रुपये का परिणामी भुगतान 41.39 लाख रुपये लाभ के छोड़े गये अवसर की तुलना में कम था।

3.11 भूमि अवाप्ति

रा.रा.भ.नि. द्वारा जुलाई 1979 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भण्डार गृहों की अवस्थिति इसके रेलवे स्टेशन से निकटता, जल एवं विद्युत की उपलब्धता, भार मुक्त भूमि की उपलब्धता आदि जैसे कुछ निश्चित कारकों को ध्यान में रखते हुए

स्थल के निरीक्षण करने के बाद निर्णित की जाती है। गोदाम निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित कुछ बिन्दु जो लेखापरीक्षा के ध्यान में आये अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताये गये है।

1984-85 से 1988-89 के दौरान 80,100 मे.ट. भण्डारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करने हेतु अवाप्त किये गये चार भूखण्ड नीचे दिये गये विवरणानुसार अनुपयोजित रहे:

क्रम संख्या	स्थान	जिला	भुगतान का वर्ष/ माह	अवाप्ति का वर्ष	भूमि का प्रकार	लागत	प्रस्तावित क्षमता
						(रुपयों में)	(मे.ट.में)
1.	सीसवाली	बारां	नवम्बर 1984	1984-85	फ्री होल्ड	10,737	5,400
2.	दांतोर	बीकानेर	अगस्त 1984	1985-86	लीज होल्ड	3,99,000	32,400
3.	लूणकरणसर	बीकानेर	मार्च 1985	1985-86	लीज़ होल्ड	2,22,222	14,850
4.	रामसिंहपुर	श्रीगंगानगर	मई 1988	1988-89	फ्री होल्ड	2,45,191	27,450
					योग	**8,77,150**	**80,100**

यह तथ्य कि उपर्युक्त भूखण्ड 7 से 11 वर्षो से भी अधिक समय से खाली पड़े हुये है यह दर्शाता है कि इन स्थानों पर भण्डार गृहों के निर्माण की आवश्यकता पर पर्याप्त विचार किये बिना इन्हें अवाप्त किया गया। इसके कारण 8.77 लाख रुपये की निधियां अवरुद्ध हुई जिससे 31 मार्च 1996 तक 11.39 लाख रुपये (12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित) के ब्याज की हानि हुई।

गोदाम निर्माण हेतु चार स्थानों पर 1984-85 तथा 1988-89 के मध्य 8.77 लाख रुपयों की लागत से अवाप्त किये गये भूखण्ड बिना उपयोग के पड़े रहे (मार्च 1996) जिसके कारण अवरूद्ध निधियों पर 11.39 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि भूखण्डों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा भविष्य में कारोबारी संभाव्यता के अनुसार खरीदा/अवाप्त किया गया है।

3.12 गोदामों को किराये पर लेना

(अ) राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम उन स्थानों पर जहां रा.रा.भ.नि. के स्वयं के गोदाम नहीं है अथवा जहां पर स्वयं के गोदामों में उपलब्ध भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है वहां कृषि उपज मण्डियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निजी पक्षकारों आदि से निजी गोदाम किराये पर लेता रहा है। 1989-90 से 1995-96 के वर्षो के दौरान रा.रा.भ.नि. ने 50 से 134 गोदाम किराये पर लिये।

रा.रा.भ.नि. ने जयपुर में गोदाम निर्माण हेतु भूमि प्राप्ति के लिये गम्भीर प्रयास नही किये तथा जयपुर के दुर्गापुरा एवं झोटवाड़ा में भण्डार गृह किराये पर रखता रहा।

(ब) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1988-89 के अनुच्छेद 3.9.4 में बताया गया था कि रा.रा.भ.नि. ने अगस्त 1982 में दुर्गापुरा तथा जयपुर में प्रारम्भ में तीन वर्षो की अवधि के लिये दो भण्डार गृह 60 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर पर राजस्थान इण्डस्ट्रियल कम्पनी (आर.आई.सी.) से किराये पर लिये। यह भण्डार गृह रा.रा.भ.नि. के पास लगातार किराये पर रहे तथा इनका मासिक किराया समय समय पर संशोधित किया गया। इसी प्रकार रा.रा.भ.नि. ने 1000 मे.ट. प्रत्येक की क्षमता वाले तीन गोदाम राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफेड) जयपुर से क्रमशः मई 1985, जनवरी 1986 तथा सितम्बर 1988 में जयपुर (झोटवाड़ा) में किराये पर लिये।

दुर्गापुरा में किराये के गोदामों में 1989-96 के दौरान 88 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोजन तथा झोटवाड़ा में 1989-93 के दौरान औसत 97 प्रतिशत क्षमता उपयोजन के बावजूद भी रा.रा.भ.नि. ने इन भण्डार गृहों में क्रमशः 14.20 लाख रुपये तथा 2.37 लाख रुपये की हानि उठाई जो किराया प्रभार तथा भण्डारण दरों के मध्य अपर्याप्त लाभ की गुंजाइश दर्शाती है।

दुर्गापुरा तथा झोटवाड़ा के भण्डार गृहों ने उच्च क्षमता उपयोजन के बावजूद भी हानि उठाई। दुर्गापुरा में औसत क्षमता उपयोजन 88 प्रतिशत होने के बावजूद भी 1989-96 के दौरान हुई कुल हानि 14.20 लाख रुपये थी। इसी प्रकार झोटवाड़ा में 1989-93 के दौरान औसत क्षमता उपयोजन 97 प्रतिशत होने के बावजूद भी कुल हानि 2.37 लाख रुपये थी। अपवादस्वरूप अत्यधिक उच्च क्षमता उपयोजन के बावजूद भी इन भण्डार गृहों मे हो रही हानि इनके किराया प्रभारों तथा रा.रा.भ.नि. द्वारा वसूले गये भण्डारण प्रभारों के मध्य अपर्याप्त लाभ की गुंजाइश का द्योतक है।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी जयपुर में गोदाम निर्माण हेतु वांछित भूमि प्राप्त नहीं की जा सकी और इसलिये रा.रा.भ.नि. को यह भण्डार गृह किराये पर लेने पड़े। जयपुर में भण्डार गृहों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अभिलेखों की समीक्षा से तथापि प्रकट हुआ कि रा.रा.भ.नि. ने इस विषय को पूर्ण करने हेतु कभी भी अनुसरण नहीं किया। इस सम्बन्ध में गंवाये हुये कुछ अवसर नीचे बताये गये है:

(i) अगस्त 1984 में एक निजी पक्षकार ने जयपुर रेलवे स्टेशन से 4 कि.मी. दूर 'ढेर के बाला जी' में स्थित 76 बीघा 13 बिस्वा भूमि 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से देने का प्रस्ताव किया। निरीक्षण करने पर रा.रा.भ.निं. के सम्पदा अधिकारी ने इसे उपयुक्त पाया तथा 21 सितम्बर 1984 को होने वाली निदेशक मण्डल की बैठक में रखने हेतु एक कार्य सूची टिप्पणी तैयार की गई। तथापि, इस बैठक के कार्यवृत्त में इस विषयक विचार-विमर्श का कोई सन्दर्भ नहीं है।

(ii) अगस्त 1989 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने रा.रा.भ.नि. को जयपुर के मास्टर प्लान में अपनी आवश्यकताओं को सम्मिलित करने हेतु एक बैठक में आमंत्रित किया। तथापि रा.रा.भ.नि. के किसी अधिकारी ने इस बैठक में भाग नहीं लिया।

वर्तमान अभिलेखों की छानबीन से प्रकट हुआ कि अब भी जयपुर में अथवा इसके आसपास भण्डार गृहों के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा गम्भीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।

(स) निम्नलिखित किराये के गोदामों में भी हानियां हुई:

क्रम संख्या	भण्डारण केन्द्र	1995-96 के अन्त में क्षमता	लाभ(+)/हानि(-)(उपयोजित क्षमता प्रतिशतता)							निविल हानि (रुपये लाखों में)
			1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	
1.	बालोतरा	1000	(-)0.64 (56)	(-)0.67 (58)	(-)1.02 (41)	(-)1.26 (28)	(-)0.98 (39)	(-)0.94 (62)	(-)1.79 (45)	(-)7.30 (47)
2.	लालसोट	1620	(+)0.27 (92)	(-)0.33 (74)	(-)0.62 (59)	(-)0.44 (89)	(-)0.66 (95)	(-)0.85 (79)	(-)0.11 (104)	(-)2.74 (85)
3.	बिलाड़ा	2230	(-)0.14 (88)	(-)0.85 (77)	(-)0.98 (81)	(-)0.77 (101)	(-)0.62 (92)	(-)1.46 (68)	(-)1.78 (64)	(-)6.60 (82)
4.	ब्यावर	1000	(-)0.35 (95)	(-)0.28 (87)	(+)0.19 (103)	(-)0.47 (95)	(-)0.37 (99)	(-)0.32 (92)	(-)0.49 (98)	(-)2.09 (95)
									योग:	**(-)18.73**

रा.रा.भ.नि./सरकार ने बताया (जून तथा सितम्बर 1996) कि लालसोट का भण्डार गृह सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिया गया था जिसके लिये किराये का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि, अन्य स्थानों के भण्डार गृह कृषि उपज मण्डियों तथा सहकारी समितियों से नाम मात्र के किराये पर लिये गये हैं। सरकार ने इन केन्द्रों पर हानि के लिये इनकी कम क्षमता को आरोपित किया किन्तु इन्हें सार्वजनिक हित के आधार पर रखने को उचित बताया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि उपज मण्डियाँ/सहकारी समितियां भी भण्डार गृह चलाती हैं और इनके अव्यवहार्य भण्डार-गृह रा.रा.भ.नि. द्वारा किराये पर लेना विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बालोतरा में भण्डार गृह किराये पर लेना आवश्यकताओं से अधिक ही है।

3.13 प्रोत्साहन योजना

अपने भण्डार गृहों के स्टॉफ को भण्डार क्षमता के अधिक उपयोजन के माध्यम से भण्डारण शुल्कों से आय में वृद्धि करने हेतु प्रेरित करने के लिये रा.रा.भ.नि. द्वारा एक प्रोत्साहन योजना जुलाई 1992 में लागू की गई इस योजना का आधार यह था कि जो भण्डार गृह पूर्ववर्ती तीन वर्षो की औसत आय से 20 प्रतिशत अधिक भण्डारण आय प्राप्त करेंगे उन्हे प्रोत्साहन दिया जायेगा जो ऐसे आधिक्य का 50 प्रतिशत होगा। यह प्रोत्साहन राशि बाद में भण्डार गृह के स्टॉफ में उनके मूल वेतन के अनुपात में वितरित की जायेगी। यह योजना प्रतिवर्ष कुछ लघु संशोधनों के साथ 1992-93 के बाद भी चालू रही।

इस योजना की युक्तिसंगतता इस संकल्पना पर आधारित लगती है कि प्राप्त स्तर (1991-92 को समाप्त तीन वर्षो के औसत से दर्शित) से 20 प्रतिशत अधिक भण्डारण आय फील्ड स्टाफ की कुशलता एवं अभिप्रेरणा पर निर्भर है। इस प्रकार का अन्तर्सम्बन्ध बहुत कम वैधता रखता है। पहले तो एक जमाकर्ता बिना आवश्यकता के अपना माल भण्डार गृह में नहीं रखेगा। दूसरे भण्डारण का अत्यधिक भाग (1989-90 से 1991-92 के दौरान 78 प्रतिशत) भारतीय खाद्य निगम, सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा सहकारी क्षेत्र के भण्डार गृहों में था। अपने माल के भण्डारण हेतु ऐसे संगठन अनिवार्यतः न्यूनतम भण्डारण दरों या भण्डार गृह की अवस्थिति के आधार पर भण्डारण का निर्णय लेते हैं। रा.रा.भ.नि. के फील्ड स्टाफ से ऐसे संगठनों द्वारा अपने भण्डार गृहों को उपयोग में लेने हेतु विकल्प को प्रभावित करने की अपेक्षा मुश्किल होती है। रा.रा.भ.नि. के भण्डार गृहों में वास्तविक भण्डारण का केवल एक छोटा भाग (1990-91 में समाप्त तीन वर्षों में 22 प्रतिशत) व्यापारियों

तथा उत्पादकों द्वारा प्रयोग में लाया गया जिनका भण्डार गृह का चुनाव फील्ड स्टाफ द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता से प्रभावित किया जा सकता है। प्रोत्साहन योजना में इस पहलू को नजर अंदाज किया गया है। वास्तव में, रा.रा.भ.नि. भण्डार गृहों में व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा भण्डारण क्षमता उपयोजन 1992-93 (जब प्रोत्साहन योजना लागू हुई थी) के 25 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से घटाकर 1995-96 में क्रमशः 20 प्रतिशत और 2 प्रतिशत रह गया।

प्रोत्साहन योजना में दूसरा मुख्य दोष यह है कि इसमें उन भण्डार गृहों की आय तुलनात्मक रूप से आसानी से बढ़ सकती है जिनका क्षमता उपयोजन पूर्ववर्ती वर्षो में कम था। दूसरी तरफ, जिन भण्डार गृहों ने 90 प्रतिशत तथा अधिक क्षमता उपयोजन पहले ही प्राप्त कर लिया है उनमें प्रोत्साहन मिलने का अवसर मुश्किल से मिलेगा। इसलिये यदि प्रोत्साहन योजना की युक्तिसंगतता (अर्थात् क्षेत्र स्टाफ के अभिप्रेरण और भण्डारण से आय में वृद्धि में सीधा सम्बन्ध विद्यमान है) वैध है तो योजना में लागू तर्क से अभिप्रेरित स्टॉफ को प्रोत्साहन नकारना होगा। इसके परिणामस्वरूप 24 भण्डारण गृहों जिन्होने 95 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोजन प्राप्त कर लिया था (14 भण्डार गृहों सहित जिन्होने 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोजन प्राप्त किया) 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रोत्साहन पाने के लिये पात्र नहीं थे । दूसरी तरफ 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान 2.97 लाख रुपये का प्रोत्साहन 14 भण्डार गृहों के स्टॉफ को बांटा गया जहां सम्बन्धित वर्षो में 60 प्रतिशत से भी कम क्षमता उपयोजन था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से दर्शित हुआ कि मात्रा में वृद्धि के मामले पूर्णतः भाग्य पर आधारित थे। उदाहरण के लिये कोलायत तथा खाजूवाला में 1992-93 के पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान औसत क्षमता उपयोजन 22 तथा 47 प्रतिशत था। तथापि वर्ष 1992-93 के दौरान इस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर कार्य लिये जाने पर यह भण्डार गृह सीमेन्ट रखने के लिये काम में लिये गये जिससे इनका क्षमता उपयोजन बढ़कर क्रमशः 46 तथा 61 प्रतिशत हो गया। इन भण्डार गृहों के स्टाफ ने 1992-93 के दौरान कुल 1.61 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया जिनमें से दो व्यवस्थापकों का कुल हिस्सा 63,194 रुपये था। क्षेत्र में नहर कार्य पूर्ण होने के बाद 1994-95 के दौरान कोलायत और खाजूवाला में क्षमता उपयोजन घटकर क्रमशः 27 तथा 33 प्रतिशत रह गया। यह प्रकरण इस पर प्रकाश डालता है कि फील्ड स्टॉफ अपने भण्डार गृहों की क्षमता उपयोजन वृद्धि को भरपूर प्रभावित नहीं कर सकता है।

इस प्रकार इस प्रोत्साहन योजना में जिसमें 1992-93 से 1994-95 के दौरान 17.98 लाख रुपये का भुगतान समाहित था (1995-96 में भुगतान हेतु 7.50 लाख

रुपये का प्रावधान किया गया है), में ऊपर बताई गई विसंगतियों को दूर करने हेतु संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

रा.रा.भ.नि./सरकार ने बताया (जून तथा सितम्बर 1996) कि प्रोत्साहन योजना से भण्डारण आय में वृद्धि, बकाया की वसूली तथा अतिरिक्त स्टॉफ की मांग में कमी आदि हुई है।

प्रोत्साहन योजना लागू करने की आवश्यंकता की दृष्टि से सरकार का उत्तर स्वीकार्य है। तथापि, योजना के वर्तमान स्वरूप में बताई गई कमी को दूर करने की आवश्यकता है।

अध्याय-IV

विविध रूचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में

4ब. सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में

अध्याय-IV

विविध रूचिकर प्रकरण

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
4अ.	सरकारी कम्पनियाँ	159
4अ.1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	159
4अ.1.1	पावर फैक्टर अधिमार का भुगतान	159
4अ.1.2	'बक्खरों' के विनिर्माण पर व्यय	159
4अ.1.3	स्वयं चलने वाले फसलकरों का विनिर्माण	160
4अ.2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	161
4अ.2.1	अतिक्रमित भूमि का अधिग्रहण	161
4अ.2.2	रियायती दरों पर भूमि का आवंटन	162
4अ.2.3	पूर्व संशोधित दरों पर भूखण्ड आवंटन से हानि	163
4अ.2.4	निरस्त भू-खण्डों के पुरानी दरों पर पुनः स्थापन के कारण हानि	164
4अ.2.5	जलाशयों का अविचारित निर्माण	166
4अ.3	राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	167
4अ.3.1	उत्पन्न की संविदाओं में टालनीय अतिरिक्त व्यय	
4अ.4	राजस्थान राज्य पुल एवं निमार्ण निगम लिमिटेड	170
4अ.4.1	ऊर्जा प्रभारों का टालनीय भुगतान	170
4अ.4.2	रोडी एवं बजरी का अधिक क्रय	172
4ब.	सांविधिक निगम	174
4ब.1	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	174
4ब.1.1	निधियों का परिहार्य अवरोधन	174
4ब.1.2	वितरण ट्रांसफारमरों के क्रय में अतिरिक्त व्यय	176
4ब.1.3	चारनवाला लघु जल विद्युत परियोजना पर निष्क्रीय निवेश	178
4ब.2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	180
4ब.2.1	आगारों को बसों के आवंटन में विलम्ब	180
4ब.2.2	अधिक भुगतान	181
4ब.3	राजस्थान वित्त निगम	182
4ब.3.1	निधियों के प्रेषण में विलम्ब	

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रूचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियाँ

4अ.1 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

4अ.1.1 पावर फैक्टर अधिभार का टालनीय भुगतान

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.) द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति की दरों के अनुसार, दर अनुसूची एल.पी./एच.टी-1 (125 के. वी. ए. से अधिक संयोजित भार रखने वाले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू) के अंतर्गत विद्युत सम्बन्ध रखने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित पावर फैक्टर (बिलिंग माह मार्च 1994 से 0.85 से 0.90 तक बढ़ाया गया) संधारित करना आवश्यक था, अन्यथा, उन्हें निर्धारित दरों पर अधिभार का भुगतान करना पड़ता।

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (रा.रा.कृ.उ.नि.) की झोटवाड़ा स्थित कृषि उपकरण फैक्ट्री (कृ.उ.फै.) में नवम्बर 1977 से 175 के.वी.ए. का संयोजित भार था। कृ.उ.फै. द्वारा भुगतान किए गये विद्युत बिलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मई 1990 से 23 फरवरी 1996 के दौरान पावर फैक्टर 0.28 से 0.76 के मध्य रहा। परिणामस्वरूप इस अवधि में कृ.उ.फै. को पावर फैक्टर अधिभार के पेटे रा.रा.वि.मं. को 4.45 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण में ध्यानाकर्षित कराने पर सरकार ने बताया (अगस्त 1996) कि 24 फरवरी 1996 से संयोजित भार 100 के.वी.ए. तक घटा दिया गया है। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयोजित भार में कमी से पावर फैक्टर में सुधार नहीं होगा जिसके लिए पर्याप्त शंट कैपेसिटर्स आवश्यक है। अक्टूबर 1996 तक की अगली अवधि हेतु कृ.उ.फै. ने पावर अधिभार के रूप में 0.38 लाख रुपये का भुगतान किया।

4अ.1.2 'बक्खरों' के विनिर्माण पर निरर्थक व्यय

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (रा.रा.कृ.उ.नि.) को कृषि विभाग से खरीफ 1992-93 की आवश्यकता के लिए अजमेर, जयपुर और दौसा जिलों में स्थित विभिन्न केन्द्रों को आपूर्त करने हेतु 2825 बक्खरों (बुवाई हेतु भूमि तैयार करने

हेतु प्रयुक्त एक कृषि उपकरण) की मांग प्राप्त हुई (फरवरी से मई 1992)। बक्खरों की 15 मई 1992 तक आपूर्ति की जानी थी।

1991-92 तथा 1992-93 के दौरान, रा.रा.कृ.उ.नि. ने 2307 बक्खरों का विनिर्माण किया, परन्तु कृषि विभाग के मांगकर्ता कार्यालयों से कम मांग प्राप्त होने के कारण 1991-92 से 1994-95 के दौरान मात्र 1776 बक्खर ही आपूर्त किए। इन मांगकर्ता कार्यालयों ने 1991-92 से 1995-96 के वर्षो के दौरान 888 बक्खर, उनके अनुपयोगी/दोषपूर्ण होने के आधार पर वापिस कर दिए।

ध्यानाकर्षित कराये जाने पर (जनवरी 1996) रा.रा.कृ.उ.नि. ने बताया (मई 1996) कि बक्खरों के वापस लौटाये जाने का प्रमुख कारण यह था, कि कृषि विभाग के मांगकर्ता कार्यालयों ने अपनी आवश्यकता का अतिमूल्यांकन किया था। तथापि, सरकार ने बताया (जून 1996) कि खेत में उपयुक्त नही पाये जाने के कारण 'बक्खर' लौटाये गये थे।

इस प्रकार, 1993-96 के दौरान, तीन खरीफ मौसम गुजरने के बावजूद भी 11.98 लाख रुपये मूल्य के 1419 'बक्खर' रा.रा.कृ.उ.नि. के भण्डार में पड़े थे (जुलाई 1996)। इसके अतिरिक्त, 1.48 लाख रुपये मूल्य के 250 'बक्खर', 1992-93 से निर्माण प्रगति में पड़े थे (जुलाई 1996)। 13.46 लाख रुपये की अवरोधित राशि पर, रा.रा.कृ.उ.नि. को 1993-94 से 1995-96 के दौरान 7.27 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (18 प्रतिशत की दर से गणना की गई)।

4अ.1.3 स्वचालित फसल कटाई मशीन

राज्य सरकार के कृषि विभाग की पहल पर राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (रा.रा.कृ.उ.नि.) ने स्वचालित फसल कटाई मशीन (गेहूँ, धान आदि की कटाई हेतु प्रयुक्त कृषि उपकरण) का विनिर्माण प्रारम्भ किया।

1992-93 और 1993-94 के दौरान रा.रा.कृ.उ.नि. ने 47 फसल कटाई मशीनों (लागत: 14.02 लाख रुपये) का विनिर्माण किया तथा उन्हे कृषि विभाग के माध्यम से आगे विक्रय किये जाने हेतु उनकी क्षेत्रीय इकाइयों को प्रेषित किया। किसानों/कृषि विभाग द्वारा सभी 47 फसल कटाई मशीन इस आधार पर 1992-93 से 1995-96 के दौरान लौटा दी गई कि उनके धुरी, गियर बाक्स, हत्था इत्यादि बार-बार टूट जाते थे। इनमें से मात्र 4 फसल कटाई मशीन (लागत 1.63 लाख रुपये) मई 1995 में बेची जा सकी। इसके साथ-साथ, 43 फसल कटाई मशीन (लागत 12.39 लाख रुपये) तथा 4.22 लाख रुपये मूल्य के फसल कटाई मशीन पुर्जे रा.रा.कृ.उ.नि. के पास पड़े थे (मार्च 1996)।

लेखा परीक्षा जांच में दृष्टिगत हुआ कि हनुमानगढ़ एवं कोटा को आपूर्त की गई 15 फसल कटाई मशीनों में से 12, अप्रेल 1993 और जनवरी 1994 के दौरान उपरोक्त कारणों से किसानों द्वारा लौटा दी गई। तथापि, रूपरेखा/विनिर्माण प्रक्रिया सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गए तथा 26 और फसल कटाई मशीनों (11 इंजन रहित) का फरवरी/मार्च 1994 में विनिर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आपूर्त की गई फसल कटाई मशीनें पुनः नामंजूर हुई।

सरकार ने बताया (जून 1996) कि चूंकि 'स्वयं चलने वाली फसल कटाई मशीन' उत्पादन की नई मद थी, उनमें शुरू में कुछ दोष रह गए थे, जो कि बाद में दूर कर दिए गये थे। सरकार का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 47 में से 43 फसल कटाई मशीन बिना बिके पड़ी थीं (अक्टूबर 1996)। आगे, 1994-95 से इन फसल कटाई मशीन का उत्पादन बंद कर दिया गया।

4अ.2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

4अ.2.1 अतिक्रमित भूमि का अधिग्रहण

औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ के चरण-III के विकास के लिए राज्य सरकार ने लीज़ आधार पर 650 बीघा 2 बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की (दिसम्बर 1989)। 'रीको' द्वारा भूमि की लागत (32.50 लाख रुपये) जनवरी 1990 में अदा की गई। तथापि, 'रीको' 440 बीघा 13 बिस्वा भूमि का कब्जा 2 मार्च 1990 तथा 100 बीघा 6 बिस्वा का 5 मई 1990 को प्राप्त कर सका। शेष 109 बीघा 3 बिस्वा भूमि का कब्जा अभी भी प्राप्त किया जाना था (जून 1996)।

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) कि 109 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 31 बीघा तथा 5 बिस्वा भूमि का कब्जा निकट भविष्य में अपेक्षित था लेकिन शेष 77 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कब्जा संभव नही था क्योंकि यह आवासीय क्षेत्र, खेल का मैदान इत्यादि के रूप में उपयोग की जा रही थी। सरकार ने आगे बताया कि सिलोरा (किशनगढ़) के पास या अन्य उपर्युक्त स्थान पर भविष्य में वैकल्पिक भूमि आवंटित करने हेतु कलैक्टर, अजमेर सहमत हो गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भूमि की लागत का भुगतान करते समय (जनवरी 1990) 'रीको' को अतिक्रमण के बारे में जानकारी थी तथा उसे भूमि के जिस हिस्से का सीधा कब्जा संभव था सिर्फ उस तक ही तर्कपूर्ण ढंग से सीमित करना था।

समग्र भूमि की लागत का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 6 से अधिक वर्षो तक 5.38 लाख रुपये की निधियों का अवरोध हुआ तथा 109 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर अर्जित होने वाले राजस्व के साथ-साथ 3.87 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

4अ.2.2 रियायती दरों पर भूमि का आवंटन

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इसके कार्यालय आदेशों (21 नवम्बर 1988 तथा 7 अगस्त 1992) की शर्तो के अनुसार, विकास प्रभारों का चार गुणा या नीलामी लागत, जो भी अधिक हो, को वाणिज्यिक भू-खण्डों के संदर्भ में प्रभारित करना था।

अपने शाखा कार्यालय की स्थापना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) ने ओडेला औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर में 4000 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित करने हेतु आवेदन किया (15 फरवरी 1993)। निम्न को ध्यान में रखते हुए, प्रभारित की जाने वाली दरों के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रबंधक, 'रीको', भरतपुर ने मुख्यालय से स्पष्टीकरण चाहा:

(i) कि विद्यमान आधारभूत संरचना के प्रस्तावित सुदृढ़ीकरण को देखते हुए 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की वर्तमान दर संशोधित की जानी थी; तथा

(ii) ओडेला औद्योगिक क्षेत्र के निकटवर्ती वृद्धि केन्द्र (ग्रोथ सेन्टर), धौलपुर में विद्यमान दर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर थी।

उपरोक्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, भरतपुर ने सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, धौलपुर को भा.जी.बी.नि. को सम्मति देने का निर्देश किया (24 फरवरी 1993) कि प्रस्तावित भूमि की दर 400 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी। तथापि, मुख्यालय पर 'रीको' ने निम्न आधार पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की सामान्य दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय किया (मार्च 1993):

(अ) 'रीको', विकास प्रभारों की विद्यमान दरों पर सरकारी संगठनों को भूमि आवंटित करता रहा है; तथा

(ब) भा.जी.बी.नि. कार्यालय की स्थापना, 'रीको' औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को उपयोगी होगी।

तदनुसार, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत पर मार्च 1994 में एक 2916 वर्ग मीटर माप का एक भू-खण्ड भा.जी.बी.नि. को आवंटित किया गया। यह निर्णय, नवम्बर 1988 तथा अगस्त 1992 के कार्यालय आदेशों के विपरीत था क्योंकि यह सरकारी संगठनों हेतु दरों में कोई छूट नहीं देते थे। यह आधार कि, 'रीको'

औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भा.जी.बी.नि. कार्यालय, उद्योगों के लिए उपयोगी होगा, बिल्कुल भी स्वीकार्य नही है क्योंकि औद्योगिक श्रमिक, इत्यादि किसी भी भा.जी.बी.नि. कार्यालय से जीवन बीमा पालिसी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त, 2000 वर्गमीटर माप का एक भू-खण्ड, भा.जी.बी.नि. को वाणिज्यिक संगठन मानते हुए, इसका शाखा कार्यालय स्थापित करने हेतु, अम्बाजी औद्योगिक क्षेत्र, आबूरोड़ में विकास प्रभारों की प्रचलित दरों के चार गुणा पर पूर्व में आवंटित किया गया था (सितम्बर 1991)। वसूलनीय 200 रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर भू-खण्ड के त्रुटिपूर्ण आवंटन के परिणामस्वरूप 4.37 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) की चूंकि भा.जी.बी.नि. को भू-खण्ड आवंटन से उद्यमियों/औद्योगिक श्रमिकों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, भा.जी.बी.नि. को एक वाणिज्यिक संगठन समझना उपयुक्त नहीं होगा। जैसा ऊपर दर्शाया गया है, आबूरोड़ में भा.जी.बी.नि. को सामान्य दरों के चार गुणा पर भूमि के आवंटन किए जाने के कारण उत्तर स्वीकार्य नही है।

4अ.2.3 पूर्व-संशोधित दरों पर भू-खण्ड आवंटन से हानि

क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) भरतपुर द्वारा जारी दिनांक 2 अप्रेल 1993, के कार्यालय आदेश की शर्तों के अनुसार, संशोधन न होने तक, औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर में भू-खण्ड आवंटन हेतु विकास प्रभारों (50 रुपये प्रति वर्गमीटर) की प्रचलित दरें अनन्तिम होंगी। आदेश में निर्दिष्ट था कि भूमि आवेदन के प्रार्थना पत्रों के साथ एक वचन-पत्र लगाया जायेगा कि आवंटन की दरें, अन्तिम रूप से तय होने पर, सभी आवंटियो को बाध्य होगी।

नवम्बर 1994 में, सिका क्वालरेट प्राइवेट लिमिटेड (एस.क्यू.पी.एल.) ने औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर में 12000 वर्गमीटर माप के एक भूखण्ड हेतु, 25 प्रतिशत विकास प्रभारों (1.50 लाख रुपये) सहित परन्तु आवश्यक वचन-पत्र के बिना, मुख्यालय 'रीको' को आवेदन किया। यह आवेदन जब प्रक्रिया में था, औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्रभारों की दरें 3 दिसम्बर 1994 से संशोधित होकर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई। तदनुसार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, भरतपुर ने फरवरी 1995 में, दरों में संशोधन होने के कारण 25 प्रतिशत विकास प्रभारों के अंतर हेतु 60,000 रुपये जमा कराने हेतु एस.क्यू.पी.एल. से कहा। एस.क्यू.पी.एल. ने उक्त राशि क्षेत्रीय प्रबन्धक, भरतपुर को 13 फरवरी 1995 को जमा करा दी लेकिन मुख्यालय से संशोधित दर प्रभारित नही करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने दरों में संशोधन होने से पहले ही 25 प्रतिशत अग्रिम जमा करा दिया था। इसके पश्चात्, मुख्यालय, 'रीको' द्वारा 50

रुपये प्रतिवर्ग मीटर की पूर्व संशोधित दर पर एक भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया (मार्च 1995)।

लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि एस.क्यू.पी.एल. को भूमि आवंटन के आवेदन पर आवंटन प्रक्रिया में, यह तथ्य कि 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर अनन्तिम थी तथा वाँछित वचन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, पर विचार नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप 2.40 लाख रुपये राशि के विकास प्रभारों का न्यून प्रभारण हुआ।

ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1996) सरकार ने बताया (जून 1996) कि चूंकि एस.क्यू.पी.एल. ने प्रभारों के संशोधन से पूर्व आवंटन हेतु आवेदन किया था तथा प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत विकास प्रभार भी जमा करा दिये थे, भू-खण्ड का आवंटन पूर्व संशोधित दरों पर कर दिया गया।

यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की अनन्तिम दर, अप्रेल 1993 से संशोधन हेतु विलम्बित थी, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

4अ.2.4 निरस्त भू-खण्ड के पुरानी दरों पर पुनःस्थापन के कारण हानि

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) भूमि निस्तारण नियम, 1979 की शर्तो के अनुसार, भूमि आवंटन के आवेदन के साथ आवेदित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विकास प्रभार लगाये जाने थे तथा शेष 75 प्रतिशत राशि आवंटन आदेश जारी होने के 90 दिनों में देय थी। 'रीको' द्वारा सितम्बर तथा नवम्बर 1991 में जारी स्थायी आदेश सं. 1 एवं 2, जहां भुगतान करने से पहले ही विकास प्रभार संशोधित हो जाते है, उन स्थितियों में शेष भुगतान को विनियमित करते हैं। ये स्थायी आदेश अन्यों के अतिरिक्त निम्नलखित निर्दिष्ट करते हैं:

(i) 75 प्रतिशत विकास प्रभारों के भुगतान में, उन क्षेत्रों में जहां इन्हे पहले ही संशोधित कर दिया गया है, कोई समय वृद्धि नही स्वीकृत की जायेगी।

(ii) निर्धारित अवधि में शेष विकास प्रभारों के जमा नहीं कराये जाने की दशा में, आवंटन को शीघ्र निरस्त करना होगा।

(iii) जहाँ क्षेत्र को 'विकसित' घोषित किया जा चुका है, निरस्त भू-खण्डों का पुनःस्थापन संशोधित दरों के आधार पर किया जायेगा।

(iv) जहॉं क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तथा आवंटी शेष विकास प्रभारों के भुगतान में असफल रहता है वहां क्षेत्र के विकसित होने तक 19 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित होगा और उसके पश्चात् संशोधित दर वसूल की जायेगी।

अनुसिका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर (ए.आई.एल.) ने औद्योगिक क्षेत्र, बिन्दायका, जयपुर में भू-खण्ड आवंटन हेतु आवेदन के साथ 25 प्रतिशत विकास प्रभारों का भुगतान किया। ए.आई.एल. को जुलाई 1994 में एक भू-खण्ड आवंटित किया गया तथा शेष 75 प्रतिशत विकास प्रभार 125 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से आवंटन पत्र जारी होने यथा 19 अक्टूबर 1994 से 90 दिन के अन्दर भुगतान किए जाने थे।

ए.आई.एल. ने अन्य 25 प्रतिशत विकास प्रभारों को अगस्त 1994 में जमा करा दिया तथा निवेदन किया कि (अ) भूखण्ड का कब्जा दे दिया जाए; और (ब) शेष 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु 31 जनवरी 1995 तक समय वृद्धि दी जाए। रीको ने ए.आई.एल. को भुगतान में वृद्धि स्वीकृत की तथा सामान्य प्रावधानों में छूट देते हुए 19,062 वर्गमीटर माप के भू-खण्ड का कब्जा अगस्त 1994 में सौंप दिया गया।

31 जनवरी 1995 तक विकास प्रभारों के शेष भुगतान को जमा कराने में असफल रहने पर भी ए.आई.एल. को 31 मार्च 1995 तक की और समय वृद्धि स्वीकृत की गई। 22 अप्रेल 1995 से औद्योगिक क्षेत्र, बिन्दायका के संदर्भ में विकास प्रभारों की दर 125 रुपये से 250 रुपये प्रतिवर्गमीटर संशोधित कर दी गई। चूंकि आवंटी ने शेष राशि का भुगतान नही किया था, भू-खण्ड का आवंटन 2 जून 1995 को निरस्त कर दिया गया।

उसके पश्चात् आवंटी ने शेष राशि के भुगतान हेतु 30 सितम्बर 1995 तक समय वृद्धि हेतु प्रार्थना की। इस प्रार्थना की प्रक्रिया में, रीको सितम्बर/नवम्बर 1991 के स्थायी आदेशों पर ध्यान करने में असफल रहा और प्रबन्ध निदेशक द्वारा विलम्ब की अवधि हेतु 19 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, 125 रुपये प्रति वर्गमीटर की मूल दर पर निरस्त भू-खण्ड का पुनःस्थापन अनुमत्य कर दिया गया (जुलाई 1995)। चूंकि बिन्दायका को 22 अप्रेल 1994 से विकसित घोषित कर दिया गया था, पुरानी दर पर पुनस्थापन गलत था।

19 अक्टूबर 1994 से 30 सितम्बर 1995 की अवधि के लिए 1.97 लाख रुपये के ब्याज के साथ ए.आई.एल. ने पूर्व संशोधित दरों पर शेष राशि सितम्बर 1995 में जमा करा दी। इस प्रकार निरस्त भू-खण्ड के पुन:स्थापन के परिणामस्वरूप, रीको ने 21.86 लाख रुपये के राजस्व को छोड दिया (125 रुपयेx19062 वर्गमीटर (-) 1,96,995 रुपये)।

पूर्व संशोधित दरों पर निरस्त भू-खण्ड के पुन:स्थापन के परिणाम-स्वरूप रीको ने 21.86 लाख रुपये के राजस्व को छोड़ दिया।

सरकार ने बताया (जुलाई 1996) कि उपरोक्त नियमों के अंतर्गत प्रबन्ध निदेशक, उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, निरस्त भूखण्ड को पुरानी दरों पर पुन:स्थापन करने हेतु सक्षम था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त नियम प्रबन्ध निदेशक को निरस्त भू-खण्ड को मात्र पुन:स्थापना की अनुमति देते थे लेकिन यह पुन:स्थापन स्थायी आदेशों द्वारा शासित किया जाना था।

4अ.2.5 जलाशयों का समय पूर्व निर्माण

औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ के चरण-III के विकास हेतु अनुमोदित अनुमानों (नवम्बर 1990) में, 5 लाख लीटर प्रतिदिन की एक जल आपूर्ति प्रणाली की संस्थापना का प्रावधान सम्मिलित था। तकनीकी स्वीकृति (जून-1991) जारी करते समय, 'रीको' की अभियांत्रिकी शाखा ने ध्यान दिलाया कि क्षेत्र के पहाड़ी भू-भाग होने के कारण, जिससे भू-जल की अल्प उपलब्धता दर्शित होती थी, क्षेत्रीय प्रबन्धक अजमेर द्वारा जल की वांछित मात्रा का प्रवाह सुनिश्चित होने तक, भू-तल जलाशय (जी.एल.आर.) तथा स्वच्छ जलाशय (सी.डब्ल्यू.आर.) का निर्माण नहीं किया जाए।

दिसम्बर 1991 तथा जनवरी 1992 के दौरान, 1.22 लाख रुपये लागत पर 4 नल-कूप खोदे गए, जिससे 2.40 लाख लीटर प्रतिदिन का कुल प्रवाह अपेक्षित था। कमी को देखते हुए, रीको ने बीसलपुर जल आपूर्ति परियोजना (बी.डब्लू.एस.पी.) से औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति का पर्याप्त प्रावधान करने का निवेदन किया (जुलाई 1992)।

इसी मध्य, औद्योगिक भू-खण्डों के आवंटी, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने नलकूप खोदने की अनुमति देने हेतु 'रीको' के पास पहुँचे थे तथा 'रीको' ने मार्च 1991 के बाद से ऐसी स्वीकृति दी थी।

अक्टूबर 1992 में, 'रीको' ने जी.एल.आर. तथा सी.डब्लू.आर. के निर्माण हेतु संविदा प्रदान की जो कि 7.96 लाख रुपये की कुल लागत पर मई 1993 में पूर्ण हुई। पम्पों, पाइपों, इत्यादि के क्रय हेतु कोई संविदा अभी तक प्रदान नहीं की गई थी (अक्टूबर 1996)। इस प्रकार, दोनों जलाशय मई 1993 से ही अप्रयुक्त पड़े थे। जलाशय निर्मित कराने का निर्णय अपरिपक्व था क्योंकि:

(अ) बी.डब्लू.एस.पी. से जल अगले 3-4 वर्षों तक अपेक्षित नहीं था

(ब) आवंटी इकाइयों को अपने नलकूप खोदने की स्वीकृतियां दी गई/दी जा रही थी (सितम्बर 1996 तक 80 आवंटियों को अनुमति दी गई), तथा

(स) बी.डब्लू.एस.पी. से जल प्राप्त होने तक जलापूर्ति की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था।

ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1996) सरकार ने बताया कि दोनों जलाशय, एक बार बी.डब्लू.एस.पी. से आपूर्ति चालू होने पर उपयोग में लिए जायेंगे।

यह उत्तर, बी.डब्लू.एस.पी. की प्रतिक्रिया कि जी.एल.आर. तथा सी.डब्लू.आर. के उपयोग की संभाव्यता उनके तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर निर्भर करती है के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। इनके निर्माण में निधियों के अवरुद्ध होने से कम से कम 3½ वर्ष (मई 1993 से नवम्बर 1996) तक 5.01 लाख रुपये के ब्याज (18 प्रतिशत की दर से परिकलित) की हानि हुई।

4अ.3 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

4अ.3.1 उत्खनन की संविदाओं में टालनीय अतिरिक्त व्यय

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि.) ने सानु लाइम स्टोन खदान से लाइमस्टोन अयस्क (आर.ओ.एम.) (मिट्टी/बेकार पदार्थ, मुर्रम सहित) उत्खनन एवं क्रशिंग संयत्र तक परिवहन की संविदा 5 वर्षों की अवधि के लिए अंकुर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (6.25 लाख घनमीटर प्रतिवर्ष) तथा जी.एस.अटवाल एण्ड कम्पनी (इंजीनियर्स) प्राइवेट लिमिटेड (3.75 लाख घनमीटर प्रतिवर्ष) को (सितम्बर 1992) प्रदान की। ठेकेदारों के साथ निष्पादित किए गये (सितम्बर 1992) करारों के अनुसार, 1.5 किलोमीटर तक उत्खनन् (स्वस्थान माप) तथा परिवहन के

लिए देय समेकित दरें 1.5 कि.मी. तक 38.50 रुपये प्रति घनमीटर और 1.5 कि.मी. से 2 कि.मी. की दूरी के लिए 42.00 रुपये प्रति घनमीटर थी।

संविदा चालू होने के 1½ वर्ष से अधिक के पश्चात्, अप्रैल 1994 में, अंकुर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (ए.एम.पी.एल.) ने अभिवेदन किया की चूंकि उन्हे कार्य के निष्पादन में हानि हो रही थी अतः खड्डों के माप (घन मीटर में) के स्थान पर, पिसाई के पश्चात् प्राप्त तैयार उत्पाद जैसे गिट्टी के भार के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाये। इस अभिवेदन के पश्चात्, परियोजना प्रबंधक (संविदा) ने सम्मति दी (19 अप्रेल 1994) की खड्डों की माप एक सर्वमान्य विधि थी तथा इसे रा.रा.ख.वि.नि. के लिए समाप्त करना सम्मत नही था। तथापि, मुख्य खनन अभियन्ता, रा.रा.ख.वि.नि. ने प्रस्तावित किया (30 अप्रेल 1994) कि चूंकि स्वस्थान (इन सीटू) उत्खनन (घन मीटरों में) के आयतन को लेकर ठेकेदारो से अक्सर विवाद होता रहता था अतः उत्पादित गिट्टी के भार के आधार पर भुगतान कर दिया जाये तथा इसके लिए एक रूपान्तरण गुणक की गणना कर ली जाये। यह परिवर्तन, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (सी.एम.डी.) द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया (2 मई 1994)।

परियोजना निदेशक (लाइमस्टोन), जिन्हे उपयुक्त रूपान्तरण गुणक सुझाने हेतु कहा गया था, ने मुख्य खनन अभियन्ता को अपने दिनांक 23 सितम्बर 1994 (जयपुर में स्थित शिविर के दौरान लिखा) के पत्र में निम्न तीन वैकल्पिक रूपान्तरण गुणक प्रस्तुत किए:

आधार		रूपान्तरण गुणक* (मी.टन/घन मी.में)
(1)	गत परिणाम	0.81
(2)	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आइ.एल.) प्रतिवेदन	0.765
(3)	क्षेत्र परीक्षण	0.752

उसी दिन, मुख्य खनन अभियन्ता द्वारा प्रकरण सी.एम.डी. को यह बताते हुए प्रस्तुत किया गया कि खनन की गई पर्त तथा स्थिति के कारण, विभिन्न आधार पर

* एक निम्न रूपान्तरण गुणक दर्शाता है कि एक मी.टन गिट्टी के लिए अयस्क (आर.ओ.एम.) का माना गया उत्खनन उच्च था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

औसत रूपान्तरण गुणक 0.752 से 0.81 के मध्य रहा। सी.एम.डी. ने 24 सितम्बर 1994 को 0.76 का एक रूपान्तरण गुणक अनुमोदित किया।

ए.एम.पी.एल. द्वारा 16 अक्टूबर 1994 तथा जी.एस.अटवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 26 अक्टूबर 1994 तक निष्पादित की गई मात्रा के लिए भुगतान मूल संविदा के अनुसार किया गया। अंकुर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (1 नवम्बर 1994 को) तथा जी.एस. अटवाल एण्ड कम्पनी (इंजीनियर्स) प्राइवेट लिमिटेड (1 फरवरी 1995 को) के साथ नवीनीकरण करार किए गए तथा उसके पश्चात् परिष्कृत उत्पाद के उत्पादन (टनों में) के आधार पर भुगतान किए गए।

इस संबन्ध में निम्न अभ्युक्तियां दी गईः

(i) माप की प्रक्रिया सरल थी तथा संविदा में स्पष्टरूप में परिभाषित की गई थी। सभी सतहें, थियोडोलाइट/सतह उपकरणों से नापी गई थी तथा खान प्रबन्धक, खनन अभियन्ता तथा सर्वेक्षक को सम्मिलित कर गठित समिति द्वारा माप लेते समय ठेकेदार का एक प्रतिनिधि सदैव साथ रहता था। माप में विवाद के मामलों में ठेकेदार अपना सर्वेक्षक नियुक्त कर सकता था। परियोजना प्रबन्धक (लाइम स्टोन) द्वारा माप की प्रक्रिया में परिवर्तन के विरुद्ध अपनी राय देते समय प्रबन्धक को लिखे पत्र (मई 1994) में इस पक्ष पर, जोर दिया गया था।

(ii) संविदा की अवधि के दौरान कार्य की माप प्रक्रिया में परिवर्तन (निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्रदान किए गए) संस्थापित वाणिज्यिक व्यवहार के विरुद्ध था तथा निविदा की पवित्रता की अनदेखी करता था।

(iii) जबकि माप प्रक्रिया में परिवर्तन ए.एम.पी.एल. द्वारा मांगा गया था, यही परिवर्तन दूसरे ठेकेदार यथा जी.एस.अटवाल एण्ड कम्पनी (इंजीनियर्स) प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत कर दिया गया, जिसने कि इस परिवर्तन हेतु प्रार्थना भी नहीं की थी।

(iv) एक उत्खनन संविदा में भुगतान को अयस्क (आर.ओ.एम.) के उत्खनन के आयतन से तर्कपूर्णरूप से संबंधित किया जाना चाहिये। भुगतान को परिष्कृत उत्पाद से संबंधित करना तर्कहीन था क्योंकि यह उत्खनित पर्त के संगठन, अधिभार की सीमा इत्यादि पर निर्भर करता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि सानु माइन्स में

अयस्क (आर.ओ.एम.) के प्रति घन मीटर में गिट्टी का उत्पादन (मी.टन में) 1992-93 और 1993-94 के दौरान 0.66 और 1.05 के मध्य रहा।

(v) विभिन्न आधारों पर निकाले गए रूपान्तरण गुणकों में भिन्नता देखते हुए, यह गत औसत (1992-94) के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से निर्भर होना था क्योंकि इस प्रकार निकाला गया रूपान्तरण गुणक, उत्खनित पर्तो में भी समान अन्तर रखता। भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के अवगुणों के अलावा, औसत रूपान्तरण गुणक 0.81 मीट्रिक टन/घन मीटर होना चाहिये था।

इस प्रकार, 0.81 के स्थान पर 0.76 का रूपान्तरण गुणक के आधार पर भुगतान करने के कारण, अक्टूबर 1994 से सितम्बर 1995 तक की अवधि के दौरान रा.रा.ख.वि.नि. को 13.44 लाख रुपये का टालनीय अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा संविदा अवधि के दौरान करते रहना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाए जाने (दिसम्बर 1995) पर रा.रा.ख.वि.नि. ने बताया कि किए गये कार्य की माप प्रक्रिया में परिवर्तन के प्रकरण की जांच हेतु एक समिति गठित की गई (नवम्बर 1995) तथा समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन प्रबन्धन के विचाराधीन था। इसका अंतिम निष्कर्ष प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

प्रकरण सरकार को मार्च 1996 में प्रतिवेदित किया गया; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 1996)।

4 अ.4 राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड

4 अ.4.1 ऊर्जा प्रभारों का टालनीय भुगतान

राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.सी.) ने उसके जयपुर में नव-निर्मित हॉट-मिक्स संयंत्र हेतु हाइ टेंशन टैरिफ (एच.टी.टी.-I) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं) से नया विद्युत संबंध प्राप्त किया (फरवरी 1989)। निष्पादित किये गये करार (फरवरी 1989) के अनुसार, 106.25 के.डब्ल्यू. यथा 142.426 एच. पी. (1 एच. पी. = 0.746 के. डब्ल्यू.) स्वीकृत भार सहित संविदा मांग 130 के.वी.ए. थी। करार प्रथमतः तीन वर्षो हेतु वैध था, तथा उसके पश्चात् वार्षिक नवीनीकरण योग्य था; करार प्रारंभ होने के प्रथमतः 2½ नर्षो बाद किसी भी पार्टी द्वारा 6 माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता

था। उपरोक्त दर के अनुसार, 110 इकाई प्रति के.वी.ए. प्रति माह यथा 14300 इकाई के समकक्ष न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह देय थे।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि संविदित मांग के समक्ष जुलाई 1990 के पश्चात् विद्युत उपभोग में बहुत कमी थी। अगस्त 1990 से अगस्त 1991 के दौरान, एक माह में अधिकृत अभिलिखित मांग 66 के.वी.ए. और 86 के.वी.ए. (औसतः 82 के.वी.ए.) के मध्य थी तथा ऊर्जा उपभोग 2898 और 7704 इकाइयों (औसत 5883 इकाइयां) के मध्य था। चूंकि अगस्त 1990 से आर.एस.बी.सी.सी. उनके वास्तविक उपभोग से अत्यधिक न्यूनतम ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करती रही है, 2½ वर्षों की अवधि (अगस्त 1991) की समाप्ति के तुरंत पश्चात् उसे संविदित मांग घटाने हेतु 6 माह का नोटिस देना चाहिए था, तथा मध्यम औद्योगिक सेवा (एम.आई.एस.) विद्युत संबंध चाहा होता। इसने आर.एस.बी.सी.सी. को मात्र 40 इकाई प्रति एच.पी.(43.82 इकाई प्रति के.वी.ए.) यथा 5478 इकाई प्रति माह के न्यूनतम प्रभार सहित 125 के.वी.ए. तक का विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने में समर्थ किया होता। तथापि, उसके पश्चात् भी आर.एस.बी.सी.सी. ने संविदित मांग में कमी करने का विचार, इस तथ्य के बावजूद नहीं किया कि अप्रेल 1992 से मार्च 1996 के दौरान उनकी अधिकतम अभिलिखित मांग 52 तथा 81 के.वी.ए. (औसतः 68 के.वी.ए.) के मध्य तथा ऊर्जा उपभोग 2045 और 11,376 इकाइयों (औसत:6751 इकाइयों) के मध्य रहा। एम.आई.एस. के अंतर्गत अधिकतम अनुमत्य मांग (125 के.वी.ए. तक) नही चाहने के परिणामस्वरूप, आर.एस.बी.सी.सी. को ऊर्जा प्रभारों के समक्ष 5.88 लाख रुपये टालनीय अतिरिक्त व्यय के रूप में खर्च करने पड़े।

सरकार ने बताया (अगस्त 1996) कि हॉट-मिक्स संयंत्र को चलाने हेतु सभी आवश्यक उपकरणों का समेकित/संयोजित भार 119 के.वी.ए. था तथा परिसर प्रकाश व्यवस्था हेतु अन्य 12 के.वी.ए. आवश्यक था, विद्युत संबंध एच.टी.टी.-I के अंतर्गत प्राप्त किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगस्त 1990 से मार्च 1996 के दौरान अधिकतम अभिलिखित मांग कभी भी 86 के.वी.ए. से अधिक नहीं हुई थी। यह सरकार के तर्क, कि सभी उपकरणों (जिनका कुल संयोजित भार 119 के.वी.ए. होता) का साथ-साथ चलना आवश्यक था, के विपरीत है। इसके अलावा भी परिसर प्रकाश व्यवस्था हेतु एक पृथक विद्युत सम्बन्ध ने संयोजित भार को, एम.आई.एस. कनेक्शन की सीमा के स्तर तक कम कर दिया होता।

4अ.4.2 रोड़ी एवं बजरी का अधिक क्रय

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.म.) द्वारा इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर पुगल जल-विद्युत योजना हेतु एक पावर हाउस के भवन निर्माण का कार्य राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.सी.) को अप्रैल 1991 में प्रदान किया गया। रा.रा.वि.मं. द्वारा प्रस्तुत परिमाण बिल (बी.ओ.क्यू.) के अनुसार, आर.एस.बी.सी.सी. द्वारा इस कार्य हेतु रोड़ी एवं बजरी की क्रमशः 4382.50 घनमीटर तथा 2250.50 घन मीटर आवश्यकता अनुमानित की गई। निर्माण, रा.रा.वि.मं. से आवश्यक आरेख प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाना था जिसमें निर्माण सामग्री की एक निश्चित आवश्यकता दर्शाई जानी थी।

आर.एस.बी.सी.सी. के संबंधित निवासी अभियन्ता ने सुझाव दिया (अगस्त 1991) कि रोड़ी तथा बजरी की कुल आवश्यकता का जो 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, को एक बार में भण्डारित किया जा सकेगा। फिर भी, कुल अनुमानित आवश्यकता दर्शाते हुए 4363.50 घन मीटर रोड़ी तथा 2260.20 घन मीटर बजरी अगस्त 1991 और अप्रेल 1992 के मध्य क्रय की गई। तथापि, मई 1992 में सिविल संरचना के आवश्यक आरेख प्राप्त होने के पश्चात्, यह स्पष्ट हो गया कि रोड़ी एवं बजरी का उपभोग कम होगा। परिणामस्वरूप, कार्य पूर्ण होने पर (जून 1995) 981.91 घन मीटर रोड़ी (लागतः 430 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 4.22 लाख रुपये) तथा 393.69 घन मीटर बजरी (लागतः 260 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 1.02 लाख रुपये) अतिरिक्त बच गई थी।

अतिरिक्त रोड़ी के उपयोग हेतु आर.एस.बी.सी.सी. ने इसे सूरतगढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय किया जहां इसने, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.) से लागत जोड़ आधार पर एक ठेका प्राप्त किया था। जनवरी से अगस्त 1996 के दौरान, आर.एस.बी.सी.सी के टिपर्स/व्यक्तिगत पार्टियों से ट्रक किराये पर लेकर, 2.87 लाख रुपये की कुल लागत पर 930.15 घन मीटर (981.91 घन मीटर में से) रोड़ी का परिवहन किया गया। इस प्रकार, सूरतगढ़ मे रोड़ी सुपुर्द करने की कुल लागत 6.87 लाख रुपये थी, जिसके समक्ष सूरतगढ़ में कार्य हेतु अनुमोदित दर पर रोडी की लागत मात्र 4.75 लाख रुपये (511 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 930.15 घन मीटर) थी। तदनुसार 930.15 घन मीटर रोड़ी पर सकल हानि 2.12 लाख रुपये आई।

393.69 घन मीटर अतिरिक्त बची बजरी में से, 88.20 घन मीटर का सूरतगढ़ में अगस्त 1996 में परिवहन कर दिया गया। निवासी अभियन्ता,

आर.एस.बी.सी.सी., सूरतगढ़ के अनुसार (सितम्बर 1996) प्राप्त बजरी असंतोषजनक गुणवत्ता की थी क्योंकि समय गुजरने के साथ यह रेत में मिल गई थी। अत: उसने निर्णय लिया (सितम्बर 1996) कि पूगल से अब आगे और कोई मात्रा परिवहन नहीं की जायेगी।

अधिक बजरी (305.49 घन मीटर) पूगल में ही अप्रयुक्त पडी रही (सितम्बर 1996)। अगस्त 1996 में इसकी नीलामी के प्रयत्न फलदायी नहीं रहे क्योंकि इसके लिए मात्र 18 रुपये प्रति घन मीटर की उच्चतम बोली ही प्रकाश में आई। इस प्रकार, 0.74 लाख रुपये की हानि दर्शाते हुए इसकी कीमत 0.79 लाख रुपये से गिरकर 0.05 लाख रुपये रह गई।

रोड़ी (मई 1992 से दिसम्बर 1995 की अवधि के लिए 4.22 लाख रुपये) तथा बजरी (मई 1992 से जुलाई 1996 की अवधि के लिए 1.02 लाख रुपये) की अधिक मात्रा के कारण निधियों के अवरोध के फलस्वरूप कुल 3.51 लाख रुपये के ब्याज (18 प्रतिशत की दर से परिकलित) की हानि हुई।

इस प्रकार रोड़ी तथा बजरी की आवश्यकता से अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप 6.37 लाख रुपये की कुल हानि हुई।

प्रकरण सरकार/आर.एस.बी.सी.सी. को मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया। जबकि सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1996), आर.एस.बी.सी.सी. ने बताया (अगस्त 1996) कि अतिरिक्त रोड़ी सूरतगढ़ को स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा चूंकि इसकी कुल लागत (पूगल से परिवहन सहित) कार्य को बुक होगी, आर.एस.बी.सी.सी. को कोई हानि नहीं होगी। आगे, आर.एस.बी.सी.सी. ने बताया कि शेष बजरी अन्य निर्माण-कार्यो पर उपयोग में ले ली जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, रा.रा.वि.मं. ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर 1996) कि सामग्री का भुगतान, प्रचलित निविदा/आपूर्ति दरों की सीमा तक सीमित किया जायेगा। इसकी गुणवत्ता में गिरावट देखते हुए, शेष बजरी का उपयोग असंभव प्रतीत होता है जैसा कि सितम्बर 1996 में तथा आर.एस.बी.सी.सी. के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात् प्रतिवेदित किया गया।

4ब. सांविधिक निगम

4ब.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

4ब.1.1 निधियों का टालनीय अवरोधन

220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन (जी.एस.एस.) निर्मित कराने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.) द्वारा ग्राम क्यारदा खुर्द (तहसील: हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर) में भूमि अधिग्रहण की प्रार्थना (अप्रैल 1993) पर राज्य सरकार ने 6.60 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की एक अधिसूचना जारी की (सितम्बर 1993) तथा उप-खण्डीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), हिन्डौन को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ) के रूप में नियुक्त किया।

दिसम्बर 1993 में, 5.607 हैक्टेयर भूमि (शेष भूमि की अनुमानित लागत बाद में सूचित की जानी थी) की अनुमानित लागत, एल.ए.ओ द्वारा 1.05 करोड़ रुपये निर्धारित की गई तथा रा.रा.वि.मं. को इस राशि का 80 प्रतिशत जमा करने को कहा गया। भूमि की लागत का मद वार विवरण निम्नानुसार था:

भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्र का प्रतिशत	दर	राशि (रुपये लाखों में)	कुल लागत का प्रतिशत
वाणिज्यिक	591 वर्गगज	11.0	1000 रुपये प्रति वर्गगज	5.91	66.9
वाणिज्यिक	6780 वर्गगज		950 रुपये प्रति वर्गगज	64.41	
आवासीय (अविकसित)	445 वर्गगज	0.7	350 रुपये प्रतिवर्गगज	1.56	1.5
कृषि	59257 वर्गगज (4.83 हैक्टेयर)	88.3	56 रुपये प्रति वर्गगज (1.7 लाख रुपये/बीघा)	33.18	31.6
योग :	**67073 वर्गगज (5.607 हैक्टेयर)**	**100.00**		**105.06**	**100.00**

इस प्रकार, यद्यपि क्षेत्र का मात्र 11 प्रतिशत ही वाणिज्यिक था, लागत तत्व 66.9 प्रतिशत था। इसलिए, रा.रा.वि.मं. को अपनी आवश्यकता की समीक्षा तथा जी.एस.एस. के संरेखण की पुन:अभिकल्पन की संभावना की खोज करनी चाहिए थी जिससे की वाणिज्यिक भूमि के अधिग्रहण को टाला जा सके। इसके बजाए, रा.रा.वि.मं. ने मांग लगभग 80 प्रतिशत के समकक्ष 83.87 लाख रुपये का

मार्च 1994 में एल.ए.ओ को भुगतान कर दिया जिसे पश्चवर्ती ने अधिगृहीत की गई भूमि के संबंधित स्वामियों को अप्रैल 1994 तक वितरित कर दिया।

अत्यधिक दरों पर भूमि के अधिग्रहण की अप्रैल 1994 के दौरान स्थानीय प्रेस द्वारा तीव्र आलोचना की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में, रा.रा.वि.मं. ने भूमि की अपनी आवश्यकता की पुन: समीक्षा की तथा इसे मात्र 3.64 हैक्टेयर तक घटा दिया (अगस्त 1994), जिससे लगभग सारा वाणिज्यिक क्षेत्र अलग निकल गया। तदनुसार, एल.ए.ओ. ने घटे हुए क्षेत्र के लिए 35.03 लाख रुपये का अवार्ड जारी किया (अक्टूबर 1995)। अवाप्त भूमि के समक्ष, आगे खातेदारों, इत्यादि को भुगतान करने के लिए रा.रा.वि.मं. ने शेष बकाया का भुगतान एल.ए.ओ. को जनवरी 1996 में किया। अवाप्त नहीं की गई भूमि के संबंध में, रा.रा.वि.मं. को 60.53 लाख रुपये (83.37 लाख रुपये के अग्रिम में से) वसूल करने थे, जो कि खातेदारों को अप्रैल 1994 तक वितरित किए गए थे। तद्नुसार, रा.रा.वि.मं. ने उनसे वापस लौटाने के लिए एल.ए.ओ. से निवेदन किया (नवम्बर 1995)। एल.ए.ओ. द्वारा संबंधित खातेदारों इत्यादि को आवश्यक नोटिस, विलम्ब से अप्रैल 1996 में जारी किए गए।

अग्रिम भुगतान करते समय ग्रिड सब-स्टेशन के लिए भूमि की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 21.79 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

यदि रा.रा.वि.मं. ने अग्रिम भुगतान करते समय जी.एस.एस. हेतु भूमि की वास्तविक आवश्यकता का सही निर्धारण किया होता तो, 60.53 लाख रुपये की सीमा तक निधियों के अवरोधन एवं अप्रैल 1994 से मार्च 1996 के दो वर्षों की अवधि के लिए 21.79 लाख रुपये (18 प्रतिशत की दर से परिकलित) की परिणामी हानि से बचा जा सकता था। ब्याज की यह हानि रा.रा.वि.मं. द्वारा, उक्त राशि के संबंधित खातेदारों इत्यादि से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली नहीं होने तक, वहन की जाती रहेगी।

मामला सरकार/रा.रा.वि.मं. को अप्रैल 1996 में प्रतिवेदित किया गया। सरकार से उत्तर अभी प्रतीक्षित था जबकि रा.रा.वि.मं. ने बताया (नवम्बर 1996) कि कुछ खातेदार जिनसे 48.16 लाख रुपये वसूली योग्य है ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। रा.रा.वि.मं. ने आगे जोड़ा कि शेष राशि (12.37 लाख रुपये) की वसूली प्रगती में थी।

4ब.1.2 वितरण ट्रांसफार्मरों के क्रय में अतिरिक्त व्यय

63 के.वी.ए. ट्रांसफार्मरों के क्रय हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.मं.) ने एक निविदा विज्ञप्ति (टी.एन.) 1456 जारी की (अप्रैल 1991) जिसमें निविदा प्राप्त होने तथा खुलने की तिथि 20 जून 1991 थी। इसी मध्य, भीषण कमी के कारण रा.रा.वि.मं. ने सफल आपूर्तिकर्ताओं के गत टी.एन. 1416 के समक्ष अतिरिक्त आदेश देने का निर्णय लिया (मई 1991) यदि ट्रांसफार्मर 21 जून 1991 तक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिए जाते। इलेक्ट्रा (जयपुर) लिमिटेड (ई.जे.एल.), जिसे 22,127 रुपये की एक्स-वर्क्स (आबकारी कर सहित तथा बिक्री कर रहित) इकाई दर पर 130 ट्रांसफार्मरों (63 के.वी.ए.) के लिए आदेश दिया गया था (1 जून 1991), ने रा.रा.वि.म. को सूचित किया (12 जून 1991) कि उनके पास ट्रांसफार्मर भण्डार में है लेकिन टी. एन. 1416 में दर्शित दो मानकों यथा 8 के समक्ष 4 टाई रॉड* तथा निर्दिष्ट एक वृत्त के लिये 6 निर्दिष्ट डोव टेल स्पेसर्स** के समक्ष 4 रखते हैं, से उनकी विशिष्टयां भिन्न हैं। ई.जे.एल. ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इन अंतरों को क्यों अमहत्वपूर्ण समझते हैं ।

संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (प्रापण) ने मुख्य अभियन्ता (सामग्री व्यवस्था) को इ.जे.एल. द्वारा प्रस्तुत ट्रांसफार्मर, इस आधार पर कि उन्होंने शॉर्ट सर्किट जांच की भीषणता का सफलता से प्रतिकार कर लिया है, क्रय करने की संस्तुति की (18 जून 1991) । तथापि, कम टाई रॉड (80 रुपये) तथा स्पेसर्स (20 रुपये) के कारण बचत होने से प्रति ट्रांसफार्मर 100 रुपये की कटौती संस्तुत्य की । तथापि, मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया तथा 16 जुलाई 1991 को पत्रावली इस टिप्पणी के साथ लौटा दी कि जब आवश्यक होगी प्रकरण की जांच कर ली जायेगी।

इसी बीच, जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपये का अवमूल्यन हुआ जिससे स्टील लैमीनेशन, पीतल इत्यादि की कीमतों में वृद्धि हो गयी । वृद्धि से टी.एन. 1456 के अंदर आदेश दिए जाने वाले ट्रांसफार्मरों की लागत (लागत वृद्धि सूत्र के संदर्भ में) बढ़ जायेगी। अतः 1 जून 1991 को टी.एन. 1416 के अंतर्गत किए गये अतिरिक्त क्रय को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक था। 17 जूलाई 1991, को ई.जे.एल.ने रा.रा.वि.मं. को सूचित किया कि यदि प्रेषण की अनुमति 20 जुलाई 1991 तक नहीं दी गई तो उन्हें दिया गया ट्रांसफार्मरों का आदेश निरस्त समझा जायेगा । इस स्थिति में भी, रा.रा.वि.मं. ने कोई निर्णय नहीं लिया, तथा 22 जुलाई 1991 को

---

* यह माइल्ड लोहे की छड़ें हैं जो ट्रांसफार्मरों की उच्च एवं निम्न वोल्टेज बाईन्डिंग्स को सहायता देती है एवं दबाए रखती है ।

** यह प्रेस बोर्ड की बनी होती है तथा बाईन्डिंग्स के बीच रखी होती है ।

ई.जे.एल. ने रा.रा.वि.मं. को सूचित किया कि उनके ट्रांसफार्मर अब अन्य राज्य विद्युत मण्डलों की ओर मोड़ दिये जायेंगे। किसी भी ओर से, बिना किसी वित्तीय देयता के रा.रा.वि.मं. ने अपने आदेश सितम्बर 1992 में निरस्त करने की सूचना दी ।

अक्टूबर 1991 में, रा.रा.वि.म. ने इ.जे.एल. को, सामान्य लागत वृद्धि दर सहित 24,330 रुपये (आबकारी शुल्क और बिक्री कर सहित) की बहुत ऊंची इकाई लागत पर टी.एन. 1456 के समक्ष 63 के.वी.ए. के 620 ट्रांसफार्मरों के लिए आदेश दिया। यह ट्रांसफार्मर नवम्बर 1991 और मार्च 1992 के दौरान प्राप्त हुए ।

लेखापरीक्षा में जांच (फरवरी 1995) में प्रकट हुआ कि जून 1991 में ई.जे.एल. द्वारा प्रस्तुत ट्रांसफार्मरों की तकनीकी विशिष्टताओं में विचलन, अनिर्णयन का पर्याप्त आधार निम्न कारणों से नहीं था :

(अ) अप्रैल 1991 में जारी टी.एन. 1456 में टी.एन. 1416 के 8 के समक्ष 4 टाई रॉड की विशिष्टताओं का उल्लेख था । जिससे स्पष्ट है कि टी.एन. 1416 के समक्ष जून 1991 में ई.जे.एल. को ट्रांसफार्मरों हेतु दिये गये अतिरिक्त आदेशों से पूर्व भी रा.रा.वि.म. 4 टाई रॉड, की उपयुक्तता से संतुष्ट था ।

(ब) यद्यपि टी. एन. 1456 में 6 स्पेसर्स की शर्त थी, ई.जे.एल. ने उनके समक्ष 4 स्पेसर्स वाले ट्रांसफार्मर प्रस्तुत किए तथा इनका नवम्बर 1991 में अपेक्षित निरीक्षण करने के पश्चात् इन्हें रा.रा.वि.म. द्वारा स्वीकार कर लिया गया । जिससे स्पष्ट है कि ई.जे.एल. का जून 1991 से पूर्व दिया गया स्पष्टीकरण (टी.एन. 1416 के समक्ष दिए गये अतिरिक्त आदेश के विरूद्ध) कि ट्रांसफार्मरों में 4 स्पेसर्स, जब 6 प्रयुक्त होते है उससे बड़े थे, तथा वही धारणक्षमता रखते थे, रा.रा.वि.म. द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था ।

(स) विशिष्टियों में थोड़े अंतर सहित ट्रांसफार्मरों को स्वीकार करने में रा.रा.वि.म. को प्रखर विचार रखना चाहिये था विशेषतया तब जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा ट्रांसफार्मरों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए मात्र 20 दिन का समय उपलब्ध था । यह कारण जुलाई 1991 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् और भी महत्वपूर्ण हो गया ।

यदि टी.एन. 1456 के आदेशों के समय समवर्ती कमी को देखते हुए टी.एन. 1416 के समक्ष 130 ट्रांसफार्मर क्रय किए गए होते, तो रा.रा.वि.मं. 9.37 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय से बच सका होता ।

प्रकरण सरकार/रा.रा.वि.मं. को नवम्बर 1995 में प्रतिवेदित किया गया । सरकार ने बताया (अक्टूबर 1996) कि इ.जे.एल. के समक्ष प्रस्तुत अतिरिक्त आदेश

(जून 1991) के विरूद्ध ट्रांसफार्मरों की स्वीकृति निम्नकारणों से सूचित नहीं की जा सकी :

(i) प्रस्तुत किए गये ट्रांसफार्मर विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं थे ।

(ii) दूसरे टी. एन. 1456 के समक्ष निविदायें 20 जून 1991 को खोली गई तथा दरों की टी. एन. 1416 की दरों से तुलना करना उपयुक्त समझा गया ।

उत्तर (i), उपरोक्त (अ) (ब) और (स) को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है । उत्तर (ii) में भी विश्वास की कमी थी क्योंकि 20 जुलाई 1991 यथा निविदाओं के खुलने के एक माह पश्चात्, तक भी रा.रा.वि.मं. यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या टी. एन. 1456 के समक्ष कीमत वास्तव में टी.एन. 1416 से कम थी ।

4 ब.1.3 चारनवाला लघु जल विद्युत परियोजना पर निष्क्रिय निवेश

इंदिरा गांधी मुख्य नहर की चारनवाला शाखा में 2 एम. डब्लू. क्षमता की एक इकाई स्थापित करने वाली चारनवाला लघु जल-विद्युत योजना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अक्टूबर 1983 में अनुमोदित की गई ।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) में प्रवाह के आधार पर, चारनवाला शाखा में प्रवाह 987.61 क्यूसेक अनुमानित किया गया (जुलाई 1984) । इस आधार पर, विद्युत सम्भाव्यता 1.8 एम. डब्लू. अपेक्षित थी । योजना को इसके प्रारम्भ होने के तीसरे वर्ष के बाद से 12 प्रतिशत का लाभ देना अपेक्षित था, तथा यह योजना आयोग द्वारा अगस्त 1984 में स्वीकृत की गई थी ।

चारनवाला शाखा के अभिकल्पित प्रवाह में जुलाई 1985 में आई.जी.एन.पी. द्वारा 567.78 क्यूसेक की कमी के पश्चात्, पावर हाउस की प्रस्तावित क्षमता 1.8 से 1.2 एम.डब्लू. तक और कम कर दी गई (अगस्त 1985) । पावर हाउस का निर्माण 1986-87 के दौरान शुरू हुआ था तथा 4.96 करोड़ रुपये की लागत पर दिसम्बर में पूर्ण हुआ था। पावर हाउस, 23 दिसम्बर 1993 को आई. जी. एन. पी. अधिकारियों से नहर में अतिरिक्त जल का प्रबन्ध कर दिए जाने पर प्रारम्भ किया गया । तथापि, चालू किए जाने के पश्चात्, नहर में प्रवाह कभी भी 150 क्यूसेक्स से अधिक नहीं रहा, जिसके कारण पावर हाउस परिचालित नहीं किया गया (जून 1996)।

आई.जी.एन.पी. ने (अक्टूबर 1995 में) कम प्रवाह के इस तथ्य को कि क्षेत्र के विरल जनसंख्या वाला होने के कारण, पावर हाउस की निचली धारा (डाउन स्ट्रीम) में फसल जल की आवश्यकता बहुत कम थी, को उपारोपित किया । आई.जी.एन.पी. ने यह भी बताया कि प्रवाह में अक्टूबर 1996 तक 300 क्यूसेक्स वृद्धि हो सकती थी लेकिन आरेखित स्तर (567.78 क्यूसेक्स) तक बढ़ने की संभावना अगले पांच वर्षों तक नहीं थी ।

परियोजना के उपकरणों के आपूर्तिकर्ता ने स्पष्ट किया (नवम्बर 1995) कि 250 क्यूसेक्स के प्रवाह पर उत्पादन लगभग 450 के. डब्लू. (आरेखित क्षमता का 38 प्रतिशत) होगा तथा 600 के. डब्ल्यू. के उत्पादन हेतु कम से कम 321 क्यूसेक्स प्रवाह की आवश्यकता होगी । अतः यदि तब तक प्रवाह 300 क्यूसेक्स बढ़ जाता है तो अक्टूबर 1996 से लगभग 550 के. डब्ल्यू. का उत्पादन हो सकता था ।

बिना यह जांच किए कि जल के प्रवाह का आरेखित स्तर कब शुरू होगा, एक लघु जल विद्युत गृह के समय पूर्व निर्माण के परिणामस्वरूप 2.23 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

इस प्रकार, प्राप्त किए जाने वाले प्रवाह का आरेखित स्तर आई. जी. एन. पी. द्वारा कब अपेक्षित था, इसकी जांच किए बिना चारनवाला शाखा के आरेखित प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए पावर हाउस का निर्माण करने से, रा.रा.वि.मं. ने इसकी आवश्यकता से तीन वर्ष पहले ही परियोजना को अनावश्यक रूप से स्थापित कर लिया । इसके परिणाम स्वरूप 2.23 करोड़ रुपये के ब्याज सहित, 2½ वर्षों (जून 1996) तक के लिए 4.96 करोड़ रुपये का निष्क्रिय व्यय हुआ ।

आगे, पावर हाउस के कार्य नहीं करने के कारण, विभिन्न मशीनों/उपकरणों के लिए स्थापना की दिनांक से 12 माह की अवधि या कार्य स्थल पर अंतिम उपकरण की आपूर्ति की तिथि से 18 माह तक उपलब्ध निष्पादन प्रत्याभूतियां पहले ही समयातीत हो चुकी थी । पुनः कार्यस्थल पर रखरखाव और निगरानी के लिए पदस्थापित किए गए स्केल्टन स्टॉफ (एक सहायक अभियंता, एक कनिष्ठ अभियन्ता, दो सहायक एवं 4 गार्ड) के वेतन एवं भत्तों पर जून 1994 से जून 1996 की अवधि के दौरान व्यय किये गए 4.50 लाख रुपये निष्फल सिद्ध हुए।

प्रकरण रा.रा.वि.म./सरकार को जुलाई 1996 में प्रतिवेदित किया गया । जबकि सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1996)। रा.रा.वि.मं. ने बताया अक्टूबर 1996 कि उनके द्वारा परियोजना को दिसम्बर 1993 तक पूर्ण किया जाना था क्योंकि यह लक्ष्य राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (एस. एल.एम.सी.) द्वारा नियत किया गया था। रा.रा.वि.मं. ने आगे बताया कि परियोजना स्थापना होने के पश्चात् वे पर्याप्त प्रवाह जारी करने हेतु आई.जी.एन.पी. से लगातार सम्पर्क में हैं। यही उत्तर सरकार द्वारा पृष्ठांकित किया गया था (नवम्बर 1996)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नहर में पर्याप्त प्रवाह के बिना परियोजना पूर्ण कर लेने के नुकसानों से एस.एल.एम.सी. को रा.रा.वि.मं. द्वारा आगाह किया जाना चाहिए था। भविष्य में प्रवाह स्तर में वृद्धि की नियोजित सीमा हेतु रा.रा.वि.म. को आई.जी.एन.पी. के साथ उचित सम्पर्क रखना चाहिए था।

4ब.2 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.2.1 आगारों को बसों के आवंटन में विलम्ब

जुलाई 1993 में, राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम (रा.रा.स.प.नि.) ने निर्णय लिया कि बॉडी निर्माताओं द्वारा सभी फैब्रिकेटेड बसों को मुख्यालय पर भेजे जाने के स्थान पर सीधे ही आगारों को भेजा जायेगा जिन्हें कि इनका आवंटन किया गया है। इस निर्णय के अनुसार, निर्माणाधीन बसों के अंतिम निरीक्षण से पूर्व बॉडी निर्माताओं को प्रेषण हेतु नियत आगारों के बारे में सूचना दी जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ (दिसम्बर 1995) कि विभिन्न आगारों को बसों के आवंटन की सूचना देने में विलम्ब के कारण, बॉडी निर्माताओं ने 38 बसों को सीधे ही रा.रा.स.प.नि. के मुख्यालय प्रेषित कर दिया (18 जून 1995 और 1 अगस्त 1995 के मध्य) इनके अंतिम रुप से आगारों को आवंटन से पूर्व इनमें से 14 बसें मुख्यालय पर 31 से 53 दिनों तक, 19 बसें 21 से 30 दिनों तक और 5 बसें 21 से कम दिनों तक निष्क्रिय रही। परिणामतः रा.रा.स.प.नि. को 11.09 लाख रुपये की संभावित आय की हानि हुई।

सरकार/रा.रा.स.प.नि. ने बसों के आवंटन में विलम्ब को, (i) पुरानी बसें, जिन्हें नगर सेवा हेतु बदला जायेगा, के मानक निश्चित करने में विलम्ब तथा (ii) पुरानी बसों के निरर्थक घोषित करने में विलम्ब के कारण नई बसों की माँग प्राप्त होने में

देरी के समेकित कारणों को उपारोपित किया। यह उत्तर, रा.रा.स.प.नि. में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी का द्योतक है।

4ब.2.2 अधिक भुगतान

सड़क परिवहन निगम (स.प.नि.) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत गठित राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (रा.रा.स.प.नि.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा राज्य सरकार से 6.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की रियायती दर पर निरन्तर ऋण के रूप में पूँजी अंशदान प्राप्त करता रहा है।

स.प.नि. अधिनियम 1950 में 1982 में हुए संशोधन ने, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को दिये गये पूँजी ऋण को इक्विटी पूँजी में परिवर्तित करने हेतु जी.ओ.आई. तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को अनुमति दी। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने 31 मार्च 1992 को ब्याज देयता सहित उनकी ऋण पूँजी को ईक्विटी पूँजी में परिवर्तित करने तथा लाभ में से कम से कम 3 प्रतिशत लाभांश भुगतान की शर्त के साथ अनुमोदन, अप्रेल 1993 में सूचित किया। राज्य सरकारों द्वारा उनकी ऋण पूँजी को ईक्विटी पूँजी में परिवर्तित करने की सहमति देने के पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा परिवर्तन के औपचारिक आदेश जारी किये जाने थे।

प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने रा.रा.स.प.नि. से परामर्श कर, अपनी ऋण पूँजी को ईक्विटी पूँजी में परिवर्तित करने की सहमति प्रेषित की (अगस्त 1993)। तदनुसार, भारत सरकार ने अपने ऋण को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने की संस्वीकृति अप्रैल 1994 में जारी की । तथापि, 31 मार्च 1992 को 5502.50 लाख रुपये की ऋण पूंजी के राज्य के अंश को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने की औपचारिक संस्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 11 दिसम्बर 1995 को जारी की गई ।

राज्य सरकार ने , वर्ष 1993-94 के दौरान 600 लाख रुपये का पूंजी अंशदान रा.रा.स.प.नि. को संस्वीकृत करते समय (अगस्त 1993) 381.65 लाख रुपये की राशि वर्ष 1992-93 के लिए ब्याज के पेटे काट ली ।

31 मार्च 1992 से राज्य सरकार द्वारा ऋण के इक्विटी पूंजी में भूतलक्षी परिवर्तन से, 381.65 लाख रुपये का ब्याज रा.रा.स.प.नि. को वापस लौटाना देय हो गया । जिस पर भी, वर्ष 1992-93 के लिए 165.08 लाख रुपये सहित वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 550.50 लाख रुपये की पूंजी पर 495.23 लाख रुपये का लाभांश रा.रा.स.प.नि. ने अदा किया

(16 दिसम्बर 1995)। इस प्रकार, वर्ष 1992-93 के लिए ब्याज तथा लाभांश दोनों

> *एक ही पूंजी अंशदान पर ब्याज तथा लाभांश दोनों के भुगतान के परिणामस्वरूप 381.65 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।*

का ही भुगतान किया गया। वास्तव में रा.रा.स.प.नि. को राज्य सरकार से वसूली योग्य 381.65 लाख रुपये, 495.23 लाख रुपये के देय लाभांश में से कम कर लेने चाहिए थे तथा राज्य सरकार को 113.58 लाख रुपये के शेष का भुगतान करना चाहिए था। 381.65 लाख रुपये के अधिक भुगतान के कारण, राज्य सरकार से राशि वापस प्राप्त होने तक 12 प्रतिशत (अगस्त 1996 तक 30.56 लाख रुपये) की दर से 3.82 लाख रुपये प्रतिमाह के ब्याज की आवर्ती हानि हुई ।

लेखापरीक्षा के ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1996) रा.रा.स.प.नि. ने बताया (मई 1996) कि राज्य सरकार को 381.65 लाख रुपये के रोके गए ब्याज की वापसी हेतु निवेदन किया गया था (अप्रैल 1996)। रा.रा.स.प.नि. ने आगे बताया (अगस्त 1996) कि इसके प्राप्त न होने की स्थिति में, यह सरकार को देय भुगतानों के समक्ष समायोजन कर वसूल कर लिया जायेगा। सरकार ने बताया (अक्टूबर 1996) कि प्रकरण विचाराधीन था।

4ब.3 राजस्थान वित्त निगम

4ब.3.1 निधियों के प्रेषण में विलम्ब

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, वर्ष 1990-91 के अनुच्छेद 4ब.2 में, बैंकों द्वारा मुख्यालय में राजस्थान वित्त निगम (रा.वि.नि.) के खातों मे अधिक निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण रा.वि.नि. को हुए ब्याज की हानि का उल्लेख किया गया था ।

बैंक आफ बड़ोदा (अक्टूबर 1993 में खुली) की मदनगंज- किशनगढ़ शाखा में रा.वि.नि. द्वारा संधारित संग्रहण खातों के जुलाई 1994 से नवम्बर 1995 की अवधि के बैंक विवरण-पत्रों की जांच से ज्ञात हुआ कि बैंकों ने 2000 रुपये से अधिक की निधियों का शीघ्रता से स्थानान्तरण नहीं किया था तथा 1.13 लाख रुपये और 88.62 लाख रुपये के मध्य विषद शेषों को 4 से 30 दिनों की अवधि तक रोके रखा । इसके परिणामस्वरूप, उन निधियों पर जो कि जुलाई 1994 से नवम्बर 1995 तक अवरोधित रही, 2.92 लाख रुपये (रा.वि.नि. द्वारा बॉंड्स के माध्यम से प्राप्त निधियों पर दिए गये 12.5 प्रतिशत की दर से परिकलित ब्याज) की सीमा तक

ब्याज की हानि हुई । इस प्रकार, शाखा प्रबन्धक रा.वि.नि., किशनगढ़ बैंक द्वारा राशि के समय पर प्रेषण को सुनिश्चित करने के दायित्व को पूर्ण करने में असफल रहा ।

उत्तर में, सरकार ने 1990-91 के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4ब.2 के संदर्भ में अगस्त 1991 में दिए गये उत्तर को ही दुहरा दिया (जुलाई 1996) कि ब्याज की हानि की बैंक द्वारा बाहरी स्थानों के चैकों को उसी मूल्य पर शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान कर क्षतिपूर्ति की गई ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुविधा सभी अन्य शाखाओं/बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है तथा इस आधार पर एक शाखा द्वारा मुख्यालय के लेखे में प्रेषण के विलम्ब की स्वीकृति को उचित नहीं माना जा सकता है।

सं सलूजा

(संजीव सलूजा)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II राजस्थान

जयपुर

दिनांक: 24 जनवरी 1997

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(वी.के.शुंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 28 जनवरी 1997

अनुबन्ध

अनुबन्ध-I

ऐसी कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थी ।

(प्रस्तावना के पृष्ठ (iii) तथा अनुच्छेद 1.2.10 पृष्ठ 22 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सरकार द्वारा निवेश (रुपये करोड़ों में)
1.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	0.75
2.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	0.17
3.	मान इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	0.15
4.	मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	0.25
5.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	0.16
6.	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	0.30
	योग	**1.78**

अनुबन्ध-II

31 मार्च 1996 को अद्यतन पूंजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.2 पृष्ठ 6 तथा अनुच्छेद 1.2.3 पृष्ठ 9 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	1995-96 के अन्त में प्रदत्त-पूंजी					वर्ष के दौरान राज्य सरकार के बजट से दिया गया ऋण	बकाया दीर्घ-कालीन ऋण
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारित कंपनियां	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
1.	कृषि विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	599.73	-	-	1.00	600.73	-	33.40
	(ii) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	15.69	271.90	-	-	287.59	-	-
	(iii) राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड	510.00 (401.00)	103.93	-	20.80	634.73 (401.00)	-	1000.00
2.	भू-जल विभाग							
	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	127.00	-	-	-	127.00	-	-
3.	उद्योग विभाग							
	(i) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (रीको की सहायक कम्पनी)	-	-	30.00	-	30.00	-	187.88
	(ii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	14890.25 (850.00)	-	-	-	14890.25 (850.00)	3325.00	47271.93
	(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	514.39	27.00	-	5.01	546.40	90.00	152.50
	(iv) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	270.00 (101.00)	141.00	-	5.00	416.00 (101.00)	10.00	314.56

(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
4.	वन एवं पर्यावरण विभाग							
	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	19.00	-	-	-	19.00	-	-
5.	खान विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	6171.60	-	-	1.00	6172.60	450.00	8183.62
	(ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1633.00	-	-	-	1633.00	-	191.92
	(iii) राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि. की सहायक कम्पनी)	-	-	19.00	-	19.00	-	21.17
	(iv) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि.की सहायक कम्पनी)	-	-	133.79	-	133.79	-	21.16
6.	राजकीय उपक्रम विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	364.73	-	-	-	364.73	-	590.00
	(ii) हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड	7.60	-	-	0.05	7.65	-	11.08
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग							
	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1000.00 (500.00)	-	-	-	1000.00 (500.00)	-	**1768.28**
8.	पर्यटन विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	106.75	-	-	-	106.75	**46.00**	46.00
	(ii) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1383.84	-	-	-	1383.84	-	1435.50
9.	ऊर्जा विभाग							
	राजस्थान राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	30.00 (30.00)	-	-	-	30.00 (30.00)	-	-
	कुल योग	**27643.58** **(1882.00)**	**543.83**	**182.79**	**32.86**	**28403.06** **(1882.00)**	**3921.00**	**61229.00**

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान बजट से जावक को दर्शाते है।

अनु

सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित
वर्ष के लिए लेखों को

(अनुच्छेद 1.2.2, 1.2.4 एवं 1.2.5.4

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग/ क्षेत्र का नाम	निगमन की दिनांक	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (-) (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	1994-95	1995-96	(-) 81.61
2.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	डेयरी	31 मार्च 1975	1995-96	1996-97	(-) 0.05
3.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	24 मई 1985	1990-91	1992-93	(-) 1.39
4.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भू-जल	25 जनवरी 1984	1994-95	1995-96	(+) 2.31
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	उद्योग	28 मार्च 1969	1995-96	1996-97	(+)1726.22
6-	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	1995-96	1996-97	(+)228.50
7.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1984	1993-94	1996-97	(-)54.26
8.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (रीको की सहायक कम्पनी)	उद्योग	23 जनवरी 1985	1995-96	1996-97	(-) 10.30
9.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	खान	7 मई 1947 (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	1995-96	1996-97	(+) 1986.23

बन्ध–III

वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम
अन्तिम रूप दिया जा चुका था

पृष्ठ 6, 11 एवं 13 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

प्रदत्त-पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवेशित पूंजी	नियोजित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14	15
600.73	(-)1616.83	634.13	246.52	(-)79.29	31.49	शून्य	12.77
287.59	(-)17.29	287.59	270.35	(-)0.05	(-)0.05	शून्य	शून्य
19.00	(-)12.32	19.00	6.48	(-)1.39	(-)1.39	शून्य	शून्य
127.00	(-)13.86	127.00	118.60	2.31	2.31	1.82	1.95
14890.25	(+)499.65	65746.20	65727.21	7194.45	7194.45	10.94	10.95
546.40	(-)53.36	698.90	797.40	240.15	240.63	34.36	30.18
238.00	(-)269.36	668.45	572.39	(-)15.26	10.57	शून्य	1.85
30.00	(-)210.10	217.88	10.09	(-)10.30	(-)10.30	शून्य	शून्य
6172.60	(+)67.93	18869.81	19374.68	3351.02	3582.61	17.76	18.49

1	2	3	4	5	6	7
10.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खान	27 सितम्बर 1979	1995-96	1996-97	(-)181.13
11.	राजस्थान राज्य ग्रेनाइटस एवं मार्बल्स लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि. की सहायक कम्पनी)	खान	2 फरवरी 1977	1995-96	1996-97	(-)0.09
12.	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि. की सहायक कम्पनी)	खान	22 नवम्बर 1983	1995-96	1996-97	(-)0.44
13.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	8 फरवरी 1979	1995-96	1996-97	(+) 810.67
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	राजकीय उपक्रम	1 जुलाई 1956	1995-96	1996-97	(+)16.64
15.	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	राजकीय उपक्रम	18 मार्च 1963	1995-96	1996-97	(-)1.07
16.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	1995-96	1996-97	(+)42.78
17.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	1994-95	1995-96	(+)28.87
18.	राजस्थान राज्य सीडस कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	1995-96	1996-97	(+)400.24
19.	राजस्थान राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रेल 1995	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

(रुपये लाखों में)

8	9	10	11	12	13	14	15
1633.00	(-)374.05	1824.92	1838.72	(-)144.38	11.03	शून्य	0.60
19.00	(-)50.60	40.17	(-)10.43	(-)0.09	(-)0.09	शून्य	शून्य
133.79	(-)73.63	154.95	30.16	(-)0.44	(-)0.44	शून्य	शून्य
1000.00	शून्य	3587.63	3586.58	817.75	881.73	22.79	24.58
364.73	(+)0.48	1029.40	1899.67	117.97	196.92	11.46	10.37
7.65	(-)17.26	18.73	1.74	(-)1.07	(-)1.07	शून्य	शून्य
106.75	(+)43.22	151.38	188.49	42.78	42.78	28.26	22.70
1383.84	(+)11.39	2895.73	2150.77	121.78	121.78	4.20	5.66
634.73	(-)57.05	1634.90	1571.65	400.51	534.74	24.50	34.02
30.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

अनुबन्ध-IV

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, प्राप्त गारण्टी, वर्ष के दौरान परित्याग की गई देयताओं तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.3 पृष्ठ संख्या 9 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान* (अनुपयोगित अनुदान)	वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टी (वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी)				
			राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में खोले गये साख-पत्र	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों को अनुबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतान	योग
1.	2.	3	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	(4य)
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	58.67 (उपलब्ध नहीं)	-	-	-	-	-
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	1642.25 (1022.70)	-	2150.00 (31841.58)	-	-	2150.00 (31841.58)
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	451.14 (188.07)	-	- (62.50)	-	-	(62.50)
4.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	88.73 (उपलब्ध नही)	180.00 (180.00)	-	-	-	180.00 (180.00)
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		-	- (5715.00)	-	-	- (5715.00)
6.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड		-	1224.75 (1768.28)			1224.75 (1768.28)
7.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	341.25 (194.53)	-	- (1435.50)	-	-	- (1435.50)
8.	राजस्थान राज्य सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड		-	-	-	-	-
9.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	(24.32)	-	-	(24.32)
	योग	**2582.04 1405.30**	**180.00 (180.00)**	**3374.75 (40847.18)**	-	-	**3554.75 (41027.18)**

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अन्त तक अनुपयोगित अनुदान/बकाया गारण्टी को दर्शाते है।

*केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।

अनुबन्ध-V

वर्ष 1995-96 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोगित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.8 पृष्ठ 21 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रतिस्थापित/रेटेड क्षमता	वास्तविक उपयोग	उपयोगित क्षमता की प्रतिशतता
1.	2	3	4	5
1. कृषि				
	राजस्थान राज्य सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बीज एवं लिंट 1.42 लाख क्वि. (1.42 लाख क्वि.)	1.76 लाख क्वि. (1.06 लाख क्वि.)	123.94 (76.65)
2. खान				
	(i) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	ग्रेफाइट 1800 मै.टन (430 मै.टन)	461 मै.टन (168 मै.टन)	25.61 (39.07)
		फ्लोर्सपार 2304 मै.टन (2304 मै.टन)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	(ii) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	(अ) क्रशिंग संयंत्र (पुराना) 10.26 लाख टन	2.32 लाख टन (2.53 लाख टन)	22.61 (24.66)
		(ब) एच.जी.ओ. क्रशिंग संयंत्र 9.03 लाख टन	3.78 लाख टन (2.98 लाख टन)	41.86 (33.00)
		(स) मुख्य प्रोसेस संयंत्र 4.21 लाख टन प्रतिवर्ष	1.48 लाख टन (0.89 लाख टन)	35.15 (21.14)
3. राजकीय उपक्रम				
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	गन्ना (क्विंटलों में) 1000 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	872.80 मै.टन प्रतिदिन या 99,500 मै.टन 114 दिनों में (927.56 मै.टन प्रतिदिन या 52,871 मै.टन 57 दिनों में)	87.28 (92.76)
		चुकन्दर (क्विंटलों में) 600 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	515.79 मै.टन प्रतिदिन या 9,800 मै.टन 19 दिनों में (530.97 मै.टन प्रतिदिन या 16,991 मै.टन 32 दिनों में	85.97 (88.49)
	रेक्टीफाइड स्प्रीट (एल.पी.एल. में)	17250 प्रतिदिन श्री गंगानगर में (अटरू इकाई के लिए ज्ञात नहीं)	14,675 एल.पी.एल. (10,720 एल.पी.एल.)	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते है।

अनु

सांविधिक निगमों के संक्षेपित
दर्शाने वाला विवरण-पत्र
लेखों को अंतिम रूप
(अनुच्छेद 1.3.3 एवं 1.3.7
(कॉलम 6 से 12 तक में दिये

क्रम संख्या	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	कुल निवेशित पूंजी	वर्ष का लाभ(+)/ हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	1 जुलाई 1957	1994-95	4779.37	77.07
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	यातायात	1 अक्टूबर 1964	1994-95	183.80	24.16
3.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	1995-96	637.04	11.20**
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	1995-96	20.07	3.16

नोट: (1) निवेशित पूंजी, वर्ष के अन्त में प्रदत्त-पूंजी, दीर्घकालिक ऋण और मुक्त आरक्षित निधियों तथा अधिशेष के योग की द्योतक है।

(2) नियोजित पूंजी, वर्ष के अन्त में निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो को छोड़कर) एवं कार्यकारी पूंजी के योग की द्योतक है।

(3)* नियोजित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी, आरक्षित तथा अधिशेष, बॉण्ड्स एवं ऋण पत्रों, उधार तथा निक्षेपों के आरम्भिक शेष तथा अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है।

(4)** वर्ष का लाभ शुद्ध लाभ में कर का प्रावधान (4.12 करोड़ रुपये) को जोड़ने के पश्चात्।

बन्ध-VI

वित्तीय परिणामों को
जिनके नवीनतम वर्ष के
दिया जा चुका है
पृष्ठ 23 एवं 26 में उल्लिखित)
गये आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (7+9)	वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल (7+8)	कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	
					निवेशित पूंजी पर	नियोजित पूंजी पर
8	9	10	11	12	13	14
309.67	309.67	386.74	3602.55	386.74	8.09	10.73
10.56	7.82	31.98	171.73	34.72	17.40	20.22
60.56	60.56	71.76	616.08*	71.76	11.26	11.65
0.21	0.21	3.37	20.72	3.37	16.79	16.26

अनुबन्ध-VII

रा.प.वि.नि. के राजस्व खर्च एवं आय के वास्तविक एवं बजट के आंकड़ों में विचरणों के विस्तार को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 2ब.8 पृष्ठ संख्या 100 में उल्लिखित)

वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)			संशोधित अनुमान (स.अ.)			लेखों के बनाने की दिनांक	वास्तविक		बजट अनुमान से अंतर		संशोधित अनुमान से अन्तर	
	अनुमोदन की दिनांक	आय	व्यय	अनुमोदन की दिनांक	आय	व्यय		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
		(रुपये लाखों में)			(रुपये लाखों में)			(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)	
1990-91	10 अगस्त 1990	1338.22	1106.64	16 अप्रेल 1991	1309.79	1081.83	30 नवम्बर 1991	1873.26	1818.21	535.04 (40.0)	711.57 (64.3)	563.47 (43.0)	736.38 (68.1)
1991-92	16 अप्रेल 1991	1521.24	1247.55	16 अक्टूबर 1992	1814.07	1747.50	24 दिसम्बर 1992	2545.76	2426.25	1024.52 (67.3)	1178.70 (94.5)	731.69 (40.3)	678.75 (38.8)
1992-93	16 अक्टूबर 1992	2115.00	1952.00	25 जून 1993	2161.53	2004.93	4 फरवरी 1994	3008.23	2801.61	893.23 (42.2)	849.61 (43.5)	846.70 (39.2)	796.68 (39.7)
1993-94	25 जून 1993	2941.00	2754.00	27 अगस्त 1994	2632.77	2475.33	27 मार्च 1995	3959.89	3835.12	1018.89 (34.6)	1081.12 (39.3)	1327.12 (50.4)	1359.79 (54.9)
1994-95	27 अगस्त 1994	3044.00	2857.00	27 मार्च 1995	2831.75	2727.24	25 नवम्बर 1995	4212.20	4183.33	1168.20 (38.4)	1326.33 (46.4)	1380.45 (48.7)	1456.09 (53.4)

टिप्पणी- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।